



## भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन



## अवसंरचना विकास में लगे निर्धारियों को कटौती की अनुमति

संघ सरकार  
राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर  
2016 का प्रतिवेदन संख्या 28

**भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन**

**मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए**

**अवसंरचना विकास में लगे निर्धारितियों  
को कटौती की अनुमति  
की  
निष्पादन लेखापरीक्षा**

**संघ सरकार  
राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर  
2016 की प्रतिवेदन संख्या 28**

## विषय सूची

पैरा सं.	विषय	पृष्ठ
	प्राक्कथन	i
	कार्यकारी सार	iii-vii
	सिफारिशों का सार	viii-ix
<b>अध्याय 1: प्रस्तावना</b>		<b>1-5</b>
1.1	प्रस्तावना	1
1.2	संगठनात्मक ढांचा	1
1.3	हमने यह विषय क्यों चुना	2-3
1.4	लेखापरीक्षा उद्देश्य	3
1.5	लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र	3-4
1.6	लेखापरीक्षा नमूना	4
1.7	आभार	4-5
<b>अध्याय 2: प्रणालीगत मुद्दे</b>		<b>6-36</b>
2.1	प्रस्तावना	6
2.2	अपात्र निर्धारितियों को अनुमत की गई कटौती	7-12
2.3	उस व्यवसाय को कटौती अनुमत की गई जो अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं था	13-15
2.4	न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) की गलत गणना	15-17
2.5	अस्थायी वस्तुओं का मूल्यांकन	18-19
2.6	व्यवसाय बनाम उपक्रम की औषत आय/हानि का संग्रह	20-23
2.7	पात्र इकाइयों से संबंधित अग्रणीत हानियों तथा अनावशोषित मूल्यहास के समायोजन में विसंगतियां	23-26
2.8	कार्बन क्रेडिटों की बिक्री से प्राप्तियों का निरूपण	27-29
2.9	संवीक्षा निर्धारण के दौरान किये गए संवर्धनों पर कटौती	29-31
2.10	आंतरिक/निजी उपयोग के लिए विकसित संरचनात्मक सुविधा पर कटौती	31-34
	<b>सिफारिशें</b>	34-36

<b>अध्याय 3: निर्धारण में गलती</b>		<b>37-58</b>
3.1	प्रस्तावना	37
3.2	रिटर्न फाइल करने में विलम्ब के बावजूद कटौती की अनुमति	38-39
3.3	अनुमेय अवधियों के बाद अनुमत कटौती	39-41
3.4	व्ययों का गलत आबंटन	41-43
3.5	विघटन/एकीकरण के परिणाम	43-44
3.6	पात्र लाभों की गणना में गलतियां	44-46
3.7	संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन बाजार कीमत पर नहीं किया गया-	46-47
3.8	पुराने संयंत्र तथा मशीनरी/पूर्ववर्ती अवसंरचना सुविधा/पहले से ही मौजूद व्यवसाय के विभाजन पर अनुमत कटौती	48-51
3.9	अन्तरण मूल्य निर्धारण (टीपी) समायोजन पर कटौती का अनुमोदन	51-52
3.10	अन्य स्रोतों से आय के प्रति कटौती	52-54
3.11	अन्य त्रुटियाँ	54-56
3.12	विशेष आरक्षित निधि के सृजन के बिना कटौती की अनुमति	56-58
	<b>सिफारिशें</b>	58
<b>अध्याय 4: नियंत्रण क्रियाविधि</b>		<b>59-73</b>
4.1	प्रस्तावना	59
4.2	छोड़ा गया राजस्व	59-60
4.3	धारा 80 आईए के अंतर्गत कटौती का दावा करने वाली निर्धारिती कम्पनियों से संबंधित एमआईएस रिपोर्टों का अभाव	60-62
4.4	लेखापरीक्षक की अपूर्ण रिपोर्ट/प्रमाणपत्र	62-65
4.5	फार्म 10 सीसीबी देरी से दाखिल करना/ई-फाइलिंग नहीं करना	65-66
4.6	अधिनियम में संशोधन के अनुसार फार्म 10 सीसीबी को संशोधित नहीं किया गया	66-67
4.7	संवीक्षा हेतु 80 आईए मामलों का चयन न करना	67-70
4.8	निर्धारितियों के बिक्री/खरीद दावे की क्रास लिंकिंग के लिए कोई प्रक्रिया नहीं	70
4.9	तकनीकी प्रमाणीकरण की आवश्यकता	70-71
	<b>सिफारिशें</b>	71-73
	<b>परिशिष्ट (1 से 25 तक)</b>	75-132

## प्राक्कथन

मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 2012-13 से 2013-14 में संघ सरकार के राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर के अन्तर्गत अवसंरचना विकास में लगे निर्धारितियों को कटौती के अनुमोदन पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जिन्हें 2012-13 से 2014-15 की अवधि के लिए जुलाई से अक्टूबर 2015 के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया था।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग से प्राप्त सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है।

## कार्यकारी सार

पिछले दशक के दौरान अवसंरचना क्षेत्रों जैसे विद्युत उत्पादन, रेलवे, सड़क, पत्तन, हवाई अड्डे, सिंचाई, जल आपूर्ति तथा दूरसंचार सेवाओं में भारी निवेश ने भारत को विश्व में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में सामने आने में सहायता की है। अवसंरचना विकास ने भारत में एक बेहतर निवेश वातावरण उपलब्ध कराया है। पिछले दो दशकों में औद्योगिक उपक्रमों तथा उद्यमों के लिए कर मुक्ति के प्रावधान ने 'अवसंरचना विकास' में निवेश में भारी वृद्धि की है। धारा 80 आईए में दी गई शर्तों को पूरा करने की शर्त पर 'अवसंरचना विकास' अथवा 'पात्र व्यवसाय' में लगे औद्योगिक उपक्रमों अथवा उद्यमों के लाभों एवं प्राप्तियों के संबंध में निश्चित अवधि के लिए सौ प्रतिशत पर कटौतियों का प्रावधान करती है।

हमने निम्नलिखित की जांच करने के उद्देश्य से आय कर विभाग (आईटीडी) की निष्पादन लेखापरीक्षा की कि क्या

- (क) आईटीडी द्वारा अधिनियम/नियमावली/परिपत्रों/निर्देशों के प्रावधान के अनुपालन में केवल पात्र निर्धारितियों/व्यवसायों को धारा 80 आईए के अन्तर्गत कटौती अनुमत की गई है;
- (ख) सामान्य तथा विशिष्ट परिस्थितियों में धारा 80 आईए के अन्तर्गत कटौती के अनुमोदन की निगरानी के लिए पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण तंत्र विद्यमान है;
- (ग) कटौती के अनुमोदन से संबंधित नीति के प्रशासन में अधिनियम के प्रावधान में कमी/अस्पष्टताएं हैं जो मुकदमेबाजी को बढ़ाती हैं; तथा
- (घ) कर मुक्ति अथवा उसमें विस्तार का उद्देश्य पूरा हुआ है।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा में वित्त वर्षों 2012-13 से 2014-15 तथा लेखापरीक्षा की तारीख तक निर्धारण अधिकारियों (एओज) द्वारा पूरे किये गए निर्धारण शामिल हैं। जहां आवश्यक था, वहां चयनित निर्धारिती के पिछले निर्धारण वर्षों के निर्धारण अभिलेखों की भी जांच की गई थी।

आईटीडी ने 13 राज्यों में 13 मामलों में अनियमित रूप से विदेशी कम्पनियों के साथ सहयोग द्वारा बनाए गए संयुक्त उद्यम द्वारा विकसित अवसंरचना, व्यक्तियों के संगठन (एओपीज) के स्वामित्व वाले उपक्रमों, वे निर्धारिती जिन्होंने सरकार के साथ अनुबन्ध नहीं किया था, नॉन-कम्पलाइट औद्योगिक पार्क

तथा बाहर किये गए निर्माण ठेकेदारों के संबंध में निर्धारितियों को कटौती अनुमत की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 205.84 करोड़ के कर प्रभाव वाली आय का कम निर्धारण हुआ।

[पैरा 2.2]

आईटीडी ने आठ राज्यों में 16 मामलों में अनियमित रूप से निर्धारितियों को कटौती अनुमत की थी जहां निर्धारिती का व्यवसाय जैसे प्लाट की बिक्री, अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अन्तर्गत शामिल की गई परियोजनाओं, रूपान्तरण प्रभार, पार्क का विकास/रख-रखाव इत्यादि कटौती के पात्र नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 174.35 करोड़ के कर प्रभाव वाली आय का कम निर्धारण हुआ।

[पैरा 2.3]

आईटीडी ने आठ राज्यों में 19 मामलों में कार्बन क्रेडिट की बिक्री के माध्यम से अर्जित आय के संबंध में अनियमित रूप से कटौती अनुमत की जिसमें ₹ 34.77 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।

[पैरा 2.8]

आयकर विभाग ने पांच राज्यों में नौ मामलों में कटौती हेतु व्यय को राजस्व के रूप में मानने, चल परिसम्पत्तियों को बिक्री, धारा 40ए (3) 14ए, 40(ए) के अंतर्गत अननुमति के आधार पर की गई वृद्धियों पर अनियमित रूप से विचार किया। इसके परिणामस्वरूप, निर्धारिती द्वारा दावा की गई राशि से अधिक की अनुमति दी गई थी जिसमें ₹ 74.66 करोड़ का परिणामी कर प्रभाव शामिल है।

[पैरा 2.9]

आयकर विभाग ने निर्धारितियों द्वारा उनके निजी उद्देश्यों के लिए निर्मित एवं प्रचालित रेलवे साइडिंगो/जैटिज, जिन्हें धारा 80 आईए (4) की व्याख्या के संबंध में अवसंरचना सुविधाओं के रूप में नहीं माना जाता, से प्राप्त लाभों के संदर्भ में दो राज्यों में आठ मामलों में निर्धारितियों को अनियमित रूप से कटौती की अनुमति दी थी। कटौती की अनियमित अनुमति से ₹ 2066.70 करोड़ का कर प्रभाव हुआ।

[पैरा 2.10]

आयकर विभाग ने विवरणी की विलंब से फाइलिंग के बावजूद छह राज्यों में 11 मामलों में कटौती की अनुमति नहीं दी थी जिसके परिणामस्वरूप आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 80.49 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है।

[पैरा 3.2]

आयकर विभाग ने घोषित आरंभिक निर्धारण वर्ष से शुरू करते हुए 10 क्रमानुगत निर्धारण वर्षों की अनुमत सीमा से अधिक की अवधि हेतु चार राज्यों में छह मामलों में निर्धारितियों को अनियमित रूप से कटौती की अनुमति दी थी। कटौती की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 859.47 करोड़ का कर निहितार्थ शामिल है।

[पैरा 3.3]

आयकर विभाग ने आठ राज्यों, जहां निर्धारिती ने सामान्य व्ययों का पात्र और अपात्र यूनिटों के बीच उचित रूप से विभाजन नहीं किया था, में 15 मामलों में निर्धारितियों को अनियमित रूप से कटौती की अनुमति दी थी जिसके परिणामस्वरूप कटौती की अधिक अनुमति दी गई जिसमें ₹ 224.47 करोड़ का कर निहितार्थ शामिल है।

[पैरा 3.4]

आयकर विभाग ने उन उद्यमों या उपक्रमों से संबंधित लाभों के संदर्भ में चार राज्यों में सात मामलों में निर्धारितियों को कटौती की अनियमित रूप से अनुमति दी थी जो समामेलन/ अविलय की योजना में स्थानांतरित किए गए थे, यद्यपि यह समामेलन/अविलय 01.04.2007 के या इसके बाद प्रभावी हुए थे। कटौती की गलत अनुमति से आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 376.10 करोड़ का कर निहितार्थ शामिल हैं।

[पैरा 3.5]

आयकर विभाग ने आय/कर की गणना में त्रुटि, मूल्यहास, अनुमत दोहरी कटौती, अन्य आय शीर्ष पर अनुमत कटौती आदि के कारण 10 राज्यों में 43 मामलों में निर्धारितियों को कटौती की अनियमित रूप से अनुमति दी थी। इन मामलों में कटौती की अननुमति में चूक के फलस्वरूप आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 143.65 करोड़ का कर निहितार्थ शामिल हैं।

[पैरा 3.6]

आयकर विभाग ने विद्युत की सीमित खपत के मामले में उन चार राज्यों में छह मामलों में निर्धारितियों को कटौती की अनियमित रूप से अनुमति दी थी जहां निर्धारितियों ने बाजार दर की अपेक्षा उच्चतर दर अपनाते हुए अधिक कटौती का दावा किया था। निर्धारण अधिकारियों (एओज) ने इन मामलों में उचित कटौती की सही राशि प्राप्त करने हेतु धारा 80 आईए (8) के प्रावधानों की सहायता नहीं ली जिसके परिणामस्वरूप कटौती की अधिक अनुमति दी गई जिसमें ₹ 15.10 करोड़ का कर निहितार्थ शामिल हैं।

[पैरा 3.7]

आयकर विभाग ने छह राज्यों में 11 मामलों में निर्धारितियों को कटौती की अनियमित रूप से अनुमति दी थी यद्यपि उपयोग किए जा रहे संयंत्र और मशीनरी पुरानी थी अथवा पूर्ववर्ती अवसरचना सुविधा थी अथवा पहले से मौजूद व्यवसाय की विपाटन द्वारा बनाया गया उपक्रम थी। कटौती की अनियमित अनुमति में ₹ 40.51 करोड़ का कर निहितार्थ शामिल हैं।

[पैरा 3.8]

आयकर विभाग ने निर्धारितियों को ब्याज प्राप्तियों, आयात लाइसेंस की बिक्री, बीमा दावा आदि पर 12 राज्यों में 27 मामलों में कटौती की अनियमित रूप से अनुमति दी थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उपयुक्त व्यवसाय का लाभ शामिल था। कटौती की अधिक अनुमति से ₹ 227.87 करोड़ का कर प्रभाव पड़ा।

[पैरा 3.10]

आयकर विभाग ने निर्धारितियों को लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलन पत्र सहित फार्म 10 सीसीबी में आवश्यक लेखापरीक्षा रिपोर्ट/प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट सूचना का सत्यापन किए बिना 11 राज्यों में 65 मामलों ने कटौती की अनियमित रूप से अनुमति दी थी।

[पैरा 4.4]

सीबीडीटी के पास देश की आर्थिक एवं औद्योगिक वृद्धि पर धारा 80 आईए के अंतर्गत कटौती की राशि पर पूर्व निश्चित राज्य के निर्धारण तथा प्रभाव हेतु कोई स्थापित तंत्र नहीं था। प्रायोजक मंत्रालयों से यह सुनिश्चित करने हेतु कोई मौजूदा प्रणाली नहीं थी कि क्या कर मुक्तता का अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर वांछित प्रभाव पड़ता है। इसलिए, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने में असमर्थ है कि क्या अधिनियम में कटौतियों की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य

प्राप्त हुआ है। सीबीडीटी यह आश्वासन देने हेतु कोई अभिलेख प्रस्तुत करने में भी विफल रहा कि सरकार ने योजना के लागत-लाभ विश्लेषण को करने हेतु कोई प्रणाली बनाई है ताकि निर्धारित कम्पनियों को दी गई छूटों/अननुमतियों से समाज को प्राप्त हुए लाभ का निर्धारण किया जा सके।

## सिफारिशों का सार

### सर्वांगी मुद्दों के संदर्भ में

- (i) सीबीडीटी व्यवसाय की अवधि के दौरान अस्थाई उत्पादों के मूल्य का निर्धारण करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र विकसित करे है जहां ऐसे उत्पादों का बाजार मूल्य अस्थिरचित हो।

[पैरा 2.5]

- (ii) विभिन्न क्षेत्रों जैसे पवनचक्की के माध्यम से विद्युत उत्पादन, सहउत्पादन संयंत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन में व्यवसाय की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए सीबीडीटी धारा में शब्दावली 'उपक्रम' को उपयुक्त रूप से परिभाषित करने पर विचार करे।

[पैरा 2.6]

- (iii) सीबीडीटी धारा 80 आईए (5) के प्रावधानों को संशोधित करे ताकि सभी एओज द्वारा आरंभिक निर्धारण वर्ष से पहले की अवधि से संबंधित अग्रणीत हानियों के समायोजन की कार्रवाई पर एकरूप स्थिति बनाई जा सके।

[पैरा 2.7]

- (iv) सीबीडीटी कार्बन क्रेडिट की बिक्री आगम से होने वाली आय पर अन्य स्रोतों से आय के रूप में कर लगाने पर विचार करे।

[पैरा 2.8]

- (v) सीबीडीटी धारा 92 सी (4) के पहले परन्तुक जो निर्धारित करता है कि एओ द्वारा निर्धारण के दौरान किये गए संवर्धन पर बढ़ी आय की राशि के संबंध में धारा 10ए, 10एए, 10बी अथवा अध्याय VI-ए के अन्तर्गत कोई कटौती अनुमत नहीं की जानी है के समान ऐसे प्रावधानों को शामिल करने पर विचार करे।

[पैरा 2.9]

### निर्धारण में गलती से संबंधित मुद्दे

- (vi) सीबीडीटी सुनिश्चित करे कि राजस्व की हानि से बचने के मद्देनजर लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारणों में दर्शायी गई गलतियों पर उचित ध्यान दिया गया है।

[पैरा 3.2 से 3.12]

**आन्तरिक नियंत्रण से संबंधित मुद्दे**

- (vii) सीबीडीटी कर अवकाश के प्रभाव के आंकलन के लिए आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार के अभिलेखों के अनुसार निर्धारिती द्वारा किये गए वास्तविक निवेश पर आईटीडी द्वारा अनुमत कर लाभ के बीच उपयुक्त संबंध के लिए एक तंत्र विकसित करे।

[पैरा 4.2.1]

- (viii) डीजी (प्रणाली) सीबीडीटी तथा क्षेत्रीय संगठनों द्वारा नियमित उपयोग के लिए निम्नलिखित सूचना वाला एमआईएस विकसित कर सकता है:

- व्यवसाय की प्रवृत्ति जैसे अवसंरचना, सड़कों, पत्तनों का विकास, विद्युत का उत्पादन इत्यादि, प्रारंभिक आकलन वर्ष जिससे निर्धारिती द्वारा कटौती का दावा किया गया था, के साथ पात्र व्यवसाय की शुरुआत का वर्ष तथा संबंधित पूर्व वर्षों में पात्र व्यवसाय में निर्धारिती द्वारा वहन की गई हानि जिसमें ऐसी कटौती का दावा किया गया था।
- मूल निर्धारण में कटौती अनुमत की गई तथा यदि कटौती अनुमत नहीं की गई है तो क्या यह सीआईटी (अपील), आईटीएटी, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमत की गई थी;

[पैरा 4.3]

- (ix) सीबीडीटी पात्र इकाई के वर्ष वार ब्रेकअप को दर्शाते हुए अग्रणीत हानि/अनावशोषित मूल्यहास के साथ अनुमत मूल्यहास हेतु कालम शामिल करने के लिए प्रपत्र 10 सीसीबी के संशोधन पर विचार करे।

[पैरा 4.6]

- (x) सीबीडीटी एक तकनीकी रूप से सक्षम प्राधिकारी यथा क्षेत्र नियामक द्वारा प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग से अवसंरचना गतिविधि के प्रमाणीकरण पर विचार करे।

[पैरा 4.9]

## अध्याय 1: प्रस्तावना

### 1.1 प्रस्तावना

एक अच्छी अवसंरचना अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अनिवार्य है। पिछले दशक के दौरान अवसंरचना क्षेत्रों, जैसे विद्युत उत्पादन, रेलवे, सड़क, पोर्टों, एयरपोर्टों, सिंचाई, जलापूर्ति तथा दूरसंचार सेवाओं में भारी निवेश ने विश्व में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने में भारत की सहायता की है। अवसंरचना विकास ने भारत में बेहतर निवेश परिवेश भी उपलब्ध कराया है।

सरकार अच्छी अवसंरचना उपलब्ध कराने की सभी आवश्यकताओं को अकेले पूरा नहीं कर सकती। अतः निजी क्षेत्र को भी कर अवकाश का प्रावधान करके देश में अवसंरचना विकास हेतु आमंत्रित किया गया है। वित्त अधिनियम, 1999 ने आयकर अधिनियम (अधिनियम) की धारा 80 आईए को नई धारा 80 आईए तथा 80 आईबी से प्रतिस्थापित किया। धारा 80 आईए धारा में प्रावधान की गई शर्तों को पूरा करने के विषयाधीन कुछ अवधिके लिए सौ प्रतिशत पर “अवसंरचना विकास” अथवा “पात्र व्यवस्था” में लगे औद्योगिक उपक्रमों या उद्यमों के लाभों एवं प्राप्तियों के संबंध में कटौतियों का प्रावधान करती हैं।

धारा 80 आईए के प्रावधानों पर परिशिष्ट 1 में संक्षिप्त में चर्चा की गई है। अध्याय IVए पर लागू धारा 80ए, 80एबी और 80 एसी के मुख्य प्रावधान भी धारा 80 आईए के अंतर्गत कटौती की अनुमति देते समय लागू रहते हैं। 32(1) (i) के साथ पठित परिशिष्ट 1ए के अनुसार मूल्यहास की दरे विद्युत क्षेत्र कम्पनियों पर विशेष रूप से लागू होती है जिसके लिए धारा 80 आईए के अंतर्गत कर प्रोत्साहन की अनुमति दी गई है।

### 1.2 संगठनात्मक ढांचा

राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अंग के रूप में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) एक शीर्ष निकाय है जिसे प्रत्यक्ष करों के प्रशासन का

प्रभार दिया गया है। सीबीडीटी की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाती है और इसमें छह सदस्य शामिल होते हैं। अपने कार्यों एवं जिम्मेदारियों के अतिरिक्त, सीबीडीटी के क्षेत्रीय कार्यालयों पर पर्यवेक्षी नियंत्रण करने के लिए सीबीडीटी उत्तरदायी है। प्रधान मुख्य आयुक्त आयकर (प्र. सीसीआईटी)/मुख्य आयुक्त आयकर (सीसीआईटी)/महानिदेशक आयकर (डीजीआईटी) क्षेत्रीय कार्यालयों के अध्यक्ष होते हैं। प्रत्येक प्र. सीसीआईटी/सीसीआईटी/ डीजीआईटी की सहायता प्र. सीआईटी/सीआईटी/डीआईटी, अपर/संयुक्त सीआईटी, उप सीआईटी/डीडीआईटी, सहायक सीआईटी/एडीआईटी और आईटीओज द्वारा की जाती है।

### 1.3 हमने यह विषय क्यों चुना

वित्त मंत्रालय द्वारा संघ बजट के साथ प्रस्तुत की गई केंद्रीय कर प्रणाली के अंतर्गत पूर्व निश्चित राजस्व के वार्षिक विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80आईए के अंतर्गत की गई कटौतियां प्रत्यक्ष करों के तहत पूर्व निश्चित कुल राजस्व/ कर व्यय का लगभग 16.5 प्रतिशत बनती थी। इसके अलावा, निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए विषय का चयन करने के लिए अन्य आधार निम्नानुसार है:

- धारा 80-आईए अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 10 वर्षीय कर अवकास का प्रावधान करती है। इस धारा के प्रावधानों को अवसंरचना क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के बदलते डायनामिक्स के अनुरूप पिछले दो दशकों में बनाया गया है। हालांकि, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण (बीओटी) तथा निर्माण, स्वाम्य, संचालन और हस्तांतरण (बीओओटी) पीपीपी परियोजनाओं में सबसे साधारण मॉडल है, फिर भी इनके थोड़े से भिन्न प्रकार निर्माण एवं हस्तांतरण (बीटी) और निर्माण, संचालन, पट्टा एवं हस्तांतरण (बीओएलटी) हैं जिसकी अवसंरचना विकास में संलिप्त 'उचित व्यवसाय' की परिभाषा के संदर्भ में जांच करना अपेक्षित था।
- धारा 80 आईए के प्रावधानों के परिणामस्वरूप कर विवाद पर कर अवकाश हेतु स्कोप एवं पात्रता मानदंड पर विवाद एवं महत्वपूर्ण बहस

हुई, अधिकतर मामलों में, न्यायालयों एवं अधिकरणों ने कर प्रोत्साहन प्रावधान के पीछे बड़ी वैधानिक अभिलाषा को ध्यान में रखते हुए उदार दृष्टिकोण रखा, इसकी भी उनके कार्यान्वयन के संबंध में गहराई से जांच करना अपेक्षित हैं।

- यह सुनिश्चित करना आवश्यक समझा गया कि क्या 2008 की सीएजी के प्रतिवेदन सं. पीए 7 के अध्याय III में धारा 80 आईए से सम्बंधित प्रावधानों के अनुपालन में उस समय शामिल किए गए प्रणालीगत मुद्दों/कमियों का प्रावधानों के अनुपालन में उचित स्तरों पर पर्याप्त रूप से समाधान किया गया है।

#### 1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह निष्पादन लेखापरीक्षा निर्धारित कम्पनियों की चयनित संवीक्षा की गई आयकर विवरणियों की जांच के माध्यम से आश्वासन प्राप्त करना चाहती है कि:

- (i) विभाग द्वारा कटौती की अनुमति केवल अधिनियम/नियमावली/परिपत्रों/अनुदेशों के अनुरूप पात्र निर्धारितियों/व्यवसायों को दी गई है;
- (ii) धारा 80आईए के अंतर्गत सामान्य तथा विशेष परिस्थितियों में कटौती की अनुमति की मॉनीटरिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण तंत्र मौजूद है;
- (iii) कटौती की अनुमति से संबंधित नीति के प्रशासन में अधिनियम के प्रावधानों में कोई कमी/अस्पष्टता नहीं है जिससे मुकद्दमेबाजी को बल मिलता है; और
- (iv) धारा 80आईए के अंतर्गत इसके कर अवकाश अथवा विस्तारण के उद्देश्य को प्राप्त कर लिया गया है;

#### 1.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

इस निष्पादन लेखापरीक्षा में वित्तीय वर्ष (वि.व) 2012-13 से 2014-15 के दौरान और लेखापरीक्षा की तारीख तक चयनित यूनिटों में किए गए संवीक्षा निर्धारणों, संशोधनों एवं आशोधनों को शामिल किया गया है। जहां अपेक्षित था, वहाँ पिछले निर्धारण वर्षों के निर्धारण अभिलेखों की भी जांच की गई थी।

## 1.6 लेखापरीक्षा नमूना

महानिदेशक आयकर (प्रणाली), नई दिल्ली ने निर्धारितियों द्वारा धारा 80आईए के अंतर्गत दावा की गई कटौती के ब्यौरे प्रस्तुत किए थे जिसमें वि.व. 2010-11 से 2012-13 से संबंधित 4,977 अभिलेखों शामिल हैं जिसे नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

डीजीआईटी (प्रणाली) द्वारा प्रस्तुत दावा की गई कटौती के ब्यौरे (₹ करोड़ में)		
निर्धारण वर्ष	मामलों की संख्या	दावा की गई कटौती
2010-11	1,516	40,740.00
2011-12	1,752	36,504.00
2012-13	1,709	32,220.00
<b>कुल</b>	<b>4,977</b>	<b>1,09,464.00</b>

इन सभी मामलों के निर्धारण अभिलेखों को लेखापरीक्षा हेतु लिया गया था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए, यदि कोई है, धारा 80-आईए के अंतर्गत कटौतियों का दावा करने वाले और डीजीआईटी (प्रणाली) नई दिल्ली द्वारा दी गई सूची में शामिल न किए गए निर्धारितियों से संबंधित निर्धारण अभिलेखों की भी जांच की गई थी। चयनित निर्धारितियों के संक्षिप्त निर्धारणों, यदि कोई था, की भी जांच की गई थी, जहाँ आवश्यक समझा जाए।

## 1.7 आभार

आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा मांगे गए सभी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए थे। लेखापरीक्षा द्वारा मांगे गए 5,227 अभिलेखों में से केवल 4,153 अभिलेख प्रस्तुत किए गए थे। अप्रस्तुत अभिलेख 20.55 प्रतिशत गिने गए। परिशिष्ट 2 प्रस्तुत न किए गए अभिलेखों के ब्यौरे दर्शाता है।

तथापि, हम निष्पादन लेखापरीक्षा के सम्पादन से जुड़े हुए अभिलेख तथा सूचना उपलब्ध कराकर लेखापरीक्षा को सरल बनाने में आईटीडी<sup>1</sup> के सहयोग के लिए आभार प्रकट करते हैं। हमने 5 अगस्त 2015 को सीबीडीटी के साथ एन्ट्री कान्फ्रेंस का आयोजन किया था जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र तथा लेखापरीक्षा जांच के मुख्य क्षेत्रों की व्याख्या की थी।

हमने अप्रैल 2016 में सीबीडीटी को उनकी टिप्पणियों के लिए ड्राफ्ट निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की थी। सीबीडीटी से जून 2016 में ड्राफ्ट लेखापरीक्षा रिपोर्टों की सिफारिशों के सार के उत्तर प्राप्त होने के पश्चात हमने लेखापरीक्षा निष्कर्षों तथा सिफारिशों के साथ-साथ सीबीडीटी के उत्तर पर चर्चा करने के लिए 27 जून 2016 को एक्जिट कान्फ्रेंस का आयोजन किया था। हमने सीबीडीटी के उत्तर को, उस पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों सहित, इस प्रतिवेदन में सिफारिशों में शामिल किया है।

---

<sup>1</sup> आयकर विभाग

## अध्याय 2 : प्रणालीगत मुद्दे

### 2.1 प्रस्तावना

हमने ऐसे 229 मामले देखे जिनमें अधिनियम के कुछ त्रुटिपूर्ण, अस्पष्ट अनिश्चित और अस्पष्ट प्रावधानों के कारण अवसंरचना विकास में लगे निर्धारितियों को अवांछित लाभ दिए गए थे जिसके कारण परिहार्य मुकद्दमेबाजी हुई। यह अध्याय अधिनियम की धारा 80-आईए के अंतर्गत निर्धारित कम्पनियों को कटौती की अनुमति के संबंध में प्रणालीगत मुद्दों पर केन्द्रित है।

लेखापरीक्षा में देखे गए प्रणालीगत मुद्दों को निम्नलिखित तालिका 2.1 में दर्शाया गया है:

पैरा संख्या	तालिका 2.1: त्रुटियों की प्रवृत्ति	मामले	कर निहितार्थ (₹ करोड़ में)
2.2	अपात्र निर्धारितियों को कटौती की अनुमति	33	205.84
2.3	उस व्यवसाय को कटौती अनुमत की गई जो अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं था	16	174.35
2.4	न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) की गलत गणना	10	14.12
2.5	अस्थायी वस्तुओं का मूल्यांकन	15	0
2.6	व्यवसाय बनाम उपक्रम की आय/हानि का एकत्रीकरण	9	27.15
2.7	पात्र यूनिटों के संबंध में अग्रेषित हानियाँ तथा अनावशोषित मूल्यहास के समंजन में विसंगति	110	119.20
2.8	कार्बन क्रेडिटों की बिक्री से प्राप्तियों का प्रबंध	19	34.77
2.9	संवीक्षा निर्धारण के दौरान की गई वृद्धियों पर कटौती की अनुमति	9	74.66
2.10	आंतरिक/निजी उपयोग हेतु विकसित की गई अवसंरचना पर कटौती	8	2066.70
	<b>कुल</b>	<b>229</b>	<b>2716.79</b>

## 2.2 अपात्र निर्धारितियों को अनुमत की गई कटौती

आयकर अधिनियम की धारा 80आईए (4) प्रावधान करता है कि

- उद्यम कटौतियों के लिए पात्र भारतीय कम्पनी, अथवा ऐसी कम्पनियों के संघ अथवा किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित या गठन किए गए प्राधिकरण या बोर्ड या निगम या किसी दूसरे निकाय के स्वामित्व में होना चाहिए।
- उद्यम को सरकारी सत्व (अर्थात् केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या कोई अन्य सांविधिक निकाय) के साथ एक करार करना होगा।
- उस मामले में जहां संरचनात्मक सुविधा को एक उद्यम द्वारा हस्तांतरित किया जाता है, जिसने ऐसी संरचनात्मक सुविधा का विकास दूसरे उद्यम के परिचालन और अनुरक्षण के उद्देश्य से किया हो, उसकी ओर से एक संरचनात्मक सुविधा, सरकार या सांविधिक निकाय के साथ करार के अनुसार हो तो हस्तांतरित उद्यम भी ठेके की असमाप्त अवधि के लिए कटौती का हकदार होगा।
- दूरसंचार सेवाओं के मामले में, कोई भी उपक्रम जिसने 1 अप्रैल 1995 के बाद किन्तु 1 अप्रैल 2005 से पूर्व दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना शुरू किया था, वह धारा 80आईए के अन्तर्गत कटौती के पात्र होंगे।
- औद्योगिक पार्क/विशेष आर्थिक जोन के मामले में, औद्योगिक पार्क योजना के तहत मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में निर्धारित शर्तों का अनुपालन एक अनिवार्य आवश्यकता है।

कटौती के उद्देश्य से सरकार ने किसी व्यक्ति (केन्द्र या राज्य सरकार सहित) द्वारा दिए गए एक निर्माण कार्य ठेके की प्रकृति और उद्यम या सत्व द्वारा निष्पादित, जैसा भी मामला हो, के व्यवसाय को, अलग<sup>2</sup> रखा। यह न्यायिक

---

<sup>2</sup> 2007 और 2009 के वित्त अधिनियम के माध्यम से 1 अप्रैल 2000 से पूर्वव्यापी प्रभाव से किए गए संशोधनों के साथ सन्निविष्ट संशोधन।

निर्णय<sup>3</sup> दिया गया था कि स्पष्टीकरण मुख्य प्रावधान के लागू होने के समय से प्रभावी मुख्य प्रावधान के साथ पढा जाए।

13 राज्यों<sup>4</sup> में 33 मामलों में हमने पाया कि आयकर विभाग ने उन निर्धारितियों को कटौती अनुमत की थी जिन्होंने विदेशी कम्पनियों, एओपी के स्वामित्व वाले उपक्रमों, उन निर्धारितियों जिन्होंने सरकार से करार नहीं किया था, गैर अनुपालन औद्योगिक पार्क को कटौती अनुमत की थी और निर्माण कार्य ठेकेदारों को इससे बाहर रखा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 205.84 करोड़ के कर प्रभाव वाली आय का कम निर्धारण हुआ (परिशिष्ट 3)।

**बाक्स 2.1: अपात्र निर्धारितियों को अनुमत की गई कटौती पर निदर्शी मामले**

**क. प्रभाव: प्र. सीआईटी-14, मुम्बई**  
**निर्धारिती: मै. महाराष्ट्र राज्य विद्युत ट्रांसमिशन क. लि.**  
**निर्धारण वर्ष: 2010-11 से 2012-13**  
**पैन: AAECM2936N**

उपरोक्त निर्धारण वर्ष के लिए एओ ने निर्धारिती को विद्युत ट्रांसमिशन व्यवसाय के लिए क्रमशः ₹ 27.12 करोड़, ₹ 42.52 करोड़ और ₹ 65.85 करोड़ की कटौती अनुमत की थी। हमने पाया कि निर्धारिती कम्पनी ने संचयी स्थायी परिसम्पत्तियों में नए संवर्धनों पर 'इक्विटी के रिटर्न' के आधार पर अनुमानतः 14 प्रतिशत पर निकाली गई आय पर कटौती का दावा किया, जो सही नहीं था क्योंकि अधिनियम में ऐसी अनुमानतः संगणित आय पर कटौती के दावे का कोई प्रावधान नहीं था। एओ द्वारा ₹ 135.49 करोड़ की आय की कटौती की गलत अनुमति में ₹ 44.71 करोड़ का कर प्रभाव निहित था। विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था।

**ख. प्रभार: प्र. सीआईटी (केन्द्रीय-1), कोलकाता**  
**निर्धारिती: मै. जैन इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष: 2008-09 से 2011-12**  
**पैन: AACCB9831F**

एओ ने निर्धारिती कम्पनी को ₹ 102.83 करोड़ की कटौती अनुमत की थी। हमने पाया कि निर्धारिती ने कार्य का निष्पादन (i) सडक कार्य के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण कार्य विभाग (सीपीडब्ल्यूडी), (ii) डीवीसी, मेजिया में क्वार्टरों के निर्माण (जल आपूर्ति/सफाई व्यवस्था सहित) के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण कारपोरेशन लिमिटेड, (एनबीसीसी) (iii) सडक कार्य के लिए वेस्टिंग हाऊस सैक्सवाई फार्मर लिमिटेड (डब्ल्यूएसएफएल) (iv) मोतीहारी जिले में सडक

<sup>3</sup> अपील (सिविल) 2005 की 351-355, दिनांक 17 नवम्बर 2005 एससी सडको फोरेक्स इंटरनेशनल ड्रिल इंक एवं अन्य बनाम सीआईटी देहरादून एवं एएनआर

<sup>4</sup> आन्ध्र प्रदेश (3), बिहार (1), चण्डीगढ़ (1), दिल्ली (5), गुजरात (2), झारखण्ड (1), कर्नाटक (2), केरल (1), मध्यप्रदेश (2), महाराष्ट्र (7), राजस्थान (1), तमिलनाडू (4), और पश्चिम बंगाल (3)

सुधार के लिए कार्यकारी अभियन्ता आरसीडी, बिहार और (v) समस्तीपुर जिला, बिहार इत्यादि में राज्य राजमार्ग की मौजूदा सड़कों के सुधार/उन्नयन के लिए इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकान) के साथ समझौते के अनुसार किया था। यह समझौते केवल कार्य के निष्पादन के लिए संविदात्मक समझौते की प्रकृति के होने के नाते, निर्धारिती कम्पनी को कटौती का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्माता के रूप में नहीं कहा जा सकता। एओ द्वारा ₹ 102.83 करोड़ की आय की कटौती की अनियमित अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 34.75 करोड़ का कर कम प्रभारित हुआ। आयकर विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2016)।

**ग. प्रभार: सीआईटी-II, दिल्ली**

**निर्धारिती: मै. सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मनेजमेंट इंडिया प्रा.लि.**

**निर्धारण वर्ष: 2011-12 और 2012-13**

**पैन : AADCC6885B**

एओ ने नि.व. 2011-12 और 2012-13 के लिए निर्धारिती कम्पनी को क्रमशः ₹ 83.15 करोड़ और ₹ 15.49 करोड़ की कटौती अनुमत की थी। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (डायल) ने मै एयरपोर्ट अथॉरिटी आफ इंडिया के साथ परिचालन, अनुरक्षण, विकास, डिजाइन, निर्माण, उन्नयन, आधुनिकीकरण, वित्त और आइजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली के प्रबंधन के लिए करार किया (अप्रैल 2006)। बाद में अगस्त 2009 में डायल ने एयरपोर्ट पर कार्गो टर्मिनल के उन्नयन, वित्त पोषण, परिचालन अनुरक्षण और प्रबन्धन का अधिकार निर्धारिती कम्पनी को 25 वर्षों की अवधि के लिए दे दिया। निर्धारिती कम्पनी ने सीधा सरकार के साथ करार नहीं किया था इसलिए वह कटौती के योग्य थी। दोनों निर्धारण वर्षों के लिए एओ द्वारा कटौती अननुमत न करने की चूक के परिणामस्वरूप ₹ 98.64 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 32.65 करोड़ का संभावी कर प्रभाव शामिल था।

विभाग ने उत्तर दिया कि कम्पनी डायल के साथ छूट करार के तहत कार्य का निष्पादन कर रही थी जो एएआई और जीएमआर एयरपोर्ट्स लि. कम्पनी का एक संयुक्त उद्यम था और कार्गो टर्मिनल एयरपोर्ट संरचना का एक अभिन्न भाग था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निर्धारिती कम्पनी ने केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/संविधिक निकाय के साथ संरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए सीधे तौर पर कोई करार नहीं किया था, जिससे वह आयकर अधिनियम की धारा 80 आईए के तहत कटौती के लिए योग्य हो।

**घ. प्रभार: सीआईटी-V, हैदराबाद**

**निर्धारिती: मै. युनाइटेड पोर्ट सर्विसेस प्रा.लि. हैदराबाद**

**निर्धारण वर्ष : 2010-11, 2011-12 और 2012-13**

**पैन: AABCJ0188Q**

एओ ने निर्धारिती कम्पनी, जो संरचनात्मक सुविधा के निर्माण, परिचालन एवं अनुरक्षण का कार्य करती थी को काकीनाडा डीप वाटर पोर्ट में आवंटित अधिसूचित पोर्ट भूमि के कुछ भाग में तीन मौजूदा बर्थों के परिचालन एवं अनुरक्षण और 4थे बर्थ के विकास, परिचालन एवं अनुरक्षण और जिसने चारों बर्थों के लिए कटौती का दावा किया था, को ₹ 87.65 करोड़ की

कटौती अनुमत की थी। हमने पाया कि आन्ध्र प्रदेश सरकार के साथ मै. काकीनाडा सीपोर्ट्स लि. (केएसपीएल) द्वारा एक करार किया गया था और पोर्ट क्षेत्र को निर्धारित कम्पनी को किराए पर दिया गया था। चूंकि निर्धारिती ने सरकार के साथ करार नहीं किया था, वह धारा 80-आईए के तहत कटौती के लिए पात्र नहीं था। कटौती अननुमत करने की चूक के परिणामस्वरूप ₹ 87.65 करोड़ की आय जिसमें ₹ 29.09 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था का कम निर्धारण हुआ। आयकर विभाग ने इस आधार पर आपत्ति को स्वीकार नहीं किया कि मै. केएसपीएल ने वैसल को जल आपूर्ति का कार्य आगे किराए पर दिया था और निर्धारिती ने आन्ध्र प्रदेश सरकार से मै. केएसपीएल के साथ आगे और भूमि पट्टे के लिए अनुमोदन प्राप्त किया था। यह पुष्टि हुई है कि बंकरिंग, पाइपलाइन और अन्य सुविधाओं के लिए विकसित संरचनात्मक सुविधाएं कटौती के लिए पात्र हैं। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि निर्धारिती का केन्द्र/राज्य सरकार के साथ कोई सीधा करार नहीं हुआ था। आयकर निदेशक (आसूचना) हैदराबाद ने भी निष्कर्ष दिया था (नवम्बर 2013) कि निर्धारिती धारा 80 आईए के तहत योग्य नहीं था।

**इ. प्रभार: प्र. सीआईटी (केन्द्रीय), नागपुर**  
**निर्धारिती: मै. एसएमएस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2010-11 और 2011-12**  
**पैन : AACCS9854P**

एओ ने नि.व. 2010-11 और 2011-12 के लिए सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए निर्धारिती को ₹ 11.30 करोड़ और ₹ 13.99 करोड़ की कटौती अनुमत की थी। हमने पाया कि निर्धारिती कम्पनी ने मै. इंटरनेशनल रोड डायनामिक्स इंक (एक कम्पनी जो कनाडा के कानून के तहत समाविष्ट थी) के साथ संयुक्त उद्यम किया और एक टोल रोड के परिचालन और अनुरक्षण और पश्चिम बंगाल सरकार के एचआरबीसी, कोलकाता के टोल प्लाजा विद्या सागर सेतु पर टोल संग्रहण कार्य का दायित्व लिया। चूंकि मै. इंटरनेशनल रोड डायनामिक्स इंक कनाडा की कम्पनी होने के नाते, भारतीय कम्पनी के साथ बनाया गया संयुक्त उद्यम भारतीय कम्पनियों का संघ नहीं था, निर्धारिती धारा 80 आईए के तहत कटौती के लिए पात्र नहीं था। एओ द्वारा कटौती को अननुमत करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 25.29 करोड़ की आय की कटौती की गलत अनुमति हुई जिसमें ₹ 8.49 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। आयकर विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)।

**च. प्रभार: प्र. सीआईटी 3, मुम्बई**  
**निर्धारिती : मै. रिलायन्स इंडस्ट्रीयल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2010-11, 2011-12 और 2012-13**  
**पैन : AAACR7637P**

एओ ने नि.व. 2010-11 और 2012-13 में संवीक्षा निर्धारण के दौरान ₹ 7.26 करोड़ और ₹ 7.32 करोड़ और नि.व 2011-12 में संवीक्षा निर्धारण के दौरान ₹ 7.06 करोड़ की कटौती अनुमत की थी। निर्धारिती सूरत नगर निगम, हजीरा क्षेत्र इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और सिंगनपुर वेयर परियोजना के लिए भागीदार उद्योगों के साथ आरआईएल द्वारा निष्पादित एक

त्रिपक्षीय समझौते के प्रति तापी नदी से, रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि. (आरआईएल), हजीरा के पेट्रोकेमिकल काम्पलेक्स से पाइपलाइन के माध्यम से कच्चे पानी की आपूर्ति के व्यवसाय में लगा था। इसके अतिरिक्त, आरआईएल ने अधिनियम की धारा 194सी के तहत टीडीएस की कटौती के बाद कच्चे पानी की आपूर्ति के लिए निर्धारिती कम्पनी को ₹ 8.07 करोड़ का भुगतान किया। इसलिए, आरआईएल के एक ठेकेदार होने के नाते निर्धारिती कम्पनी कटौती के लिए पात्र नहीं थी। ₹ 21.64 करोड़ की कटौती की अनियमित अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 7.19 करोड़ के कर प्रभाव का कम निर्धारण हुआ।

आयकर विभाग ने यह कहते हुए आपत्ति को स्वीकार नहीं किया कि धारा 80 आईए के स्पष्टीकरण में संरचनात्मक सुविधा (नवम्बर 2015) के रूप में जल आपूर्ति परियोजना शामिल है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्धारिती केवल एक ठेकेदार था और अतः धारा 80 आईए के तहत कटौती के लिए बिल्कुल भी पात्र नहीं था।

**छ. प्रभार : सीआईटी ॥ वडोदरा**

**निर्धारिती : मै. नेटाफिम इरिगेशन इंडिया प्रा.लि.**

**निर्धारण वर्ष : 2011-12**

**पैन: AAACE4738J**

एओ ने ड्रिप इंटिगेशन सिस्टम के विनिर्माण और विपणन के व्यवसाय में लगी निर्धारिती कम्पनी को ₹ 9.21 करोड़ की कटौती अनुमत की थी। हमने पाया कि अपेक्षित करार मै. नेटाफिम एसीएस और इंडिया लि. और आन्ध्र प्रदेश सरकार के बीच हस्ताक्षर किया गया था और निर्धारिती कम्पनी और राज्य सरकार के बीच नहीं। निर्धारिती कम्पनी पूर्ण रूप से नेटाफिम लि. इजराइल (पूर्व में नेटाफिम एसीएस इजराइल के रूप में जानी जाती थी) के स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी थी और उसने किसी केन्द्र या राज्य सरकार के साथ कोई करार नहीं किया था और इसलिए वह कटौती के लिए पात्र नहीं थी। कटौती की अननुमति में एओ की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 9.22 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 4.53 करोड़ का कर कम लगाया गया था। **आयकर विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2015)।**

**ज. प्रभार: सीआईटी तिरुवनंत पुरम**

**निर्धारिती: मै. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गोज इको फ्रेंडली (इमेज)**

**निर्धारण वर्ष : 2010-11, 2011-12 और 2012-13**

**पैन : AAAAI1681A**

एओ ने नि.व 2010-11 से 2012-13 के लिए निर्धारिती को अस्पतालों में सृजित बायो मेडिकल वेस्ट के निपटान की सुविधा प्रदान करने के लिए ₹ 6.41 करोड़ की कटौती अनुमत की थी। निर्धारिती की स्थिति 'व्यक्तियों के संघ' होने के नाते धारा 80 आईए(4) (i) में निर्दिष्ट किसी स्थिति में नहीं आती थी और इसलिए निर्धारिती कटौती के लिए पात्र नहीं था। कटौती की अननुमति में एओ की चूक के परिणामस्वरूप ₹ 6.41 करोड़ की आय का कम

निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 2.60 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए धारा 263 (फरवरी 2015) के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की।

**झ. प्रभार : सीआईटी II कोयम्बटूर**  
**निर्धारिती : मै. आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लि.**  
**निर्धारण वर्ष: 2010-11 और 2011-12**  
**पैन : AAACR93071**

एओ ने नि.व 2010-11 और 2011-12 के लिए क्रमशः ₹2.30 करोड़ और ₹ 5.71 करोड़ की कटौती अनुमत की। हमने पाया कि निर्धारिती कम्पनी ने सरकारी/सांविधिक निकायों से संबंधित सम्पत्तियों के निर्माण के लिए निर्माण कार्य ठेका किया और ठेके की राशि के भुगतान के बाद उनसे अलग हो गया। एओ ने नि.व 2012-13 के लिए संवीक्षा निर्धारण पूरा करते समय यह भी निर्णय दिया कि निर्धारिती निर्माण कार्य करार के निष्पादन में लगा था और तदनुसार कटौती को अननुमत किया। चूंकि नि.व. 2010-11 और 2011-12 के लिए निर्धारिती की स्थिति समान थी, इसलिए दावा की गई कटौती नि.व. 2010-11 और 2011-12 के लिए भी अननुमत की जानी चाहिए थी। अतः एओ कटौती को अननुमत करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8.01 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें नि.व. 2010-11 और 2011-12 के लिए ₹ 2.10 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। आयकर विभाग लेखापरीक्षा आपत्ति की जांच करने के लिए सहमत हो गया (मार्च 2014)।

अतः उपरोक्त से यह पाया गया कि एओज लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित पूर्व योग्यताओं का मूल्यांकन नहीं कर सके और उन निर्धारितियों को अनियमित रूप से कटौती अनुमत की जो कटौती के लिए या तो सरकार के साथ सीधे करार नहीं करने के कारण या निर्माण कार्य ठेकेदार होने के नाते, या विदेशी कम्पनियों इत्यादि के साथ सहयोग द्वारा बनाए गए संयुक्त उद्यम द्वारा विकसित संरचना के कारण पात्र नहीं थे। दिनांक 27 जून 2016 के सीबीडीटी के ईमेल द्वारा उत्तर में विशिष्ट मामलों या बताए गए प्रणालीगत मामलों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान भी कोई उत्तर/टिप्पणी नहीं दी गई थी।

### 2.3 उस व्यवसाय को कटौती अनुमत की गई जो अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं था

किसी संरचनात्मक सुविधा के विकास या परिचालन और अनुरक्षण या विकास, परिचालन या अनुरक्षण सेवा प्रदान करने, विकास या विकास और परिचालन या अनुरक्षण, दूरसंचार और एक औद्योगिक पार्क या केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष आर्थिक जोन के परिचालन, विद्युत के सृजन या सृजन या वितरण सहित ट्रांसमिशन या वितरण लाइनों के मौजूदा नेटवर्क का महत्वपूर्ण नवीकरण और आधुनिकीकरण व्यवसाय वह संरचनात्मक सुविधाएं हैं जो धारा 80 आईए के तहत कटौती के योग्य हैं।

धारा 80 आईए (4) का स्पष्टीकरण संरचनात्मक सुविधा<sup>5</sup> का ब्यौरा देता है किन्तु यह अन्य अधीनस्थ/सहायता सेवाओं और सुविधाओं जैसे ईंधन सुविधा, पार्किंग सुविधा इत्यादि, जो एयरपोर्ट के सुचारु परिचालन के लिए अपेक्षित हैं का उल्लेख नहीं करता है अतः इन सहायक सेवाओं को धारा 80 आईए के अंतर्गत कटौती के प्रयोजनार्थ पात्र अवसंरचना को सुविधा नहीं माना जाएगा।

आठ<sup>6</sup> राज्यों में 16 मामलों में हमने पाया कि आयकर विभाग ने निर्धारिती कम्पनियों को धारा 80 आईए के तहत आय से कटौती अनुमत की थी, जहाँ प्लानों की बिक्री, परियोजनाएं जो संरचनात्मक सुविधाओं में शामिल नहीं थी, रूपान्तरण प्रभार, पार्कों के विकास/अनुरक्षण इत्यादि जैसे व्यवसाय कटौती के लिए योग्य नहीं थे।

आयकर विभाग द्वारा कटौतियों को अननुमत करने में विफलता के परिणामस्वरूप आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 174.35 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था (परिशिष्ट 4)।

<sup>5</sup> (i) टोल सड़क सहित एक सड़क, एक पुल या एक रेल प्रणाली (ii) राजमार्ग परियोजना, (iii) जलापूर्ति परियोजना, जल उपचार प्रणाली, सिंचाई परियोजना, स्वच्छता तथा सीवरेज प्रणाली या ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली (iv) पोर्ट, एयरपोर्ट, इनलैंड जलमार्ग (समुद्र में इनलैंड पोर्ट या नौवाहन चैनल 1 अप्रैल 2001 से लागू वित्त अधिनियम 2002 पात्र व्यवसायों की सूची में से समान प्रकृति की अन्य सार्वजनिक सुविधाएं जैसा कि बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए' शब्दावली को हटा दिया गया था।

<sup>6</sup> आन्ध्र प्रदेश (1), बिहार (1), दिल्ली (4), गुजरात (2), कर्नाटक (1), मध्यप्रदेश (1), महाराष्ट्र (2), और पश्चिम बंगाल (4)

**बाक्स 2.2: निदर्शी मामले जहाँ उस व्यवसाय को कटौती अनुमत की गई जो अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं थे**

**क. प्रभार : सीआईटी III, दिल्ली**  
**निर्धारिती : मै. दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रीयल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.**  
**निर्धारण वर्ष : 2011-12 और 2012-13**  
**पैन : AAACD 1257F**

एओ ने निर्धारिती कम्पनी को संरचनात्मक सुविधा के विकास, परिचालन और अनुरक्षण के लिए ₹ 239.60 करोड़ की कटौती अनुमत की थी। लेखापरीक्षा के दौरान, हमने पाया कि कटौती प्लाटों की बिक्री, परिवर्तन प्रभार और ब्याज आय इत्यादि से आय पर अनुमत की गई थी जो आय कटौती के लिए योग्य नहीं थी। कटौती की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 239.60 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 86.76 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।

**ख. प्रभार : सीआईटी-I, हैदराबाद**  
**निर्धारिती : मै. एपी पावर जेनरेशन कारपोरेशन लि.**  
**निर्धारण वर्ष : 2011-12 और 2012-13**  
**पैन: AACCA2734J**

एओ ने नि.व. 2011-12 और 2012-13 के लिए निर्धारितियों को ऐसे क्रियाकलापों पर ₹ 127.04 करोड़ की कटौती अनुमत की जैसे आन्ध्र प्रदेश सरकार की सिंचाई योजना के लिए एएमआरपी लिफ्ट को ओ एवं एम सेवाएं, विभिन्न विद्युत परियोजनाओं को परामर्श सेवाएं मुहैया कराना इत्यादि जो निर्धारिती के पात्र व्यवसाय अर्थात् विद्युत सृजन से अर्जित नहीं की गई थी। चूंकि उपरोक्त व्यवसायिक गतिविधियां पात्र व्यवसाय नहीं थी, कटौती को अननुमत किया जाना चाहिए था। कटौती को अननुमत करने में एओ की विफलता के परिणामस्वरूप धारा 80 आईए के तहत कटौती की अनियमित अनुमति दी गई जिसमें ₹ 41.80 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। आय कर विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था।

**ग. प्रभार : पीसीआईटी 5, मुम्बई**  
**निर्धारिती : मै. एबीजी कोलकाता कन्टेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2010-11 से 2012-13**  
**पैन : AACCC1919K**

एओ ने नि.व 2010-11 और 2012-13 के लिए संवीक्षा के बाद निर्धारिती कम्पनी को क्रमशः ₹ 7.04 करोड़ और ₹ 8.67 करोड़ और नि.व. 2011-12 के लिए कांडला पोर्ट ट्रस्ट को क्रेनों/ उपकरणों की आपूर्ति के लिए किराया प्रभारों से अर्जित आय पर संक्षिप्त निर्धारण में ₹ 8.89 करोड़ की कटौती अनुमत की। पोर्ट गतिविधियों के सुचारू परिचालन के लिए क्रेनों की आपूर्ति को संरचनात्मक सुविधा नामतः पोर्ट के विकास परिचालन और अनुरक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। इसलिए निर्धारिती धारा 80 आईए के तहत कटौती का हकदार नहीं था। कटौती को अननुमत करने में एओ की विफलता के परिणामस्वरूप सभी तीन निर्धारण वर्षों

के लिए ₹ 24.62 करोड़ की कटौती की अनियमित अनुमति हुई जिसमें ₹ 8.16 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।

विभाग ने उत्तर दिया कि पोर्ट पर संस्थापित क्रेनों को कन्टेनरों की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए प्रयोग किया गया था; इसलिए यह कार्य समान रूप से 'पोर्ट' की परिभाषा के विस्तारित मानदण्डों के अंतर्गत आता है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि निर्धारिती कम्पनी केवल क्रेनों की एक सेवा प्रदाता थी और कार्य अधिनियम द्वारा संरचनात्मक सुविधा की परिभाषा में शामिल नहीं था।

इसलिए उपरोक्त से यह देखा गया कि एओज निर्धारित व्यवसायों का अनुपालन करने में विफल रहे और विभिन्न विद्युत परियोजनाओं को परामर्श सेवाओं, क्रेनों की आपूर्ति से आय इत्यादि से अर्जित आय के प्रति अनियमित रूप से कटौती अनुमत कर रहे थे जो धारा 80आईए के तहत कटौती के लिए पात्र नहीं थी। दिनांक 27 जून 2016 के सीबीडीटी- की प्रतिक्रिया ई-मेल में उठाए गए विशिष्ट मामलों या बताए गए प्रणालीगत मामलों के बारे में कोई उत्तर नहीं देती। एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान भी कोई उत्तर/टिप्पणी नहीं दी गई थी।

#### 2.4 न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) की गलत गणना

धारा 115 जेबी में प्रावधान है कि जहां कुल आय पर देय आय कर, जैसा सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत गणना की जाती है उसके बुक लाभ के निर्धारित प्रतिशत से कम हो तो ऐसा बुक लाभ निर्धारिती की कुल आय माना जाएगा और ऐसी कुल आय पर निर्धारिती द्वारा देय कर समय समय पर निर्धारित दर/प्रतिशत पर आय कर की राशि होगी। धारा 115 जेबी (4) के तहत रिपोर्ट अधिनियम के नियम 40 बी के अनुसार फार्म सं. 29बी में देना अपेक्षित है जिसका लेखाकार द्वारा प्रमाणीकरण आवश्यक है। मैट की गणना में, किसी भी रिजर्व में ले जायी गयी राशि को बुक लाभ निकालने के लिए वापिस जोड़ना पड़ता है।

न्यायिक रूप से यह निर्णय<sup>7</sup> दिया गया था कि शेयरों की जब्ती अधिनियम की धारा 2 (47) के साथ पठित धारा 45 के संदर्भ में हस्तांतरण के बराबर है और यह एक पूंजीगत लाभ है। इसके अलावा यह भी निर्णय<sup>8</sup> दिया गया था कि यदि लाभ और हानि खाते को पूंजीगत लाभ पर विचार किए बिना निकाला जाता है तो, यह कम्पनी अधिनियम के भाग II और भाग III के प्रावधानों के अनुसार है नहीं कहा जा सकता और निर्धारिती को अधिनियम की धारा 45 के अन्तर्गत पूंजीगत लाभ द्वारा आय को ध्यान में रखना आवश्यक है और कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत बुक लाभ की गणना करते समय, निर्धारिती को धारा 115 जेबी के उद्देश्य के लिए पूंजीगत लाभ को शामिल करना होता है।

अधिनियम की धारा 115जेएए के तहत, अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुसार संगणित उसकी कुल आय पर निर्धारिती द्वारा भुगतान किए गए कर तथा देय कर की राशि में भिन्नता को कर क्रेडिट के रूप में स्वीकृत किया जाएगा।

लाभांश आय (धारा 115ओ में संदर्भित लाभांश के अलावा अन्य) पर धारा 10(23जी) के तहत छूट, एक मान्यताप्राप्त योग्य व्यवसाय में संलग्न किसी उपक्रम में दीर्घावधि वित्तपोषण के लिए 01 जून 1998 से शेयरों में निवेश से एक अवसंरचनात्मक पूंजीगत निधि अथवा/तथा अवसंरचनात्मक पूंजीगत कम्पनी के ब्याज अथवा एलटीसीजी को 01 अप्रैल 2007 से प्रभावी रूप में छोड़ा जाता है। इसलिए किसी योग्य व्यवसाय में वर्तमान के साथ-साथ आगामी निवेश से आय करयोग्य होगी।

हमने चार राज्यों<sup>9</sup> में 10 मामलों में यह देखा कि आयकर विभाग ने मेट को (i) आरक्षित, प्रावधानों को पुनः न जोड़कर, (ii) लाभ तथा हानि खाते में क्रेडिट पूंजीगत अर्जनो, (iii) मेट क्रेडिट के अधिक अग्रणीत को स्वीकार करना आदि द्वारा गलत प्रकार से संगणित किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 14.12 करोड़ के कर प्रभाव सहित आय का कम निर्धारण हुआ (परिशिष्ट 5)।

<sup>7</sup> डीसीआईटी बनाम बीपीएल (सेन्यो)फाइनेंस लि. (2009) 312 आईटी आर 63 (कर्नाटक)

<sup>8</sup> जरोदा प्लान्टेशन्स प्रा.लि. आईटीए सं. 4420/डेल/2011 आइटीएटी बेंच 'डी' दिल्ली

<sup>9</sup> आंध्र प्रदेश (4), दिल्ली (1), महाराष्ट्र (2) तथा राजस्थान (3)

**बॉक्स 2.3 न्यूनतम वैकल्पिक कर (मेट) की गलत संगवना पर निदर्शी मामले**

**क. प्रभार : सीआईटी-IV, हैदराबाद**  
**निर्धारिती : मै. लेन्को कॉडापल्ली पावर (प्रा.) लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2010-11**  
**पेन : AABCT4226B**

एओ ने सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 270.52 करोड़ की कटौती मंजूर की। हमने देखा कि बुक लाभ की संगणना करते समय, ₹ 39.40 करोड़ के करो की प्रतिपूर्ति के प्रति एपी ट्रांसको पर निर्मित बीजको को लाभ तथा हानि खाते में न डालकर संवीक्षा निर्धारण के दौरान पुनः जोड़ने का निर्णय लिया गया परन्तु मानी गई आय में नहीं जोड़ा गया। इसी प्रकार, पूंजीगत व्यय के प्रति ₹10 करोड़ की अननुमति को बुक लाभ में नहीं जोड़ा गया था। कटौती को अस्वीकृत करने की चूक के परिणामस्वरूप ₹8.40 करोड़ के कर प्रभाव वाली ₹ 49.40 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आयकर विभाग ने यह कहते हुए आपत्ति (दिसम्बर 2015) को स्वीकार नहीं किया कि आय की कथित मद को आय के रूप में मानने पर विचार नहीं किया गया। उत्तर इस आधार पर तर्कसंगत नहीं है कि यह एक बार-बार होने वाला मामला था तथा नि.व 2012-13 को छोड़कर प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए विभाग इसे बुक लाभ में जोड़ रहा था।

**ख. प्रभार : सीआईटी-I, गुन्टूर**  
**निर्धारिती : मै. ट्रांसस्टोरी (इंडिया) लिमिटेड गुन्टूर**  
**निर्धारण वर्ष : 2011-12**  
**पेन : AABCT4226B**

एओ ने निर्धारिती कम्पनी को ₹ 104.63 करोड़ की छूट मंजूर करने वाले अनुवर्ती आदेश को पास करते समय कटौती के लिए अयोग्य अन्य स्रोतों से ₹ 3.34 करोड़ की आय पर छूट स्वीकृत की। इस प्रकार, ₹ 1.11 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 3.34 करोड़ की अधिक कटौती स्वीकृत हुई। चूंकि कर का भुगतान विशेष प्रावधान के तहत किया गया था अतः मेट क्रेडिट को ₹ 1.11 करोड़ की सीमा तक कम किया जाना चाहिए। विभाग ने उत्तर प्रतीक्षित था।

अतः उक्त से यह पता चलता है कि अधिनियम के विशेष प्रावधानों के तहत अपेक्षित समायोजनों को निर्धारण आदेश में निर्धारण अधिकारी के स्पष्ट निर्णय के पश्चात भी अन्य बातों के साथ साथ नहीं किया गया था। सीबीडीटी के दिनांक 27 जून 2016 की ईमेल प्रतिक्रिया में उठाए गए विशेष मामले पर या बताए गए प्रणालीगत मामले पर कोई प्रतिक्रिया निहित नहीं थी। एग्जिट सम्मेलन में आयकर विभाग के प्रतिनिधियों ने मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की।

## 2.5 अस्थायी वस्तुओं का मूल्यांकन

धारा 80आईए(8) के अनुसार, यदि निर्धारिती के योग्य तथा अन्य व्यवसाय के बीच माल तथा सेवाओं का स्थानांतरण किया जाता है तो ऐसे माल का मूल्य माल के बाजार मूल्य के समान होगा। यदि योग्य व्यवसाय के खातों में दर्ज ऐसे हस्तांतरण के लिए प्रतिफल हस्तांतरण की तिथि पर माल के बाजार मूल्य के समान न हो तो निर्धारण अधिकारी ऐसे स्थानांतरित माल के लिए बाजार मूल्य मानने वाले योग्य व्यवसाय के लाभों या अर्जनो को पुनः संगणित करेगा।

चीनी, सीमेंट तथा पेपर उद्योग सामान्य तौर पर सीमित उपभोग के लिए अपने मुख्य व्यवसाय में उत्पादित अधिक हीट/स्टीम का उपयोग करने के लिए तथा विद्युत उत्पादन के लिए संयुक्त हीट तथा पावर प्लांट (सहउत्पादक संयंत्र) में लगे थे। इस प्रकार के विद्युत उत्पादन में, मध्यवर्ती उत्पादों को मुख्य व्यवसाय से पात्र व्यवसाय में स्थानांतरित किया जाता है। उपयोग की समाप्ति अवधि के बिना स्टीम एक अस्थायी उत्पाद है तथा इसे विद्युत सृजन में उपयोग किया जाता है।

हमने पाया किया कि निर्धारिती ने स्टीम<sup>10</sup> को विद्युत उत्पादन इकाई के लिए इनपुट तथा/अथवा आउटपुट के रूप में व्यवहारित किया। इसके अलावा, निर्धारिती ने बाजार मूल्य अपनाने के बजाय स्टीम/अपशिष्ट हीट के मूल्यांकन की विविध प्रक्रियाओं अर्थात् या तो लागत आधार या अनुमानित आधार का उपयोग किया (परिशिष्ट 6)।

### बॉक्स 2.4: अस्थायी माल तथा सेवाओं के मूल्यांकन पर निर्दर्शी मामले

क. प्रभार : सीआईटी-1 चेन्नई  
निर्धारिती : मै.कोरोमंडल शुगर्स लिमिटेड  
निर्धारण वर्ष : 2011-12 और 2012-13  
पेन : AAACC 4628 F

एओ ने विद्युत सृजन व्यवसाय के संदर्भ में नि.व. 2011-12 तथा 2012-13 के लिए क्रमशः ₹ 10.84 करोड़ तथा ₹ 13.47 करोड़ की निवल कटौती को मंजूर किया। हमने देखा कि निर्धारिती कम्पनी जो चीनी के निर्माण में संलग्न थी, ने अतिरिक्त रूप में एक टर्बाइन की संस्थापना करके स्टीम आधारित ऊर्जा (विद्युत) का सृजन किया। निर्धारिती ने स्टीम को

<sup>10</sup> स्टीम को विद्युत जो मुख्य व्यवसाय का एक आउटपुट है, के उत्पादन के लिए इनपुट के रूप में उपयोग किया।

विद्युत उत्पादन के लिए एक इनपुट के रूप में व्यवहारित किया। इनपुट के रूप में उपयुक्त स्टीम पर व्यय को धारा 80 आईए (8) में परिकल्पित अनुसार बाजार दर के बजाय लागत आधार पर निर्धारित किया गया जिसके परिणामस्वरूप योग्य इकाई के लाभ तथा स्वीकृत कटौती की राशि में स्फीति हुई। विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था।

**ख. प्रभार : सीआईटी-2 चेन्नई**  
**निर्धारिती : मै. इंडिया सीमेंट लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2011-12 तथा 2012-13**  
**पेन : AAAC 1728 P**

एओ ने सीमेंट निर्माण इकाईयो से उत्पन्न अपशिष्ट हीट से सृजित विद्युत से हुए लाभ के लिए नि.व. 2011-12 तथा 2012-13 हेतु क्रमशः ₹ 12.89 करोड़ तथा ₹ 23.94 करोड़ की कटौती मंजूर की। पात्र लाभ की संगणना करते समय, निर्धारिती ने कटौती हेतु पात्र इकाई के लाभ की गणना हेतु 10 पैसे प्रति यूनिट विद्युत पर अपशिष्ट हीट के लिए अनुमानित मूल्य को अपनाया। ऐसा करते समय, लाभ को अधिक दर्शाया गया जिससे कटौती अधिक अनुमत हुई, विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था।

स्टीम या अपशिष्ट हीट बिक्री योग्य मद नहीं है तथा इसीलिए उनका बाजार मूल्य अनिर्धारणीय है। यद्यपि, अधिनियम ने स्टीम/अपशिष्ट हीट जैसे अस्थायी उत्पाद के लिए बाजार मूल्य लेना अनुबंधित किया तथापि, विभाग ने बाजार मूल्य का निर्धारण या निर्धारिती द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की सत्यता की जांच किए बिना निर्धारिती द्वारा दावित रूप में मूल्य (चाहे लागत मूल्य या अनुमानित मूल्य) को स्वीकार किया। यह अनुभव किया गया है कि आयकर विभाग को स्टीम/अपशिष्ट हीट जैसे अस्थायी उत्पाद के लिए बाजार मूल्य का अभिग्रहण करने के लिए उचित तंत्र/फार्मूला/विकसित करना चाहिए तथा/अथवा एओ को दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। सीबीडीटी ने कहा (जून 2016) कि धारा 80आईए की उप-धारा (8) के स्पष्टीकरण के अन्तर्गत शब्द 'बाजार मूल्य' की परिभाषा के आधार पर एओज को स्थानीय बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक छानबीन करनी चाहिए ताकि उचित बाजार मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। एग्जिट सम्मेलन में लेखापरीक्षा द्वारा पुनः मामले को उठाया गया था कि चूंकि स्टीम जैसे अस्थायी उत्पादों के लिए बाजार नहीं है अतः एनटीपीसी जैसे पीएसयूज अथवा राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा स्टीम के उत्पादन की लागत को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त दिशा-निर्देश जारी किए जाने चाहिए।

## 2.6 व्यवसाय बनाम उपक्रम की औसत आय/हानि का समेकन

धारा 80आईए(1) में प्रावधान है कि एक उपक्रम अथवा एक उद्यम से एक निर्धारिती की आय में योग्य व्यवसाय के लाभ तथा अभिलाभ सम्मिलित हैं जो कटौती के रूप में अनुमत किया जाता है।

एक ही शीर्ष के तहत योग्य तथा अयोग्य दोनों इकाईयो से आय/हानि को अधिनियम की धारा 70 के प्रावधानों के अनुसार जोड़ा जाना है। इसके पश्चात, एक शीर्ष से आय को अधिनियम की धारा 71 के प्रावधानों के अनुसार अन्य किसी शीर्ष की आय/हानि के साथ जोड़ा जाता है। अधिनियम की धारा 70 तथा 71 के प्रावधानों को लागू करने के पश्चात भी, यदि कोई अन्य आय है (चाहे अधिनियम की धारा 72 के प्रावधानों के अनुसार निपटान किए जाने वाली हानि को अग्रणीत न किया जाए), तो यह अध्याय VI-ए के प्रावधानों के अनुसार कटौती के योग्य है। धारा 10ए, 10एए, 10बी के उद्देश्य हेतु पात्र व्यवसाय की आय या हानि की संगणना पर सीबीडीटी स्पष्टीकरण<sup>11</sup> सुसंगत है जिसका आयकर विभाग द्वारा धारा 80 आईए के तहत कटौती के प्रयोजन हेतु संज्ञान लेने की आवश्यकता है यद्यपि अधिनियम की धारा के अन्तर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

हमने चार राज्यों में नौ मामलों<sup>12</sup> में पाया कि एओ ने धारा 80 आईए के तहत प्रत्येक पवन चक्की को पृथक उपक्रम के रूप में व्यवहारित करते हुए पवन चक्की का उपयोग करके विद्युत उत्पादन में संलग्न निर्धारितियों को ₹ 80.18 करोड़ की सीमा तक कटौती मंजूर की थी। निर्धारितियों ने सभी पवन चक्कियों की आय या हानि को ही नहीं जोड़ा अपितु अन्य पवन चक्कियों तथा अन्य अयोग्य व्यवसाय की हानियों को छोड़ते हुए केवल लाभ अर्जन करने वाली पवन चक्कियों के लिए कटौती का दावा करने का विकल्प चुना।

अन्य पवन चक्कियों की हानियों को या तो गैर योग्य व्यवसाय के लाभ के प्रति निपटाया गया या आगामी वर्षों के लिए अग्रणीत किया गया। इस प्रकार, एओ

<sup>11</sup> दिनांक 16 जुलाई 2013 की परिपत्र संख्या 7/डीवी/2013

<sup>12</sup> आंध्र प्रदेश (1), केरल (2), महाराष्ट्र (2) तथा तमिलनाडु (4)

कटौतियों को नामंजूर करने में विफल हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 27.15 करोड़ के कर प्रभाव सहित कटौती की अधिक स्वीकृति हुई (परिशिष्ट 7)।

**बॉक्स 2.5: 'उपक्रम' शब्द की परिभाषा में कमी पर निदर्शी मामले**

**क. प्रभार : सीआईटी-IV, हैदराबाद**  
**निर्धारिती: मै. एनएसएल रिन्यूएबल पावर प्रा. लि.**  
**निर्धारण वर्ष : 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13**  
**पैन : AABCN6009L**

एओ ने विद्युत डिविजन के अन्तर्गत कुल 9 इकाईयों में से 4 लाभ अर्जन करने वाली इकाईयों के संदर्भ में निर्धारिती द्वारा चयनित रूप से दावा किए गए ₹ 37.26 करोड़ की कटौती मंजूर की। निर्धारिती बीजो, रियल-एस्टेट, आईटी अवसंरचना तथा अन्यो से संबंधित अन्य अयोग्य व्यवसाय के साथ पवन चक्की के माध्यम से विद्युत सृजन में संलग्न था। एक व्यवसाय के भाग के रूप में सभी पवन चक्की इकाईयों के लाभ तथा हानियों पर विचार न करते हुए ₹ 12.48 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 37.26 करोड़ की अतिरिक्त कटौती की स्वीकृति हुई। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2015)।

**ख. प्रभार : सीआईटी-तिरुवेन्द्रम**  
**निर्धारिती : मै. मुथूट फिनकोर्प**  
**निर्धारण वर्ष : 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13**  
**पैन: AACCM1453E**

एओ ने विद्युत उत्पादन करने वाली पवन चक्की के निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए 14 इकाईयों में से दो लाभ अर्जन करने वाली पवन चक्कियों, निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए 20 इकाईयों में से तीन लाभ अर्जित करने वाली पवन चक्कियों तथा निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए कुल 20 इकाईयों में से पांच लाभ अर्जित करने वाली इकाईयों के संदर्भ में निर्धारिती द्वारा चयनित रूप से दावा की गई ₹ 3.1 करोड़ की कटौती को मंजूर किया। सभी पवन चक्कियों से कुल आय ₹ 6.35 करोड़ की हानि हुई। चूंकि विद्युत सृजन से निवल हानि थी अतः धारा 80 आईए के तहत किसी कटौती के लिए निर्धारिती योग्य नहीं था। इस प्रकार, एओ द्वारा ₹ 3.10 करोड़ की कटौती की अनियमित स्वीकृति से ₹ 1.02 करोड़ का कर प्रभाव बनता था। आयकर विभाग ने इस आईटीएटी निर्णय<sup>13</sup> का हवाला देते हुए आपत्ति को स्वीकार नहीं किया कि प्रत्येक पवन चक्की का पृथक उपक्रम के रूप में नहीं लिया जा सकता तथा तदनुसार निर्धारिती का कटौती का दावा स्वीकार नहीं किया गया। आयकर विभाग का उत्तर सीबीडीटी के स्पष्टीकरण<sup>14</sup> के संदर्भ में तर्क स्वीकार्य नहीं है

<sup>13</sup> मै. सुपर स्नाइनिंग मिल्स-आईटीए संख्या 1672/एमडीएस/08-आईटीएटी चेन्नई -21 अप्रैल 2011

<sup>14</sup> दिनांक 16 जुलाई 2013 की परिपत्र संख्या 7/डीवी/2013

ग. प्रभार : पीसीआईटी एलटीयू/मुम्बई  
निर्धारिती : मै. न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  
निर्धारण वर्ष : 2010-11  
पेन : AAACN3154F

एओ ने काकरापुर में निर्धारिती की 2 लाभ अर्जन करने वाली इकाईयो के संदर्भ में ₹ 31.94 करोड़ की कटौती स्वीकार की जबकि निर्धारिती ने स्वयं जिसने ₹ 31.37 करोड़ की हानि वहन की थी, ने काकरापुर में 1 इकाई के संदर्भ में कटौती का दावा नहीं किया (इकाई 1 तथा 2 हेतु संयुक्त फॉर्म संख्या 10 सीसीबी)। विभाग ने अन्य इकाई के लाभ के प्रति वर्तमान वर्ष की हानियों को समायोजित किए बिना कटौती को स्वीकार किया। इसलिए एओ कटौती को अस्वीकृत करने में विफल हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10.66 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 31.37 करोड़ की कटौती की अनियमित स्वीकृति हुई।

आयकर विभाग ने यह कहते हुए आपत्ति को स्वीकार नहीं किया कि निर्धारिती ने हानि का सही प्रकार से निपटान किया था क्योंकि प्रत्येक इकाई को ऐसे व्यवहारित किया जाना था जैसे कि वह निर्धारिती का एक मात्र व्यवसाय था। विभाग का उत्तर बोर्ड के जुलाई 2013 के संदर्भ में तर्कसंगत नहीं था।

सहउत्पादन इकाईयो द्वारा उत्पादित विद्युत प्रमुख रूप से संबंधित निजी उपक्रमों द्वारा केवल सीमित उपभोग के लिए है। सहउत्पादन इकाईयो को पृथक उपक्रम के रूप में व्यवहारित करने के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं है तथा धारा 80 आईए के तहत कटौती के प्रयोजन हेतु सहउत्पादन इकाईयो से लिए लाभो का निर्धारण करने के लिए कोई कार्यप्रणाली वर्णित नहीं की गई है।

धारा में वर्णित शब्द 'उपक्रम' यह नहीं दर्शाता कि यह निर्धारिती के व्यवसाय की विशिष्ट इकाई अथवा एक साथ निर्धारिती के व्यवसाय की सभी योग्य इकाईयो के लिए है। पृथक उपक्रम के रूप में एक ही प्रकृति के व्यवसाय की प्रत्येक इकाई के व्यवहार के फलस्वरूप निर्धारिती का अनुचित लाभ हुए। इसके अलावा, धारा 10ए, 10एए, 10बी के प्रयोजन हेतु आय की संगणना पर अथवा योग्य व्यवसाय की हानि पर सीबीडीटी के स्पष्टीकरण का कथित कटौती के उद्देश्य हेतु आयकर विभाग प्राधिकारियों द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया। सीबीडीटी ने स्वीकार किया (जून 2016) कि वास्तव में उक्त पैराग्राफ में आपत्तियां उन अकेले मामलो में धारा 80 आईए के तहत गलत कटौती से संबंधित है तथा इसलिए यह कहा गया कि यह ऐसे मामलो से बचने के लिए

“उपक्रम” शब्द को परिभाषित करने के लिए अनिवार्य प्रतीत नहीं होता। एग्जिट सम्मेलन में, लेखापरीक्षा का मत था कि यह उचित सतर्कता पर आधारित स्थानीय परिस्थितियों तथा एक स्वतंत्र उपक्रम के रूप में प्रत्येक पवन चक्की को व्यवहारित करने के बजाय एक उपक्रम के रूप में निर्धारिती द्वारा अधिकारित पवन चक्की के क्लस्टर को व्यवहारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए बोर्ड द्वारा उचित दिशा-निर्देश जारी करना अनिवार्य हो सकता है। शब्द ‘उपक्रम’ के अर्थ को कुछ निर्धारितियों द्वारा निजी पवन चक्की तथा कुछ अन्य निर्धारितियों द्वारा पवन चक्की के एक क्लस्टर को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके कारण लाभ अर्जन करने वाली पवन चक्कियों पर चयनित रूप से धारा 80आईए के तहत छूट का दावा किया गया तथा अन्य पवन चक्कियों की हानि का अन्य व्यवसाय से लाभ के प्रति निपटान किया गया। इसलिए, ऐसे स्पष्टीकरण के अभाव से अधिनियम के छूट तथा संभावित दुरुपयोग के अनभिप्रेत लाभ हो सकता है।

## 2.7 पात्र इकाईयो से संबंधित अग्रणीत हानियों तथा अनवशोषित मूल्यहास के समायोजन में विसंगतियां

धारा 80आईए(1) तथा (2) के प्रावधानों के अनुसार, पात्र व्यवसाय से उत्पन्न लाभ तथा अभिलाभ के 100 प्रतिशत के बराबर एक राशि की कटौती निर्धारिती के विकल्प पर उस वर्ष जिसमें किसी अवसंरचना सुविधा को परिचालित करने के लिए उपक्रम या उद्यम प्रारंभ होता है, से शुरुआत के 15 वर्षों में से किसी 10 निरंतर वर्षों के लिए दावा किया जा सकता है।

धारा 80 आईए(5) में प्रावधान है कि अधिनियम के किसी अन्य प्रावधानों में कुछ निहित होते हुए भी, पात्र व्यवसाय के लाभ तथा अभिलाभ आरंभिक निर्धारण वर्ष के तुरन्त बाद वाले निर्धारण वर्ष अथवा किसी बाद के निर्धारण वर्ष के लिए संगणित होने वाली कटौती की राशि का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ होंगे जैसे पात्र व्यवसाय आरंभिक निर्धारण वर्ष से संबंधित पिछले वर्ष के दौरान तथा प्रत्येक आगामी वर्ष तक के लिए तथा निर्धारण वर्ष जिसके लिए अवधारण किया जाना है, को शामिल करके निर्धारिती की आय का एकमात्र स्रोत था।

सीबीडीटी ने हाल ही में स्पष्ट<sup>15</sup> किया है कि आरंभिक निर्धारण वर्ष का आशय धारा 80आईए के तहत कटौती का दावा करने के लिए निर्धारिती द्वारा चयनित प्रथम वर्ष होगा तथा जैसे निर्धारिती द्वारा एक बार ऐसे आरंभिक निर्धारण वर्ष का विकल्प दिया जाए तो वह उस वर्ष जिसके संबंध में उसने धारा में निर्धारित शर्तों का पूरा करने के अधीन ऐसा विकल्प दिया है, से आरम्भ होकर दस निरंतर वर्षों के लिए कटौती का दावा करने का अधिकारी होगा।

हमने पाया कि एओ ने योग्य व्यवसाय के संदर्भ में आरम्भिक निर्धारण वर्ष से पूर्व वर्षों के संबंध में अग्रणीत हानियों की स्वीकृति में एक समान निर्णय नहीं लिया था। तमिलनाडु में 19 मामलों में, एओ ने आरंभिक निर्धारण वर्ष से पूर्व वर्षों से संबंधित अग्रणीत हानियों का निपटान करने के पश्चात कटौती के दावे को अस्वीकार किया परन्तु ₹ 29.02 करोड़ के कर संग्रहण को लटकाया गया (परिशिष्ट 8ए) जबकि तमिलनाडु में 50 मामलों में, आयकर विभाग ने आरंभिक निर्धारण वर्ष से पूर्व वर्षों से संबंधित अग्रणीत हानि(यों) का निपटान किए बिना दावा की गई कटौती को स्वीकार किया जिसमें ₹ 35.06 करोड़ का कर प्रभाव अन्तर्गत था (परिशिष्ट 8बी)।

विभिन्न राज्यों में 41 मामलों में, आयकर विभाग ने आरंभिक निर्धारण वर्ष तथा आगामी निर्धारण वर्षों से संबंधित काल्पनिक रूप से अग्रणीत हानियों को समायोजित किए बिना कटौती को स्वीकार किया जिसके फलस्वरूप ₹ 55.12 करोड़ के कर प्रभाव वाली कटौती की अधिक स्वीकृति हुई (परिशिष्ट 8सी)।

---

<sup>15</sup> एफ. संख्या 200/31/2015-आईटीए-1 से जारी दिनांक 15 फरवरी 2016 की सीबीडीटी परिपत्र संख्या 1/2016

**बॉक्स 2.6: पात्र इकाईयो से संबंधित अग्रेनीत हानियों तथा अनवशोषित मूल्यहास के समायोजन में विसंगतियां पर निदर्शी मामले**

**क. प्रभार: सीआईटी। बडौदा**  
**निर्धारिती : मै. गुजरात फ्लूरो केमिकल्स लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2010-11/2011-12**  
**पेन: AAACG6725H**

एओ ने नि.व. 2007-08 से 2009-10 तक से संबंधित ₹ 163.22 करोड़ की अग्रेनीत व्यवसाय हानि/अनवशोषित मूल्यहास का निपटान किए बिना नि.व. 2010-11 तथा 2011-12 के लिए क्रमशः ₹ 37.11 करोड़ तथा ₹ 30.49 करोड़ की कटौती स्वीकार की। आरंभिक नि.व. 2010-11 के लाभ के प्रति अग्रेनीत अनुमानित का निपटान करने के पश्चात, अधिनियम की धारा 80आईए के तहत कटौती का दावा करने के लिए कोई लाभ शेष नहीं था। इस प्रकार, कुल ₹ 22.75 करोड़ के कर प्रभाव वाली ₹ 37.11 करोड़ तथा ₹ 30.50 करोड़ की अनियमित कटौती हुई

निर्धारिती<sup>16</sup> के पक्ष में विभिन्न न्यायिक निर्णयो को उद्धरित करते हुए आयकर विभाग ने यह कहते हुए आपत्ति को स्वीकार नहीं किया (अक्टूबर 2015) कि धारा 80 आईए के तहत कटौती की संगणना करते समय, यदि उन्होंने अन्य आय के प्रति पहले ही निपटान कर दिया था तो योग्य इकाई पर की अग्रेनीत हानियों को उसी इकाई के लाभ के प्रति निपटाना अपेक्षित नहीं था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि धारा 80 आईए (5) अनुबंधित करती है कि कटौती की मात्रा को केवल आय के अन्य स्रोत के रूप में योग्य उपक्रमों को व्यवहारित करते समय संगणित किया जाना था। आयकर विभाग द्वारा दर्शाए मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय पर ध्यान देने के पश्चात कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राजस्व के पक्ष में यह कहते हुए एक निर्णय<sup>17</sup> दिया था कि "धारा 80 आईए की उप-धारा (5) में गैर ओबस्टेंटी खण्ड अधिनियम के सभी प्रावधानो पर अधिभावी है।"

<sup>16</sup> (i) सीआईटी बनाम अनिल एच लेड (2014) 225 टैक्समेन 170 (मैग) (कर्न) (एचसी)

(ii) हरकूल्स हायस्ट लि. बनाम एसीआईटी (2013) 22 आईटीआर 527 (यूरो) (अधि.) (ट्राइब.)

(iii) वेलायुध स्वामी स्पाइनिंग मिल्स प्रा. लि. बनाम एसीआईटी (2012) 340 आईटीआर 477 (एमएडी) (एचसी)

<sup>17</sup> माइक्रोलेब लि. बनाम एसीआईटी, बेंगलोर (2011 कर अपील सख्या -194-कर्नाटक उच्च न्यायालय)

<sup>17</sup> माइक्रोलेब लि. बनाम एसीआईटी, बेंगलोर (2011 कर अपील सख्या -194-कर्नाटक उच्च न्यायालय)

**ख. प्रभार : सीआईटी VII, दिल्ली**  
**निर्धारिती : मै. पावरलिक ट्रांसमिसन लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2012-13**  
**पेन : AABCT7775M**

एओ ने आरंभिक निर्धारण वर्ष 2012-13 से पूर्व नि.व. 2008-09 से संबंधित ₹ 28.76 करोड़ के अनावशोषित मूल्यहास का निपटान करने के पश्चात विद्युत आवंटन हेतु निर्धारिती कम्पनी को ₹ 89.35 करोड़ की कटौती स्वीकार की। हमने पाया कि ₹ 28.76 करोड़ के कुल अनावशोषित मूल्यहास में से ₹ 16.16 करोड़ को ब्याज आय और गैर प्रचालन आय निहित अन्य आय के विरुद्ध निर्धारित किया गया था और शेष ₹ 12.60 करोड़ की राशि उपयुक्त व्यापार से अलग थी। ऐसा करने में ₹ 5.24 करोड़ के कर प्रभाव वाली ₹ 16.16 करोड़ की कटौती अधिक अनुमत की। आईटीडी ने यह कहते हुए प्रेक्षण को स्वीकार (नवम्बर 2015) नहीं किया कि अनावशोषित मूल्यहास को सभी आय के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता था। कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय कि धारा 80-आईए की उप-धारा (5) में नॉन ऑब्स्टेंट खण्ड अधिनियम के सभी प्रावधानों को अध्यारोहित करता है।

**ग. प्रभार : सीआईटी II चेन्नई**  
**निर्धारिती : मेसर्स इंडिया सिमेंट्स लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2010-11/2011-12/2012-13**  
**पैन : AAAC 1728 P**

कायथर, तिरुनेलवेली जनपद में स्थित पवनचक्की द्वारा ऊर्जा उत्पादन के संबंध में नि.व. 2010-11 से 2012-13 के लिए निर्धारिती ने ₹ 3.48 करोड़, ₹ 5.03 करोड़ और ₹ 4.26 करोड़ की कटौती का दावा किया। प्रारंभिक निर्धारण वर्ष 2010-11 से पहले नि.व. 2008-09 और 2009-10 के लिए निर्धारिती के पास ₹ 25.95 करोड़ की अनावशोषित मूल्यहास/व्यापार हानि थी, जिसे आईटीडी द्वारा निर्धारिती कटौती के दावे के विरुद्ध समायोजित नहीं किया गया था। इस प्रकार, वहाँ पर ₹ 4.24 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 12.77 करोड़ की कटौती अधिक अनुमत थी। आईटीडी का उत्तर अपेक्षित है।

इसलिए यह देखा गया था कि उपयुक्त व्यापार के संबंध में प्रारंभिक निर्धारण वर्ष से पहले के वर्षों से संबंधित अग्रणीत हानि(यों) की अनुमति में एओज़ एकसमान कदम नहीं उठा रहे थे। वर्तमान कानून के तहत स्पष्टीकरण के मुद्दे के औचित्य की जांच के लिए सीबीडीटी सहमत (जून 2016) हो गया।

## 2.8 कार्बन क्रेडिटों की बिक्री से प्राप्तियों का निरूपण

कार्बन क्रेडिट<sup>18</sup> की बिक्री से उत्पन्न आय की कर-देयता मुकदमें बाजी का एक मामला है कि क्या एक सत्व द्वारा उत्पादित कार्बन क्रेडिट की बिक्री के लिए प्राप्त प्रतिफल पूंजी प्रवृत्ति का है या राजस्व प्रवृत्ति का है या ऐसी राशि कराधीन है या नहीं या ऐसी आय अध्याय VIए के तहत कटौती के लिए योग्य है। यहाँ पर जैसा कि नीचे है, कार्बन क्रेडिट की बिक्री से प्राप्तियों के निरूपण पर विभिन्न न्यायिक निर्णय हैं:

- हैदराबाद, जयपुर और चेन्नई में आईटीएटी बैंच का यह मत है कि कार्बन क्रेडिट बिक्री आय पूंजी प्राप्ति होने के नाते कराधीन नहीं है।
- कोचीन में आईटीएटी बैंच का यह मत<sup>19</sup> है कि कार्बन क्रेडिट की बिक्री आय कराधीन है क्योंकि लाभ व्यापार से उत्पन्न हो रहा है। तथापि वहाँ पर औद्योगिक उपक्रम से आय का कोई प्रत्यक्ष साधन नहीं है, कार्बन क्रेडिट की बिक्री से प्राप्तियों को व्यापार 'से व्युत्पन्न' आय नहीं माना जा सकता जो कि धारा 80-आईए के तहत कटौती के योग्य नहीं थे।
- शीर्ष न्यायालय ने कहा<sup>20</sup> कि शब्द 'से व्युत्पन्न' का कोई आय को शामिल करने के लिए विस्तृत अर्थ नहीं हो सकता जो कि किसी तरह से व्यापार से संबंधित हो सकता है और इसलिए कार्बन क्रेडिट की बिक्री से आय धारा 80 आई ए के तहत कटौती के योग्य नहीं है।

<sup>18</sup> स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) के तहत, एक विकसित देश एक विकासशील/सबसे कम विकसित देश में ग्रीन हाउस गैसों (जीएचजी) में कमी परियोजना गतिविधि प्रारंभ करता है जहां पर जीएचजी को कम करने की लागत आमतौर पर बहुत कम है। गतिविधि को शुरू करने को ध्यान में रखते हुए विकसित देशों को इनकी उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्बन क्रेडिट दिए जा रहे हैं। वैकल्पिक रूप से, विकासशील/सबसे कम विकसित देश में सत्वों ने उनके संबंधित देशों में जीएचजी कटौती परियोजना स्थापित की, इसे यूएनएफसीसीसी द्वारा अनुमोदित करवाया और कार्बन क्रेडिट अर्जित किए। विकासशील/सबसे कम विकसित देशों में सत्वों द्वारा उत्पादित ऐसे कार्बन क्रेडिट को उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों के लिए उत्तरदायी विकसित देशों के सत्वों द्वारा प्रतिफल के लिए खरीदा गया था। सीडीएम के तहत, कार्बन क्रेडिट को प्रमाणित उत्सर्जन घटौती (सीईआर) के रूप में मापा जाता है, जहाँ एक सीईआर कार्बन डाईऑक्साइड के 1 मेट्रिक टन के बराबर होती है और जिसके लिए एक प्रमाणपत्र जारी होता है जो विक्रय योग्य है।

<sup>19</sup> अपोलो टायर लिमिटेड बनाम एसीआईटी 47 टैक्स मैन 416 (कोचीन-2014)

<sup>20</sup> कैम्बे इलैक्ट्रिकल सप्लाइ क. लिमिटेड 113 आईटीआर 84 (एससी)

हमने आठ राज्यों<sup>21</sup> में 19 मामलों में पाया कि कार्बन क्रेडिट की बिक्री से अर्जित आय के संबंध में आईटीडी ने कटौती अनुमत की जिसमें ₹ 34.77 करोड़ (परिशिष्ट 9) का कर प्रभाव शामिल है।

**बॉक्स 2.7: कार्बन क्रेडिट की बिक्री से प्राप्तियों के निरूपण पर निदर्शी मामले**

**क. प्रभार : सीआईटी IV चेन्नै**  
**निर्धारिती : लैन्को तन्जोर पॉवर कॉ. लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2011-12**  
**पैन : AACCA 4297N**

सारांश तरीके में प्रतिगम के प्रसंस्करण करते हुए एओ ने निर्धारिती कम्पनी को ₹ 65.90 करोड़ की कटौती अनुमत की। निर्धारिती ने कार्बन क्रेडिट (उत्सर्जन घटौती की बिक्री) की ओर ₹ 21.92 करोड़ प्राप्त किए। कार्बन क्रेडिट के प्रति अर्जन उपयुक्त व्यापार से व्युत्पन्न आय नहीं दर्शाता है। तथापि ₹ 21.92 करोड़ की कटौती की अनुमति ठीक नहीं थी। एओ इस प्रकार अधिक दावे को नामंजूर करने में असफल रहे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.28 करोड़ के कर प्रभाव वाली आय का उस सीमा तक कम निर्धारण हुआ। विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था।

**ख. प्रभार : प्र. सीआईटी 10, मुम्बई**  
**निर्धारिती : मेसर्स हन्जेर बायोटेक एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2011-12**  
**पैन : AABCH3870H**

एओ ने आय जिसमें सत्यापित उत्सर्जन कटौतियाँ (बीईआर) से उत्पादित ₹ 16.86 करोड़ शामिल तथा जो कटौती के लिए योग्य नहीं थी के प्रति निर्धारिती कम्पनी को ₹ 66.28 करोड़ की कटौती अनुमत की। कटौती को नामंजूर करने में एओ की चूक के परिणामस्वरूप ₹ 5.60 करोड़ के कर प्रभाव वाली ₹ 16.86 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी का उत्तर अपेक्षित था।

**ग. प्रभार : सीआईटी हुबली**  
**निर्धारिती : मेसर्स वीआरएल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2012-13**  
**पैन : AABCV3609C**

एओ ने आय जिसमें कार्बन क्रेडिट की बिक्री से ₹ 9.35 करोड़ शामिल है जो कटौती के योग्य नहीं है, के प्रति निर्धारिती कम्पनी को ₹ 11.66 करोड़ की कटौती अनुमत की। कटौती को नामंजूर करने में एओ की चूक के परिणामस्वरूप ₹ 3.03 करोड़ के कर प्रभाव वाली ₹ 9.35 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी का उत्तर अपेक्षित था।

<sup>21</sup> आंध्र प्रदेश(1), छत्तीसगढ़(2), दिल्ली(2), गुजरात(1), कर्नाटक(2), महाराष्ट्र(5), राजस्थान(2) और तमिलनाडू(4)

घ. प्रभार : सीआईटी प्रभार V, दिल्ली  
निर्धारिती : मेसर्स जिंदल सॉ लिमिटेड  
निर्धारण वर्ष : 2011-12  
पैन : AABCS 7280C

हमने देखा कि निर्धारिती को ₹ 36.07 करोड़ की कटौती अनुमत की गई जिसमें ₹ 5.99 करोड़ के कार्बन क्रेडिट की बिक्री से आय निहित है जिसे नामंजूर करना चाहिए था। एओ द्वारा कटौती की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 1.99 करोड़ के कर प्रभाव वाली ₹ 5.99 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी से उत्तर अपेक्षित था (नवम्बर 2015)

ड. प्रभार : सीआईटी गाँधीनगर  
निर्धारिती : कलपतारू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड  
निर्धारण वर्ष : 2010-11 और 2011-12  
पैन : AABCS7280C

एओ ने राजस्व आय के तौरपर कार्बन क्रेडिट की बिक्री पर लाभ के प्रति नि.न. 2010-11 और 2011-12 के ₹ 4.43 करोड़ और ₹ 4.27 क्रमानुसार की कटौती अनुमत की। ऐसे कार्बन क्रेडिट की बिक्री लाभ व्यापार से उत्पन्न लाभ के तौरपर कराधीन होने के नाते उपयुक्त व्यापार 'से व्युत्पन्न' आय के तौरपर निरूपित नहीं की जा सकती थी और इसलिए कटौती के लिए योग्य नहीं थी। कटौती की नामंजूरी देने में एओ की असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.85 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 5.45 की कटौती की अधिक अनुमति हुई। आईटीडी का उत्तर अपेक्षित था (अगस्त 2015)।

सीबीडीटी ने कहा (जून 2016) कि आईटीडी ने निरंतर इस बात पर बल दिया है कि कार्बन क्रेडिट की बिक्री व्यापार करने से उत्पन्न एक लाभ है और इसलिए अधिनियम की धारा 28(iv) के तहत कराधीन है। उन्होंने आगे कहा कि वे जांच करेंगे कि क्या आने वाले बजट 2017 के दौरान अधिनियम के तहत कार्बन क्रेडिट के बिक्री लाभ को अन्य स्रोतों से आय के रूप में मानने के लिए विधायी सुधार अपेक्षित था।

## 2.9 सवीक्षा निर्धारण के दौरान किये गए संबंधनों पर कटौती

धारा 92सी(4) के पहले परंतुक के अनुसार, धारा 10ए, 10एए, 10बी या अध्याय VI-ए के तहत धारा 92सीए के तहत आय की गणना के बाद संबंधित आय की राशि के संबंध में कोई कटौती अनुमत नहीं होगी। तथापि, ऐसी कटौतियाँ धारा 92सी पर विचार किए बिना संवीक्षा के बाद पूर्ण हो चुके

निर्धारणों में धारा 40ए(3) 14ए, 40(ए) 40(ए)आदि के तहत परिवर्धनों के संबंध में ऐसी कटौतियाँ अनुमत हैं।

पाँच राज्यों<sup>22</sup> में नौ मामलों में हमने पाया कि धारा 40ए(3) 14ए, 40(ए) के तहत की गई अननुमतियों, अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री आदि पर व्यय को राजस्व के रूप में लिए जाने के कारण की गई अनुवृद्धियों को धारा 80आईए के तहत कटौती के लिए विचार किया गया। फलस्वरूप अनुमतियाँ निर्धारिती द्वारा दावाकृत राशि से अधिक थी। आगे, ऐसा करने में, अधिनियम की धारा 80आईए के तहत कटौती को अनुमति के कारण ऐओज़ द्वारा की गई अनुवृद्धियों को तटस्थ किया गया है। कटौती की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 74.66 करोड़ के आनुषांगिक कर प्रभाव हुआ (परिशिष्ट 10)।

**बॉक्स 2.8: सवीक्षा निर्धारण के दौरान संबंधनों पर कटौती पर निदर्शी मामले**

क. प्रभार : पीसीआईटी-सेन्ट्रल, हैदराबाद  
निर्धारिती : मेसर्स कृष्णापटनम पोर्ट कम्पनी लिमिटेड  
निर्धारण वर्ष : 2012-13  
पैन : AAACK8657J

एओ ने अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री और जैसा कि दावा किया गया है ₹ 1.37 करोड़ से अतिरिक्त संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान के कारण की गई अनुवृद्धियों पर निर्धारिती को ₹ 22.85 करोड़ की कटौती अनुमत की। हमने पाया कि अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री और सदिग्ध ऋणों के प्रावधान को धारा 80आईए के तहत कटौती के लिए उपयुक्त व्यापार से व्युत्पादित आय के तौरपर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता था। ऐसी नामंजूरी पर कटौती अनुमत करने के परिणामस्वरूप ₹ 6.97 करोड़ के संभव कर प्रभाव सहित ₹ 21.48 करोड़ की कटौती का अधिक अनुमति हुई। आईटीडी का उत्तर अपेक्षित था (नवम्बर 2015)।

<sup>22</sup> आंध्र प्रदेश(4), छत्तीसगढ़(1), दिल्ली(1), कर्नाटक(1) और महाराष्ट्र(2)

ख. प्रभार : प्र. सीआईटी (केन्द्र) मुम्बई  
निर्धारिती : मेसर्स जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड  
निर्धारिती : 2010-11 और 2011-12  
पैन : AAACJ8109N

एओ ने नि.व. 2010-11 और 2011-12 क्रमशः के लिए धारा 14ए के तहत ₹ 6.93 करोड़ और ₹ 76.67 करोड़ के व्यय की नामंजूरी के बाद ₹ 726.94 करोड़ और ₹ 886.50 करोड़ की कटौती को अनुमत किया। चूँकि धारा 80आईए के तहत नामंजूर व्यय उपयुक्त व्यवसाय पर आरोप्य नहीं था, धारा 80आईए के तहत उनके प्रति कटौती की मंजूरी सही नहीं थी। एओ द्वारा कटौती की अनियमित मंजूरी के परिणामस्वरूप ₹ 27.82 करोड़ के संभव कर प्रभाव वाली ₹ 83.60 करोड़ की कटौती की अधिक अनुमति हुई। आईटीडी का उत्तर अपेक्षित था।

अधिनियम के प्रावधानों के गैर-अनुपालन के लिए निर्धारण के दौरान की गई अनुवृद्धियों/नामंजूरियों पर अनुमत कटौती ने ऐसी अनुवृद्धियों/नामंजूरियों के उद्देश्य को पराभूत कर दिया। अनुमत कटौती की राशि निर्धारितीयों द्वारा दावाकृत राशि से अधिक थी। सीबीडीटी यह जांच करने के लिए सहमत (जून 2016) हो गया कि क्या आने वाले बजट 2017 की अवधि के दौरान अधिनियम के तहत विधायी संशोधन अपेक्षित था।

## 2.10 आन्तरिक/निजी उपयोग के लिए विकसित संरचनात्मक सुविधा पर कटौती

धारा 80आईए कटौती मूल रूप से एक लाभ से जुड़ा प्रोत्साहन है और निजी और आन्तरिक सुविधाओं पर अनुमत नहीं है जब तक कि विशेष रूप से अनुमत न हो जैसे कि सीबीडीटी द्वारा आबद्ध पावर प्लांट। इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, सार्वजनिक उपयोगिता की अवधारण सदैव वहाँ सन्निहित होती है और वैसे तो, एक सत्व द्वारा इसके अपने उपयोग के लिए एक बड़ी सड़क, बांध आदि के विकास को इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं कहा जा सकता। आगे, शब्दावली “बोर्ड द्वारा अधिसूचित कोई भी अन्य सार्वजनिक उपयोगिता या” को इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधा की परिभाषा से हटा लिया गया है जैसा कि धारा 80आईए<sup>23</sup> की उपधारा (4) के नीचे व्याख्या में दिया गया है, जिसने धारा 80आईए के तहत कटौती के उद्देश्य के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं/ सार्वजनिक उपयोगिताओं के कार्यक्षेत्र को सीमित कर दिया है।

<sup>23</sup> 2010 का सीबीडीटी परिपत्र सं. 7 दिनांक 26 अगस्त 2002

दो राज्यों<sup>24</sup> के आठ मामलों में हमने ध्यान दिया कि उनके निजी उद्देश्यों के लिए निर्धारिती द्वारा निर्मित और प्रचालित 'रेलवे साइडिंग/जेट्टीज' से व्युत्पादित लाभोंके संदर्भ में आईडीटी ने कटौती अनुमत की, जो कि धारा 80आईए(4) की व्याख्या के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के तौरपर मानी जाने योग्य नहीं थी। इन मामलों में कटौती की अनियमित मंजूरी ने ₹ 2066.70 करोड़ के कर प्रभाव को आकृषित किया (परिशिष्ट 11)।

**बॉक्स 2.9: आन्तरिक/निजी उपयोग के लिए विकसित संरचनात्मक सुविधा की कटौती पर निदर्शी मामले**

क. प्रभार : प्र. सीआईटी 3, मुम्बई  
निर्धारिती : मेसर्स रिलायंस पोर्ट्स एंड टर्मिनल लिमिटेड  
निर्धारण वर्ष : 2006-07 से 2011-12  
पैन : AABCR3873B

निर्धारण आदेशों में कटौती की मंजूरी के लिए पात्रता के मानदण्ड की जांच किए बिना एओ ने जैसे कि द्रावाकृत थे ₹ 5245.38 करोड़ की समग्र कटौती अनुमत की। गुजरात मरीटाइम बोर्ड (जीएमबी), गुजरात राज्य में इसकी रिफायनरी कॉम्प्लेक्स के पास पत्तन सिक्का पर चार आन्तरिक घाटों<sup>25</sup> के निर्माण के लिए निर्धारिती (28 जुलाई 1999) के साथ एक करार किया अन्य बातों के साथ-साथ इस शर्त पर कि केवल 25 वर्षों की अवधि के लिए वास्तविक लैंडिंग और शिपिंग शुल्क (घाट शुल्क प्रभारों) के 20 प्रतिशत के भुगतान के साथ उनके तैयार उत्पाद के निर्माण के लिए आरपीएल और आरआईएल द्वारा बंदी औद्योगिक कचची सामग्री की लैंडिंग और शिपिंग के लिए बंदी घाट थे और उनके बाद पूर्ण घाट शुल्क प्रभारों के भुगतान की दशा में आरपीएल और आरआईएल के सीमित उद्देश्य के लिए निर्धारिती घाट का उपयोग कर सकता था। जब तक लाइसेंसधारी की परियोजना जिसके लिए दी गई अनुमति रहती है या बनी रहती है, कार्य करती रही है। चूँकि घाटों को निर्धारिती कम्पनी द्वारा आंतरिक उपयोग के लिए थे और सार्वजनिक उद्देश्य के लिए नहीं थे अनुमत कटौती ठीक नहीं थी। एओ द्वारा कटौती की अनियमित मंजूरी के परिणामस्वरूप ₹ 1766.74 करोड़ के कर प्रभाव वाली ₹ 5245.38 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ।

आईडीटी ने यह कहते हुए प्रक्षेप को स्वीकार नहीं किया कि धारा 80आईए के तहत कटौती को दावाकृत करने के लिए अधिनियम ने "सार्वजनिक सुविधा और "निजी सुविधा" के बीच अंतर नहीं किया। आगे, यह कहा गया कि जीएमबी ने समझौते के खण्ड 18 में यह समाविष्ट किया था कि जब वे आरपीएल/आरआईएल द्वारा उपयोग में नहीं थे तो इसके पास सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार था। आईडीटी ने यह भी कहा कि निर्धारिती के आंतरिक घाटों की आबद्ध पावर प्लांट से तुलना की जा सकती थी, जिन्हें कटौती के योग्य माना गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था

<sup>24</sup> महाराष्ट्र(7) और पश्चिम बंगाल(1)

<sup>25</sup> बंदी घाट का अर्थ है एक "निर्माण या उनकी तैयार वस्तुओं के लिए आरपीएल और आरआईएल द्वारा बंदी औद्योगिक कचची सामग्री की लैंडिंग और शिपिंग के लिए निर्मित घाट जो कि पूर्वकथित पत्तन आधारित उद्योग नामशः आरपीएल और आरआईएल द्वारा निर्मित हैं।

क्योंकि सार्वजनिक उपयोगिताओं की संकल्पना किसी भी इन्फ्रास्ट्रक्चर (सड़क, पुल आदि) के निर्माण/विकास में सदैव सन्निहित होती है। निर्धारिती कम्पनी ने 25 वर्षों की लाइसेंस अवधि समाप्त होने के बाद भी केवल उनके आन्तरिक उपयोग के लिए घाटों का निर्माण किया था। समझौते के खण्ड 18 में, निर्धारिती ने भी बल दिया कि घाट जब रिलायंस ग्रुप ऑफ कम्पनी (आरपीएल/आरआईएल) द्वारा उपयोग में नहीं हैं, को बोर्ड को स्वयं अपने उपयोग के लिए खुले छोड़े जा सकते हैं जिसने यह दर्शाया कि जैसे कि सार्वजनिक सुविधाओं के लिए बने थे, बिना दूसरों के लिए खोले, केवल आरपीएल/आरआईएल की मांग को पूरा करने के लिए निर्मित किए गए थे कैप्टिव पावर प्लांट की आन्तरिक घाटों से आईटीडी की तुलना के संबंध में, सीबीडीटी ने विशेष रूप से स्पष्ट<sup>26</sup> किया था कि कैप्टिव पावर प्लांट में कटौती कुछ शर्तों<sup>27</sup> के अधीन होगी। अभी तक सीबीडीटी द्वारा अन्य कैप्टिव/निजी सुविधाओं के संबंध में कोई ऐसे स्पष्टीकरण जारी नहीं किए गए थे। आगे, उनके स्टैंड की पुष्टि करने की दृष्टि से जहाजों के स्वामित्व वाले अन्य निर्धारितियों की कोई भी सूची आईटीडी ने प्रस्तुत नहीं की थी जिन्होंने घाटों का उपयोग किया था जब वे आरपीएल/आरआईएल द्वारा उपयोग में नहीं थी।

**ख. प्रभार : पीसीआईटी (केन्द्र) 1, मुम्बई**  
**निर्धारिती : मेसर्स इसेल याइनिंग एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2010-11 से 2012-13**  
**पैन : AAACE6607L**

एओ ने निर्धारिती कम्पनी को उपरोक्त नि.व. क्रमशः के लिए ₹ 78.44 करोड़, ₹ 130.65 करोड़ और ₹ 11.76 करोड़ की कटौती अनुमत की थी। निर्धारिती कम्पनी ने इसके अपने व्यवसाय को चलाने के लिए 'रेलवे साइडिंग' विकसित की और साइडिंग को जनता के सदस्यों द्वारा उपयोग नहीं किया था। तथापि, कटौती को नामंजूर करना चाहिए था। कटौती को नामंजूर करने में एओ की असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 73.88 करोड़ के कर प्रभाव वाली समग्र 220.85 करोड़ की कटौती की अनियमित मंजूरी हुई। विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था।

<sup>26</sup> फाइल सं. 178/28/2001-आईटीए 1 दिनांक 3 अक्टूबर 2001 से महासचिव, भारतीय मंडल, मुम्बई को सीबीडीटी का स्पष्टीकरण।

<sup>27</sup> (i) एक उपक्रम द्वारा संस्थापित सीपीपी भिन्न एवं पृथक है और औद्योगिक उपयोगकर्ता से ऊर्जा उत्पादन उपक्रम द्वारा वाणिज्यिक लाभ या मुनाफा के तत्व है; (ii) निर्धारण अधिकारी जाँच द्वारा यह सुनिश्चित करेगा कि सीपीपी और उसके उपक्रम के बीच संव्यवहार निकट ही है (iii) विद्युत आपूर्ति अधिनियम एवं संबंधित कानूनों के प्रावधानों के तहत कटौती का अनुदान जो अनुमत नहीं है को वैध करने के लिए नहीं लिया जायेगा। उपयोगकर्ता उपक्रम सीपीपी द्वारा किए गए व्यय को (iv) इसके अपने लाभ और हानि खाते में जमा नहीं करेगा।

ग. प्रभार : सीपीआईटी (केन्द्र)-1 कोलकाता  
निर्धारिती : मेसर्स रेशमी मेटालीक्स  
निर्धारण वर्ष : 2009-10 से 2012-13  
पैन : AACCR7183E

एओ ने निर्धारिती को नि.व. 2009-10 से 2012-13 के लिए ₹ 80.61 करोड़ की कुल कटौती अनुमत की। निर्धारिती ने स्वयं अपने लाभ के लिए 'रेलवे साइडिंग' को विकसित किया और उसका रखरखाव और प्रचालन कर रहा था और इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधा सामान्य जनता के उपयोग के लिए बढ़ाई नहीं गई। वैसे तो, नि.व. 2009-10 से 2012-13 के लिए ₹ 80.61 करोड़ की अनुमति इसलिए अनियमित थी। कटौती की नांमजूरी में एओ की चूक के परिणामस्वरूप ₹ 38.91 करोड़ के कर प्रभाव वाली अभिज्ञात राशि के साथ आय का कम निर्धारण हुआ। विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था।

सीबीडीटी ने दिनांक 27 जून 2016 के अपने ईमेल उत्तर में उठाए गए विशेष मामलों पर या इंगित सुव्यवस्थित मुद्दे पर कोई अवलोकन नहीं की। एग्जिट सम्मेलन में, सदस्य, (एएंडजे) यह जानना चाहते थे कि क्या लेखापरीक्षा को उनके क्षेत्रीय कार्यालयों जैसे प्र. सीसीआईटीज़ आदि से उत्तर प्राप्त हुआ है। उप नियंत्रक महालेखाकार (सीआरए) ने कहा कि यद्यपि हमें क्षेत्रीय स्तर पर उत्तर प्राप्त हो गया है, सीबीडीटी ने इस कथन का उत्तर नहीं दिया। उसने विस्तार से वर्णन किया कि किस प्रकार यह अनिवार्य है कि लेखापरीक्षा को उत्तर प्राप्त हो ताकि मामले को समाप्त करने से पूर्व लेखापरीक्षा प्रेक्षण पर एक सामंजस्य पर पहुँचा जाये।

### सिफारिशें

(i) सीबीडीटी, व्यवसाय की अवधि के दौरान अस्थायी उत्पादों के मूल्य को निर्धारित करने के लिए जहाँ ऐसे उत्पादों का बाजार मूल्य अनिश्चित होता है, एक उचित तंत्र विकसित कर सकता है।

सीबीडीटी ने कहा (जून 2016) कि धारा 80आईए की उप धारा (8) का वर्णन शब्द 'बाजार मूल्य' को परिभाषित करता है। इस पर आधारित, स्थानीय बाजार परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एओ आवश्यक पूछताछ कर सकता है, ताकि उचित बाजार मूल्य का पता चले। तथापि, एग्जिट सम्मेलन के दौरान, सीबीडीटी अस्थायी उत्पादों के मूल्य को निर्धारित करने के लिए आवश्यक यथोचित तत्परता से संबंधित मामलों की पुनः जाँच के लिए सहमत हुआ (जून 2016)।

(ii) पवन चक्की द्वारा उर्जा उत्पादन, सह-उत्पादन प्लांट द्वारा उर्जा उत्पादन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, सीबीडीटी धारा के तहत उचित ढंग से शब्द उपक्रम को परिभाषित करने पर विचार कर सकता है।

सीबीडीटी ने कहा (जून 2016) कि वास्तव में पैरा 2.6 सीएजी के प्रेक्षण कुछ स्वचलित मामलों में धारा 80आईए के तहत कटौती की गलत मंजूरी के संबंध में है। ऐसे दृष्टांतों से बचने के लिए शब्द 'उपक्रम' को परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं लगती।

*लेखापरीक्षा का यह मत है कि सीबीडीटी एक निर्धारिती द्वारा प्रत्येक पवन चक्की को स्वतंत्र उपक्रम के रूप में मानने की अपेक्षा उसकी पवन चक्की के समूह को एक उपक्रम के रूप में किए जाने पर विचार। कुछ निर्धारितियों द्वारा 'उपक्रम' शब्द व्यक्तिगत पवन चक्की को दर्शाने के लिए और अन्य कुछ निर्धारितियों द्वारा पवन चक्की के समूह को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है और अन्य द्वारा पवन चक्की की हानि को अन्य व्यापार से लाभ के प्रति समायोजित किया गया था। कटौती के अनभिप्रेत लाभ से बचने के लिये और अधिनियम के संभावित गलत प्रयोग को ध्यान में रखते हुये, सीबीडीटी द्वारा आवश्यक स्पष्टीकरण जारी किये जाने चाहिये।*

(iii) सीबीडीटी धारा 80आईए(5) के प्रावधानों को संशोधित कर सकता है ताकि शुरूआती निर्धारण वर्ष से पूर्व की अवधि से संबंधित अग्रणीत हानि के समायोजन पर एओ द्वारा समान निर्णय लिया जाये।

सीबीडीटी ने कहा (जून 2016) कि मौजूदा नियम के अंतर्गत स्पष्टीकरण जारी करने की संभावना की जांच की जायेगी।

(iv) सीबीडीटी, अन्य स्रोतों से आय के रूप में कार्बन क्रेडिट की बिक्री आय से आय पर कर लगाने पर विचार कर सकता है।

सीबीडीटी ने कहा (जून 2016) कि इस मुद्दे कि क्या कोई वैधानिक संशोधन, अधिनियम के अंतर्गत अन्य स्रोतों से आय के रूप में कार्बन क्रेडिट की बिक्री

आय पर विचार करना आवश्यक है, की जांच आगामी बजट कार्य 2017 के दौरान की जायेगी।

(v) सीबीडीटी धारा 92ग(4) के पहले प्रावधान के समान प्रावधान शामिल करने पर इस शर्त के साथ विचार कर सकता है कि निर्धारण के दौरान एओ द्वारा किये गये संकलन पर बढ़ी हुई आय की राशि के संबंध में धारा 10ए, 10एए, 10बी या अध्याय VI-ए के अंतर्गत कोई भी कटौती अनुमत नहीं होगी।

सीबीडीटी ने कहा (जून 2016) कि इस मुद्दा कि क्या कोई वैधानिक संशोधन की अधिनियम के अंतर्गत आवश्यकता है कि आगामी बजट कार्य 2017 के दौरान जांच की जायेगी।

### अध्याय 3: निर्धारण में गलती

#### 3.1 प्रस्तावना

निर्धारित और एओ दोनों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन अनिवार्य है और इसलिये अधिनियम/नियम प्रावधानों से विचलन को उजागर करना निष्पादन लेखापरीक्षा का महत्वपूर्ण भाग है। ऐसी टिप्पणियां विभाग को संशोधन/पुनरीक्षण करने में सहायता कर सकती हैं जिसके परिणामस्वरूप राजस्व एकत्र होगा और गलतियों को दोहराने से भी बचा जा सकेगा। इस निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, हमारे समक्ष कई मामले आये जो अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थे।

निर्धारण में गलतियों का श्रेणी वार विवरण नीचे तालिका 3.1 में संक्षिप्त रूप से दर्शाया गया है:

पैरा सं.	तालिका 3.1: गलतियों की प्रकृति	मामले	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
3.2	रिटर्न फाइल करने में विलम्ब के बावजूद कटौती की अनुमति	11	80.49
3.3	अनुमेय अवधियों के बाद अनुमत कटौती	6	859.47
3.4	व्ययों का गलत आबंटन	15	224.47
3.5	विघटन/एकीकरण के परिणाम	7	376.10
3.6	पात्र लाभों की गणना में गलतियां	43	143.65
3.7	संबंधित पक्षों से लेनदेन बाजार कीमत पर नहीं किया जाना	6	15.10
3.8	पुराने संयंत्र तथा मशीनरी/पूर्ववर्ती अवसंरचना सुविधा/पहले से ही मौजूद व्यवसाय के विभाजन पर अनुमत कटौती	11	40.51
3.9	अन्तरण मूल्य निर्धारण (टीपी) समायोजन पर कटौती का अनुमोदन	4	15.11
3.10	अन्य स्रोतों से आय के प्रति कटौती	27	227.87
3.11	अन्य त्रुटियाँ	15	170.28
3.12	विशेष आरक्षित निधि के सृजन के बिना कटौती की अनुमति	1	0
	<b>कुल</b>	<b>146</b>	<b>2153.05</b>

### 3.2 रिटर्न फाइल करने में विलम्ब के बावजूद कटौती की अनुमति

धारा 80एसी के अनुसार, धारा 80आईए के अंतर्गत कटौती तब तक नहीं की जायेगी जब तक आप के रिटर्न में दावा नहीं किया गया हो और आय का रिटर्न संबंधित निर्धारण वर्ष में धारा 139(1) के अंतर्गत निर्धारित देय तिथि के अंदर भरा गया हो।

हमने 6 राज्यों<sup>28</sup> में 11 मामले पाये जिनमें आईटीडी ने रिटर्न फाइल करने में विलम्ब के बावजूद कटौती नामंजूर नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप, ₹ 80.49 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़ी आय का कम निर्धारण हुआ (परिशिष्ट 12)।

**बॉक्स 3.1: रिटर्न फाइल करने में विलम्ब के बावजूद कटौती की अनुमति पर उदाहरण के मामले**

**क. प्रभार : सीआईटी VI, दिल्ली**

**निर्धारित : मैसर्स मोन्नेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड**

**निर्धारण वर्ष : 2010-11**

**पैन : AAACM0501D**

एओ ने ऊर्जा उत्पन्न करने के लिये ₹ 177.75 करोड़ की कटौती अनुमत की। हमने पाया कि निर्धारित ने 29 जनवरी 2011 को रिटर्न फाइल करने की देय तिथि के बाद आय का रिटर्न फाइल किया था। इस प्रकार, अनुमत कटौती उचित नहीं थी। एओ द्वारा कटौती की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 60.41 करोड़ के कर प्रभाव प्रभाव से जुड़ी ₹ 177.75 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।

**ख. प्रभार : सीआईटी II सूरत**

**निर्धारित : मैसर्स सौराष्ट्र एनवायरो प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड**

**निर्धारण वर्ष : 2012-13**

**पैन : AACCV1967G**

एओ ने निर्धारित को ₹ 18.94 करोड़ की कटौती अनुमत की। हमने देखा कि निर्धारित ने 30 सितम्बर 2012 की देय तिथि के प्रति 26 अक्टूबर 2012 को नि.व. 2012-13 के लिये आय का रिटर्न फाइल किया। इस प्रकार, निर्धारित कटौती के लिये पात्र नहीं था। दावे को नामंजूर करने में एओ की विफलता के कारण ₹ 8.41 करोड़ के कर की कम उगाही से जुड़ी ₹ 18.94 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी मामले की जांच करने के लिये सहमत था (अगस्त 2015)।

<sup>28</sup> आंध्र प्रदेश (2), दिल्ली (1), गुजरात (1), महाराष्ट्र (1), तमिलनाडु (5) और उत्तर प्रदेश (1)

ग. प्रभार : सी1 सैन्ट्रल 2, चेन्नै  
निर्धारित : सेंट जॉन फ्रेट सिस्टमस् प्राइवेट लिमिटेड  
निर्धारण वर्ष : 2007-08 से 2010-11  
पैन : AAACS 4697N

एओ ने क्रमशः 2007-08, 2008-09, 2009-10 और 2010-11 में निर्धारित को ₹ 1.32 करोड़, ₹ 1.79 करोड़, ₹ 2.43 करोड़ और ₹ 1.50 करोड़ की कटौती अनुमत की। हमने देखा कि निर्धारित ने क्रमशः 2007-08, 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के लिये 7 फरवरी 2008, 20 जनवरी 2009, 30 नवम्बर 2009 और 22 अक्टूबर 2011 को लंबित रूप से आय का रिटर्न फाइल किया था। निर्धारित के दावे को नामंजूर करने की एओ की चूक के परिणामस्वरूप ₹ 2.39 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़ी ₹ 7.04 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी से उत्तर प्रतीक्षित है।

### 3.3 अनुमेय अवधियों के बाद अनुमत कटौती

धारा 80आईए के अंतर्गत कटौती की अनुमति धारा 80आईए के अंतर्गत कटौती का, 15 वर्षों में से लगातार किसी भी 10 निर्धारण वर्षों के लिये दावा किया जाना अपेक्षित है (सड़क, राजमार्ग और जल परियोजना के मामले में 20 वर्षों)। इस उद्देश्य हेतु नि.व. 2000-01 से, प्रारंभिक निर्धारण वर्ष, निर्धारण वर्ष होगा जैसाकि निर्धारित द्वारा अपने विकल्प में निर्धारित किया होगा, उस वर्ष से शुरू होगा जिसमें उपक्रम या उद्यम संचालित होगा या मूल सुविधायें शुरू करेगा। नि.व. 2000-01 से पूर्व, प्रारंभिक निर्धारण वर्ष के उद्देश्य हेतु विकल्प चयन करने का प्रावधान अधिनियम में उपलब्ध नहीं था।

हमने चार राज्यों<sup>29</sup> में छह मामलों में देखा कि कटौती घोषित प्रारंभिक निर्धारण वर्ष से शुरू होकर, लगातार 10 निर्धारण वर्षों की अनुमत सीमा से अधिक अवधि के लिये की गई थी। कटौती की गलत अनुमति से ₹ 859.47 करोड़ का कर प्रभाव बना (परिशिष्ट 13)।

<sup>29</sup> चण्डीगढ़ (1), दिल्ली (1), गुजरात (1) और महाराष्ट्र (3)

**बॉक्स 3.2: अनुज्ञेय अवधि से अधिक कटौती की अनुमति पर निदर्शी मामले**

**क. प्रभार : प्रधान सीआईटी-14, मुंबई**  
**निर्धारित : मैसर्स आईडिया सेल्यूलर लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2009-10, 2011-12 और 2012-13**  
**पैन : AAACB 2100P**

एओ ने नि.व. 2009-10, 2011-12 और 2012-13 के लिये निर्धारित को ₹ 2253.02 करोड़ की कुल कटौती अनुमत की। हमने देखा कि दूरसंचार सेवा से जुड़े निर्धारित ने 1 अप्रैल 2000 से पूर्व अर्थात् 3 अक्टूबर 1996 और 31 जुलाई 1997 के बीच अपना कार्य शुरू किया और इस प्रकार प्रारंभिक निर्धारण वर्ष 1997-98 और 1998-99 होने के कारण, निर्धारित नि.व. 2007-08 और 2008-09 तक ही कटौती के लिये पात्र था। तथापि, निर्धारित ने, अग्नेहीत व्यापार हानि और अनावशोषित मूल्यहास की बड़ी राशि के आधार पर, इन वर्षों के दौरान कटौती का दावा नहीं किया। तथापि, एओ ने नि.व. 2009-10 से कटौती की अनुमति दी क्योंकि साकारात्मक आय थी जो उचित नहीं थी क्योंकि कटौती के लिये पात्र अवधि पहले ही नि.व. 2008-09 के अंत में समाप्त हो चुकी थी। संयोग से, इसी प्रकार दूसरे निर्धारित मैसर्स वोडाफोन इंडिया लिमिटेड जिसने 1995-96 के दौरान अपना व्यापार शुरू किया था के मामले में, आईटीडी ने उपरोक्त के आधार पर निर्धारित द्वारा दावा की गई कटौती नामंजूर की। एओ द्वारा अनुमत अवधि के बाद कटौती की अनियमित अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 807.60 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़ी ₹ 2253.02 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित है।

**ख. प्रभार : प्रधान सीआईटी-14, मुंबई**  
**निर्धारित : मैसर्स रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2009-10, 2011-12 और 2012-13**  
**पैन : AACCR7446Q**

एओ ने नि.व. 2009-10 के लिये निर्धारित को आय में ₹ 114.12 करोड़ की कटौती की अनुमति दी। हमने देखा कि निर्धारित ने 1 अप्रैल 2000 से पूर्व नि.व. 1995-96 और 1996-97 से संबंधित वर्ष से दाहानु पावर यूनिट में संचालन शुरू किया जिसके लिये कटौती का दावा करने हेतु प्रारंभिक निर्धारण वर्ष के लिये विकल्प उपलब्ध नहीं था। परिणामस्वरूप, कटौती के लिये पात्र, अवधि की 10 वर्ष की सीमा क्रमशः यूनिट-1 और यूनिट-2 के लिये नि.व. 2004-05 और नि.व. 2005-06 तक समाप्त हो गई थी। इसी प्रकार, नि.व. 2009-10 से 2012-13 तक के लिये पवन चक्की के संबंध में निर्धारित को अनुमत ₹ 32.20 करोड़ की कटौती उचित नहीं थी क्योंकि पात्र अवधि की 10 वर्ष की सीमा नि.व. 2008-09 तक समाप्त हो चुकी थी। अनुमत अवधि से अधिक कटौती करने की अनियमित अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 49.56 करोड़ के कर की कम उगाही से जुड़ी ₹ 146.32 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। विभाग ने आपत्ति को स्वीकार नहीं किया यह कहते हुये कि 1 अप्रैल

2000 का संशोधित प्रावधान निर्धारित जिसने संचालन 1 अप्रैल 2000 से पूर्व शुरू कर लिया हो के लिये समान रूप से लागू होता है। इसलिये, दावा की गई कटौती की उचित अनुमति दी गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि संशोधित प्रावधान का पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं था। इसलिये, इकाईयां जिन्होंने 1 अप्रैल 2000 से पूर्व संचालन शुरू किया था को लाभ की अनुमति देना उचित नहीं थी। इसके अतिरिक्त, विभाग ने विभिन्न प्रभागों में निर्धारित और कटौती नामंजूर हुये मैसर्स वोडाफोन इंडिया लिमिटेड के मामले में भी समान निर्णय लिया।

### 3.4 व्ययों का गलत आबंटन

धारा 80आईए(10) में एओ द्वारा लाभ की पुनः गणना का प्रावधान है, तब जब उपयुक्त व्यापार करने वाले निर्धारित और किसी भी अन्य व्यक्ति के बीच निकट संबंध हो जब उनके बीच व्यापार की कार्यप्रणाली इस तरह व्यवस्थित हो कि उनके बीच व्यापार लेने-देने से निर्धारित को सामान्य लाभ से अधिक लाभ हो जो ऐसे उचित व्यापार में होना अपेक्षित हो।

अप्रत्यक्ष व्यय जैसे प्रशासनिक व्यय, निदेशक का पारिश्रमिक, मुख्य कार्यालय व्यय, स्थापना व्यय, धारा 35(1)(ii) के अंतर्गत कटौती, रॉयल्टी भुगतान आदि जो पात्र और अपात्र व्यापार में समान हो को उनके बीच बांट देना चाहिये। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारित पात्र व्यापार के संबंध में व्यापार लाभ की गणना करते समय केवल प्रत्यक्ष संचालन व्यय को ध्यान में रख रहे थे। इसके परिणामस्वरूप धारा 80आईए के अंतर्गत कटौती के उच्च दावे के परिणामी प्रभाव के साथ पात्र व्यापार के लाभ में वृद्धि हुई।

हमने आठ राज्यों<sup>30</sup> में 15 मामलों में देखा कि धारा 80आईए के अंतर्गत पात्र और अपात्र इकाईयों के बीच समान व्यय को उचित रूप से बांटे बिना कटौती अनुमत थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 224.47 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़ी कटौती की अधिक अनुमति दी गई (परिशिष्ट 14)।

<sup>30</sup> आंध्र प्रदेश (3), दिल्ली (1), गुजरात (2), कर्नाटक (2), महाराष्ट्र (3), राजस्थान (2), तमिलनाडु (1) और उत्तरप्रदेश (1)

**बॉक्स 3.3 : व्यय के गलत आबंटन पर उदाहरण के मामले**

**क. प्रभार : सीआईटी VI, दिल्ली**  
**निर्धारित : मैसर्स एनटीपीसी लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2010-11, 2011-12 और 2012-13**  
**पैन : AAACN0255D**

एओ ने पात्र इकाइयों से ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु क्रमशः नि.व. 2010-11 से 2012-13 के लिये निर्धारित को ₹ 1661.45 करोड़, ₹ 2034.90 करोड़ और 2680.74 करोड़ की कटौती की अनुमति दी। लेखापरीक्षा ने अलग लेखे में देखा कि कॉर्पोरेट व्यय के प्रति ₹ 106.57 करोड़, ₹ 159.09 करोड़ और ₹ 179.08 करोड़ की राशि प्रत्येक पात्र इकाइयों के लाभ प्राप्त करने के लिये लाभ और हानि खाते से डेबिट की गई थी। तथापि, धारा 80 आईए के अंतर्गत कटौती का दावा करने के उद्देश्य हेतु लाभ की गणना करते समय, उसे दोबारा जोड़ दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप पात्र लाभ में वृद्धि हुई। निर्धारित दो उपचार नहीं अपना सकता था - एक उसके लेखे के उद्देश्य के लिये और दूसरा उच्च कटौती का दावा करने हेतु लाभ निकालने के लिये। गलत गणना के परिणामस्वरूप ₹ 147.16 करोड़ के कुल कर प्रभाव से जुड़ी क्रमशः नि.व. 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिये ₹ 444.72 करोड़ की कटौती का अधिक दावा/स्वीकृति हुई। आईटीडी से उत्तर प्रतिक्षित था।

**ख. प्रभार : पीसीआईटी 14, मुंबई**  
**निर्धारित : मैसर्स रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2010-11, 2011-12 और 2012-13**  
**पैन : AACCR7446Q**

एओ ने उपरोक्त तीन निर्धारण वर्षों के लिये निर्धारित को ₹ 223.47 करोड़ की कटौती की अनुमति दी। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारित ने अनबिल्ट राजस्व के रूप में टैरिफ समायोजन खाते के कारण नियामक आय के रूप में आय की गणना में ₹ 568.33 करोड़, ₹ 461.97 करोड़ और ₹ 254.14 करोड़ की कटौती की। नियामक आय की विद्युत से निर्धारित वितरण द्वारा प्राप्त आय से कटौती करने और पात्र उपक्रमों को न बांटने के परिणामस्वरूप पात्र इकाइयों को लाभ में वृद्धि हुई और इस तरह धारा 80आईटी के अंतर्गत कटौती की अधिक अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 51.88 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े ₹ 155.61 करोड़ का कम निर्धारण हुआ। विभाग ने उत्तर दिया कि नियामक आय गोवा और समालकोट इकाइयों से संबंधित नहीं थी और इसलिये, बांटने का औचित्य नहीं निकलता। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि आईटीडी दावे के समर्थन में समर्थित दस्तावेज प्रदान नहीं किए कि नियामक आय गोवा और समालकोट इकाइयों से संबंधित नहीं थी। विभाग भी पूर्ण रूप से नियामक आय की कटौती की स्वीकार्यता को नहीं मानता।

ग. प्रभार : सीआईटी-1, हैदराबाद  
निर्धारित : मैसर्स एपी पावर जनरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद  
निर्धारण वर्ष : 2011-12  
पैन : AACCA2734J

निर्धारित कंपनी ने समेकित लाभ और हानि खाते में एसएलबीएचईएस, श्रीसायलम इकाई (80-आईए इकाई) में बाढ़ के कारण ₹ 13.08 करोड़ की हानि डेबिट की। तथापि, ऐसा कोई भी व्यय, पात्र विशिष्ट इकाई जिसके लिये 80-आईए कटौती का दावा किया गया था के अलग से लाभ और हानि खाते में बुक नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप धारा 80आईए के अंतर्गत ₹ 5.91 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़ी ₹ 13.08 करोड़ की कटौती का अधिक दावा किया गया था। आईटीडी मामले पर विचार करने हेतु सहमत था।

### 3.5 विघटन/एकीकरण के परिणाम

धारा 80आईए(12ए) के अनुसार, कटौती का लाभ उपक्रम या उद्यम जो 1 अप्रैल 2007 से पूर्व या विघटन/एकीकरण की योजना में ट्रांसफर कर दिये गये थे के लिये अनुमत नहीं है।

हमने चार राज्यों<sup>31</sup> में सात मामलों में उद्यम या उपक्रम जो एकीकरण/विघटन की योजना में ट्रांसफर किये गये थे यद्यपि ऐसा एकीकरण/विघटन 01.04.2007 को या उसके बाद हुआ हो से संबंधित लाभ के संबंध में कटौती की गलत अनुमति देखी। कटौती की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप 376.10 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़ी ₹ 1157.05 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ (परिशिष्ट 15)।

#### बॉक्स 3.4 : विघटन/एकीकरण के परिणाम पर निदर्शी मामले

क. प्रभार : प्रधान सीआईटी (सैन्ट्रल) 4, मुंबई  
निर्धारित : मैसर्स जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड  
निर्धारण वर्ष : 2010-11 और 2011-12  
पैन : AAACJ8109N

एओ ने एसबीयू ॥ इकाई जो वास्तविक रूप से मैसर्स जेएसडब्ल्यू (विजयनगर) लिमिटेड से संबंधित अलग संस्था थी, और बाद में 01.04.2008 से एकीकरण की योजना में निर्धारित कम्पनी के साथ मिला दी गई थी के संबंध में नि.व. 2010-11 और 2011-12 के लिये ₹ 416.06 करोड़ और ₹ 597.92 करोड़ की निर्धारित कटौती की अनुमति दी। चूँकि विलय

<sup>31</sup> दिल्ली(2), गुजरात (1), महाराष्ट्र (3) और तमिलनाडु (1)

01.04.2007 की निर्दिष्ट तिथि के बाद हुआ था, एसबीयू II के संबंध में कटौती को नामंजूर करना अपेक्षित था। एओ द्वारा कटौती की अनियमित अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 340.03 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़ी ₹ 1013.98 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी से उत्तर प्रतीक्षित था।

**ख. प्रभार : सीआईटी वालसाद**

**निर्धारित : मैसर्स देवांग पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड**

**निर्धारण वर्ष : 2011-12 और 2012-13**

**पैन : AADCD 7232R**

एओ ने निर्धारित को ₹ 2.72 करोड़ की कटौती अनुमत की। हमने देखा कि निर्धारित कंपनी 1 अप्रैल 2010 से बायोडील लैबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के गैर-फार्मा डिविजन के विघटन की योजना में बनी थी। चूँकि विघटन 01.04.2007 के बाद हुआ था, कटौती नामंजूर की जानी चाहिये थी। कटौती नामंजूर करने में एओ की चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.09 करोड़ के कर की कम उगाही से जुड़ी आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी से उत्तर प्रतीक्षित था।

### 3.6 पात्र लाभों की गणना में गलतियाँ

अध्याय VIए के अंतर्गत कटौती की गणना करने के लिये, अधिनियम में प्रावधान है कि निर्धारित द्वारा निकाली गई और उसकी कुल आय में शामिल की गई आय की राशि की अन्य बातों के साथ-साथ, पूर्व वर्षों के अग्रणीत हानि और अनावशोषित मूल्यह्रास को ध्यान में रखते हुये अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत गणना की जानी चाहिये। यह कानूनी रूप से नियत है कि सकल कुल आय अध्याय VIए के अंतर्गत कटौती की अनुमति से पूर्व पिछले वर्षों की आय, व्यापार हानि के प्रति निर्धारित की जानी चाहिये और यदि परिणामी आय 'शून्य' है, निर्धारित अध्याय VIए के अंतर्गत कटौती का दावा नहीं कर सकता।

हमने 10 राज्यों<sup>32</sup> में 43 मामलों में आय/कर, अवमूल्यन, अनुमत दुगनी कटौती, आय के अन्य शीर्ष पर अनुमत कटौती इत्यादि की गणना में गलती के कारण कटौती की गलत अनुमति देखी, जिसमें ₹ 143.65 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है (परिशिष्ट 16)।

<sup>32</sup> आंध्र प्रदेश(10), चन्डीगढ़(1), दिल्ली(1), गुजरात(1), कर्नाटक(5), मध्य प्रदेश(1), महाराष्ट्र(12), राजस्थान(1), तमिल नाडू(9) और उत्तर प्रदेश(2)

**बॉक्स 3.5: उपयुक्त लाभों की गणना में गलती पर निदर्शी मामलें**

**क. प्रभार : प्रधान सीआईटी सेन्ट्रल, कानपुर**  
**निर्धारिती : मैसर्ज एल्डेको सिडकल इंडस्ट्रीयल पार्क लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2007-08 तथा 2008-09**  
**पैन : AABCE6152D**

निर्धारिती की कर देयताओं की गणना करते समय एओ ने अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत उद्ग्रहणीय 30 प्रतिशत की दर के प्रति मैट प्रावधानों के अन्तर्गत लागू दर 10 प्रतिशत की निम्नतर दर पर गलत रूप से कर उद्ग्रहण किया। एओ द्वारा की गई गलती के कारण दोनो नि.व. के लिए ₹ 20.63 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। आईटीडी ने अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत गलती का परिशोधन किया (मार्च 2015)।

**ख. प्रभार : सीआईटी-IV, हैदराबाद**  
**निर्धारिती : मैसर्ज एनएसएल रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद**  
**निर्धारण वर्ष : 2012-13**  
**पैन : AABCN6009L**

एओ ने निर्धारिती को धारा 80 आई ए के अन्तर्गत ₹ 17.73 करोड़ की कटौती की अनुमति दी थी। निर्धारिती पवन चक्की तथा बायोमास से विद्युत उत्पन्न करने में शामिल था। हमने देखा कि उक्त कटौती को ₹ 8 करोड़ की व्यवसाय आय तक सीमित करने की बजाय, उपयुक्त व्यवसाय (विद्युत उत्पादन) से आय के अलावा, अन्य लेखा शीर्ष अर्थात् गृह संपत्ति, लघु अवधि पूंजीगत लाभ तथा लाभांश आय इत्यादि से आय पर भी अनुमति दी। कटौती को अस्वीकार करने में एओ की चूक के कारण ₹ 9.73 करोड़ की कटौती की अनियमित अनुमति दी गई जिसमें ₹ 3.90 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। आईटीडी ने धारा 154 के अन्तर्गत आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की (अगस्त 2015)।

**ग. प्रभार : सीआईटी प्रभार IV, दिल्ली**  
**निर्धारिती : मैसर्ज गुजरात गार्डीअन लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2010-11**  
**पैन : AAACG1622K**

एओ ने निर्धारण को अंतिम करते समय, निर्धारिती द्वारा संशोधित आरओआई में दावा किए गए ₹ 22.77 करोड़ की बजाए वास्तविक आय की विवरणी (आरओआई) में दावा किए गए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए धारा 80 आई ए के अन्तर्गत, ₹ 18.35 करोड़ की कटौती को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार, एओ कटौती को अस्वीकार करने में विफल रहा जिसके

कारण ₹ 4.42 करोड़ की कटौती की गलत अनुमति दी गई जिसमें ₹ 2.36 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया था।

घ. प्रभार : प्रधान सीआईटी V, बेंगलुरु  
निर्धारिती : श्री. रामामूर्ति प्रवीण चंद्र  
निर्धारण वर्ष : 2010-11 से 2012-13  
पैन : AAKPC0482C

निर्धारिती ने कुल आय की गणना करते समय सभी तीन नि.व. के लिए पवन चक्कियों द्वारा विद्युत उत्पादन से हुई ₹ 3.49 करोड़ की आय को घटा दिया तथा समान राशि का दोबारा दावा किया गया तथा धारा 80 आई ए के अन्तर्गत कटौती की भी अनुमति दी गई थी। इस प्रकार कटौती को अस्वीकार करने में एओ की विफलता के कारण दुगुनी कटौती हुई, जिसमें ₹ 1.18 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण शामिल है। विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2015)।

### 3.7 संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन बाजार कीमत पर नहीं किया गया

धारा 80-आईए(8) प्रावधान करती है कि यदि निर्धारिती के पात्र तथा अन्य व्यवसाय के बीच माल एवं सेवाओं के लेन-देन के लिए प्राप्त प्रतिफल बाजार मूल्य के अनुरूप नहीं है, कटौती के उद्देश्य के लिए लाभ को पुनः परिकल्पित किया जाएगा जैसे कि लेनदेन प्रचलित बाजार दर पर किया गया था। यह न्यायिक<sup>33</sup> रूप से माना गया है कि निर्धारिती को राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा लिए जा रहे शुल्क की दर से विद्युत शुल्क, उपकर, कर इत्यादि को घटाते हुए यूनिट मूल्य प्रभारित करने की अनुमति है।

हमने चार राज्यों<sup>34</sup> में छह मामलों में देखा कि विद्युत के सीमित उपभोग के मामले में, निर्धारिती ने बाजार दर से उच्चतर दर अपनाते हुए अतिरिक्त कटौती का दावा किया। एओ ने पात्र कटौती, की सही राशियों पर पहुँचने के लिए धारा 80 आई ए(8) के प्रावधानों का भी सहारा नहीं लिया। इस प्रकार, इसके कारण कटौती की अतिरिक्त अनुमति मिली जिसमें ₹ 15.10 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है (परिशिष्ट 17)।

<sup>33</sup> डीसीआईटी विरुद्ध आईटीसी (आईटीए सं. 18 कोलकाता 2006) आईटीएटी बी बैंच कोलकाता

<sup>34</sup> मध्य प्रदेश (1), महाराष्ट्र (2), उत्तराखण्ड (1) और पश्चिम बंगाल(2)

**बॉक्स 3.6: संबंधित पक्षों से लेनदेन बाजार कीमत दर पर न किए जाने पर निदर्शी मामले**

**क. प्रभार : प्रधान सीआईटी-2, कोलकाता**  
**निर्धारिती : मैसर्ज जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2010-11**  
**पैन : AAACJ6715G**

एओ ने निर्धारिती को इसके जेकेपुरम, सिरौही (राजस्थान) के कैप्टिव विद्युत संयंत्र से व्युत्पन्न उनके लाभ/प्राप्ति के लिए ₹ 24.80 करोड़ की कटौती की अनुमति दी। फार्म 10सीसीबी के अनुसार, उनके पास ₹ 113.19 करोड़ की कुल बिक्रियां थी जिनमें उसके स्वयं के सीमेंट प्लांट को ₹ 4.69 प्रति यूनिट जिसमें ₹ 0.40 का विद्युत शुल्क शामिल है पर दी गई विद्युत की 2375.84 लाख यूनिट समाविष्ट है जिसे आईटीएटी निर्णय के अनुसार घटाया जाना अपेक्षित था। ऐसा करने में एओ की विफलता के कारण लाभों की अतिरिक्त गणना हुई तथा फलस्वरूप ₹ 9.50 करोड़ की कटौती का उच्चतर दावा किया गया जिसमें मेट क्रेडिट के आगे अतिरिक्त हस्तांतरण के माध्यम से ₹ 3.23 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल है। आईटीडी से उत्तर प्रतीक्षित है।

**ख. प्रभार : पीसीआईटी - देहरादून**  
**निर्धारिती : मैसर्ज ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2010-11**  
**पैन : AAACO1598A**

एओ ने निर्धारिती को नि.व. 2010-11 के लिए ₹ 60.26 करोड़ की कटौती की अनुमति दी। हमने देखा कि निर्धारिती कम्पनी विद्युत के उत्पादन में शामिल थी। तथापि इसने कटौती के उद्देश्य के लिए अंतिम उपभोक्ताओं के लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (एमएसईबी) द्वारा लागू ₹ 5.58 प्रति यूनिट की दर को अपनाया जबकि निर्धारिती ने एमएसईबी को विद्युत ₹ 3.86 प्रति यूनिट की दर पर बेची। निर्धारिती का एमएसईबी को बिक्री मूल्य यानी ₹ 3.86 प्रति यूनिट को ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार निर्धारिती को सीमित उपभोग के लिए कम से कम बाजार कीमत पर होना चाहिए तथा इसे धारा 80 आई ए के अन्तर्गत कटौती के उद्देश्य के लिए भी अपनाना चाहिए। बाजार कीमत के गलत अभिग्रहण के कारण ₹ 18.79 करोड़ की कटौती का अतिरिक्त दावा किया गया जिसमें ₹ 8.56 करोड़ का कर प्रभाव भी शामिल था। आईटीडी ने यह कहते हुए आपत्ति को स्वीकार नहीं किया कि इस बिन्दु पर वृद्धि पहली बार नि.व. 2011-12 के दौरान की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नि.व. 2012-13 के लिए अनुवर्ती निर्धारण में एओ द्वारा समान दावे को भी अस्वीकृत कर दिया था।

### 3.8 पुराने संयंत्र तथा मशीनरी/पूर्ववर्ती अवसंरचना सुविधा/पहले से ही मौजूद व्यवसाय के विभाजन पर अनुमत कटौती

80 आई ए की कटौती के दावे के लिए निर्धारित शर्तों में से एक यह थी कि उपक्रम को किसी उद्देश्य के लिए पहले प्रयुक्त मशीनरी या संयंत्र के नए व्यवसाय को हस्तांतरण के द्वारा नहीं बनाया गया है। कटौती अनुमति योग्य थी यदि प्रयोग की गई मशीनरी का मूल्य संयंत्र एवं मशीनरी के कुल मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं था। भारत से बाहर प्रयुक्त तथा कटौती का दावा करने वाले निर्धारित द्वारा आयातित मशीनरी को नए के रूप में संसाधित किया गया था यदि ऐसी मशीनरी या संयंत्र पर अवमूल्यन के कारण किसी कटौती की अनुमति दी गई या अधिष्ठापन की तिथि से पहले किसी अवधि के लिए किसी व्यक्ति की कुल आय की गणना में अनुमति योग्य थी। इसके अतिरिक्त, कटौती का दावा करने वाला उपक्रम धारा 33बी के अन्तर्गत पुनरूद्धार/पुनर्निर्माण के मामले तथा एक राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा पहले प्रयुक्त किए गए संयंत्र या मशीनरी के हस्तांतरण के मामले को छोड़कर पहले से ही मौजूद एक व्यवसाय के विभाजन, या पुनर्निर्माण के द्वारा न बना हो।

सीबीडीटी ने स्पष्ट<sup>35</sup> कर दिया है कि राजमार्ग परियोजना के भाग के रूप में अतिरिक्त लेनों का निर्माण करके मौजूदा सड़क को चौड़ा करने के कार्य को नई “अवसंरचना सुविधा” के रूप में संसाधित किया जाएगा। मौजूदा सड़क को केवल दोबारा बनाने को इस खंड के लिए नई अवसंरचना सुविधा के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

हमने छह राज्यों<sup>36</sup> में 11 मामलों में देखा निर्धारितियों को ₹ 170.35 करोड़ की कटौती की अनुमति दी गई थी हालांकि प्रयोग किए जा रहे संयंत्र तथा मशीनरी पुराने थे या पहले से ही मौजूद व्यवसाय के विभाजन द्वारा उपक्रम बनाए जा रहे थे। कटौती की अनियमित अनुमति के कारण ₹ 40.51 करोड़ का कर प्रभाव शामिल हुआ (परिशिष्ट 18)।

<sup>35</sup> सीबीडीटी परिपत्र सं. 4/2010 दिनांक 18 मई 2010

<sup>36</sup> आंध्र प्रदेश(1), गुजरात(2), कर्नाटक(2), महाराष्ट्र(3), राजस्थान(1) और तमिल नाडू(2)

**बॉक्स 3.7: पुराने संयंत्र तथा मशीनरी/पूर्ववर्ती अवसंरचना सुविधा/ पहले से मौजूद व्यवसाय के विभाजन पर अनुमत कटौती के निदर्शी मामले**

**अ. प्रभार : सीआईटी V, हैदराबाद**  
**निर्धारिती : मैसर्ज विजयवाडा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद**  
**निर्धारण वर्ष : 2010-11**  
**पैन : AACCV7296A**

एओ ने निर्धारिती को धारा 80 आई ए के अन्तर्गत ₹ 48.95 करोड़ की कटौती की अनुमति दी थी। निर्धारिती राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम चरण V के भाग के रूप में निर्माण, प्रचालन तथा हस्तांतरण आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य में मौजूदा 4 लेन मार्ग को 6 लेन सड़क में विकसित करने के लिए एनएचआई के साथ समझौते में शामिल हुआ (2009)। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिती ने दावा किया था तथा उसे पहले से ही मौजूद अवसंरचना (4 मार्गी सड़क) पर कटौती की अनुमति मिल गई थी, जो सीबीडीटी द्वारा जारी स्पष्टीकरण की दृष्टि में नियमानुसार नहीं था, देखें 18 मई 2010 को परिपत्र सं. 4/2010। कटौती की अनियमित अनुमति के कारण ₹ 48.95 करोड़ की आय का अवनिर्धारण हुआ, जिसमें ₹ 16.64 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। आईटीडी से उत्तर प्रतीक्षित है।

**ख. प्रभार : प्रधान सीआईटी 3, मुम्बई**  
**निर्धारिती : मैसर्ज रेडी पोर्ट लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2010-11 से 2012-13**  
**पैन : AADCR6980N**

एओ ने नि.व. 2010-11 से 2012-13 के लिए निर्धारिती को क्रमशः ₹ 79.08 लाख, ₹ 3.61 करोड़ तथा ₹ 20.02 करोड़ की कटौती की अनुमति दी थी। कम्पनी 25 फरवरी 2009 को महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड (एमएमबी) के साथ समझौते में शामिल हुई, जिससे एमएमबी ने एक बहुउद्देशीय सामान्य प्रयोक्ता पोर्ट के निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन, सहभागिता तथा हस्तांतरण (बीओओएसटी) आधार पर निर्माण के लिए 50 वर्षों के लिए लाइसेंस प्रदान किया था। एमएमबी ने सभी सरकारी परिसंपत्तियों तथा मौजूदा सुविधाओं को आधुनिक बहुउद्देशीय, सामान्य प्रयोक्ता पोर्ट की स्थापना के लिए निर्धारिती को हस्तांतरित कर दिया तथा डिजाइन, 50 वर्षों की लाइसेंस अवधि के दौरान प्रयोक्ता शुल्कों के संग्रहण तथा रखने का अधिकार भी प्रदान किया। चूंकि निर्धारिती मौजूदा सुविधाओं के प्रचालन में शामिल था तथा अभी नई अवसंरचना सुविधाओं को विकसित नहीं किया था, कटौती को अस्वीकार किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, कटौती को अस्वीकार करने में एओ की विफलता के कारण ₹ 24.42 करोड़ की कटौती की गलत अनुमति दी गई, जिसमें तीन वर्षों के लिए ₹ 10.40 करोड़ का कर प्रभाव भी शामिल था।

आईटीडी ने आपत्ति स्वीकार नहीं करते हुए कहा कि निर्धारिती ने 1 अप्रैल 2002 से प्रभावी धारा 80 आई ए में स्थापित सभी मानदंडों को पूरा करता था, एक उद्यम को किसी अवसंरचना के प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए कटौती अनुमतियोग्य है जबकि निर्धारिती कम्पनी कम्पनीज अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग “यह कम्पनी के स्वामित्व में है” के अर्थ का “निर्धारिती कम्पनी, कम्पनीज अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत है” के रूप में विवेचन किया, जो सही नहीं था। धारा 80 आईए (1) के अन्तर्गत प्रयोग की गई उक्ति “यह कम्पनी के स्वामित्व में है” का अर्थ है - “अवसंरचना विकास कम्पनी के स्वामित्व में है”। इसके अतिरिक्त, आईटीडी का कथन कि किसी अवसंरचना का प्रचालन तथा अनुरक्षण धारा 80 आईए के अन्तर्गत कटौती के लिए पात्र व्यवसाय था, सही नहीं था। धारा 80 आईए(4)(बी) के अन्तर्गत, निर्धारिती के लिए नई अवसंरचना सुविधा का प्रचालन तथा अनुरक्षण अपेक्षित था। तत्काल मामले में, निर्धारिती ने 18 दिसम्बर 2009 को उनके आधुनिकीकरण के लिए पोर्ट की मौजूदा सुविधा के हस्तांतरण के लिए एमएमबी के साथ लीज डीड समझौता किया परन्तु निर्धारिती कम्पनी ने मौजूदा सुविधाओं का आधुनिकीकरण किए बिना समान निर्धारण वर्ष नि.व. 2010-11 के बाद से धारा 80 आईए के अन्तर्गत कटौती दावे करने आरंभ किए।

ग. प्रभार : सीआईटी-2 जयपुर

निर्धारिती : मैसर्स मुरारीलाल अग्रवाल कांटेक्टर प्राईवेट लिमिटेड

निर्धारण वर्ष : 2010-11, 2011-12 तथा 2013-14

पैन : AAECM1948A

नि.व. 2011-12 तथा 2013-14 के लिए ₹ 8.34 करोड़ की अनुमत कटौती को सारांश तरीके से संसाधित किया गया तथा नि.व. 2010-11 के लिए संवीक्षा के बाद पूर्ण किया गया। हमने देखा कि निर्धारिती सड़क के चौड़ा करने, मजबूत करने तथा सुधार करने के व्यवसाय में शामिल था जिसमें लेवलिंग कोर्स/सतह को ठीक करना तथा सीमेंट कंक्रीट फुटपाथ की मोटाई में वृद्धि करना शामिल था, जो कटौती के लिए पात्र नहीं था। इस प्रकार कटौती की अनियमित अनुमति के कारण आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित ₹ 3.33 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है। आईटीडी ने आपत्ति स्वीकार न करते हुए कहा कि चौड़ा करने और मजबूत करने से एक नई संरचना बनती है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेवलिंग कोर्स/सतह को ठीक करना तथा सीमेंट कंक्रीट फुटपाथ की मोटाई को बढ़ाना इत्यादि एक नई अवसंरचना सुविधा के रूप में वर्गीकरण योग्य नहीं थे।

घ. प्रभार : सीआईटी वलसाड  
निर्धारिती : मैसर्ज टीम फेरो एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड  
निर्धारण वर्ष : 2010-11 तथा 2012-13  
पैन : AAAC8925A

एओ ने निर्धारिती को धारा 80 आईए के अन्तर्गत ₹ 3.50 करोड़ (नि.वि. 2010-11 के लिए ₹ 2.53 करोड़ तथा नि.व. 2012-13 के लिए ₹ 97.30 लाख) की कटौती की अनुमति दी। लाभ तथा हानि लेखा की लेखापरीक्षा संवीक्षा से, फॉर्म 10सीसीबी, आय की गणना तथा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट से संलग्न टिप्पणियों से पता चला कि निर्धारिती ने एकमुश्त कीमत पर विद्युत यूनिट प्राप्त की। चूंकि उपक्रम को पहले ही मौजूद व्यवसाय के पुनर्निमाण से बना था, कटौती को अस्वीकार करना चाहिए था। कटौती अस्वीकार करने में एओ की चूक के कारण ₹ 3.50 करोड़ की कटौती की अनियमित अनुमति दी गई जिसमें ₹ 1.46 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है। आईटीडी ने आपत्ति स्वीकार न करते हुए कहा कि धारा 80 आईए के प्रावधान एक मौजूदा निर्धारिती से अन्य निर्धारिती तक वास्तव में एक उपक्रम के हस्तांतरण को स्पष्टतया अस्वीकार नहीं करते। एक उपक्रम की बिक्री भी एक उपक्रम के हस्तांतरण के प्रकार में से एक है जिसे एक व्यक्ति द्वारा इसकी परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के लिए व्यापक रूप से तथा सामान्यतया प्रयोग किया जाता है। उत्तर धारा 80 आई ए(3)(ii) के स्पष्ट प्रावधान की दृष्टि में स्वीकार्य नहीं है, जो बताता है कि उपक्रम को किसी अन्य उद्देश्य के लिए पहले प्रयुक्त मशीनरी या संयंत्र के नए व्यवसाय में हस्तांतरण के द्वारा नहीं बनाना चाहिए।

### 3.9 अन्तरण मूल्य निर्धारण (टीपी) समायोजन पर कटौती का अनुमोदन

धारा 92सीए(4) कहती है कि अध्याय VIए के अन्तर्गत कोई कटौती, जिसमें धारा 80 आईए के अन्तर्गत कटौती शामिल है, को उस आय की राशि के संबंध में अनुमति दी जानी चाहिए जिसके द्वारा अंतरण मूल्य अधिकारी द्वारा आर्म्स लेंग्थ मूल्य के निर्धारण के बाद कुल आय बढ़ जाती है।

हमने तीन राज्यों<sup>37</sup> में चार मामले देखें जहाँ धारा 92सीए(4) के अन्तर्गत आर्म्स लेंग्थ मूल्य निर्धारित करते समय किए गए समायोजन पर कटौतियों को अनुमति दी गई, जिसमें ₹ 15.11 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था (परिशिष्ट 19)।

<sup>37</sup> आंध्र प्रदेश (1), महाराष्ट्र (2) और पश्चिम बंगाल (1)

**बॉक्स 3.8: टीपी समायोजन की अनुमति पर निदर्शी मामलें**

**क. प्रभार : पीसीआईटी (सेन्ट्रल) 3, मुम्बई**  
**निर्धारिती : मैसर्ज बीटी ग्लोबल कम्यूनिकेशन्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2011-12**  
**पैन : AAACG1534A**

एओ ने अंतरण मूल्य समायोजन के प्रति निर्धारिती द्वारा स्वयं प्रेरित सीमा तक की गई वृद्धि पर ₹ 21.64 करोड़ की कटौती अनुमत की, जो नियमानुसार नहीं था। कटौती की अनियमित अनुमति के कारण ₹ 21.64 करोड़ की आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 7.19 करोड़ के कर का कम उदग्रहण भी शामिल है। आईटीडी ने आपत्ति को स्वीकार कर लिया है।

**ख. प्रभार : प्रधान सीआईटी-III कोलकाता**  
**निर्धारिती : मैसर्ज वोडाफोन ईस्ट लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2011-12**  
**पैन : AAACU3796J**

एओ ने धारा 92 सीए(3) के अन्तर्गत अंतर्राष्ट्रीय लेनदेनों के कारण आर्म्स लैंग्थ मूल्य के अतिरिक्त आरोही समायोजन की राशि, ₹ 35.36 करोड़ के 30 प्रतिशत पर ₹ 10.61 करोड़ की कटौती अनुमत की, जो धारा 92सीए(4) की शर्तों के उल्लंघन में था। कटौती को अस्वीकार करने में एओ की विफलता के कारण ₹ 10.61 करोड़ की कटौती की अतिरिक्त अनुमति दी गई, जिसमें ₹ 5.22 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है। आईटीडी से उत्तर प्रतीक्षित है।

### 3.10 अन्य स्रोतों से आय के प्रति कटौती

शब्द “उत्पत्ति होना” का एक व्यापक अर्थ नहीं हो सकता ताकि किसी आय, जो किसी तरीके से व्यवसाय से संबंधित हो, को समाविष्ट किया जा सके। आय के उत्पत्ति प्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय से जुड़ी होनी चाहिए तथा उससे उत्पन्न होनी चाहिए।

न्यायिक रूप से यह माना<sup>38</sup> गया है कि धारा 80आई ए/80आई बी पात्र व्यवसाय द्वारा उत्पन्न आय के संबंध में लाभ से जुड़े प्रोत्साहन हैं। ब्याज

<sup>38</sup> कैम्बे इलेक्ट्रिकल सप्लाइ को. लिमिटेड 113 आईटीआर 84 (एससी), स्टर्लिंग फूड 237 आईटीआर 53 (एससी), पांडियन कैमिकल्स लिमिटेड 262 आईटीआर 278 (एससी), लिबर्टी इंडिया - [2009] 317 आईटीआर 218 (एससी), ओरकेव फार्मा प्राईवेट लिमिटेड - [2013] 354 आईटीआर 227 (एससी), सीआई विरूद्ध कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड [2007] 295 आईटीआर 223/[2008] 168 टैक्समैन 236 (एएलएल), कोहिनूर फूड्स लिमिटेड - [2013] 253 आईटीआर 264 (डीईएल), किरन एंटरप्राइसिज - [2010] 327 आईटीआर 520 (एचपी), शरावथी स्टील प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड - [2012] 347 आईटीआर 317 (केएआर), एम.एम. फोर्जिंग्स लिमिटेड - [2012] 349 आईटीआर 673 (एमएडी), लिबर्टी शूज लिमिटेड - [2007] 293 आईटीआर 478 (पी एंड एच), सीआईटी विरूद्ध महारानी पैकेजिंग (प्रा.) लिमिटेड (2011) 55 डीटीआर 340 (एचपी) (उच्च न्यायालय), किन्फ्रा एक्सपोर्ट्स प्रमोशन इंडस्ट्रीयल पार्क्स लिमिटेड विरूद्ध डीसीआईटी (2013) 59 एसओटी 57 (यूआरओ) (कोच्ची) (ट्रिब.), एस्सार पॉवर लिमिटेड विरूद्ध अपर सीआईटी (2013) 142 आईटीडी (मुम्बई) (ट्रिब.), सीआईटी विरूद्ध गंगोत्री टेक्सटाईल लिमिटेड (2014) 221 टैक्समैन 28 (एमएडी.) (एचसी)

आय, शुल्क वापसी प्राप्तियां तथा डीईपीबी लाभ, सरकार से प्राप्त माल भाड़ा सब्सिडी/परिवहन सब्सिडी, कमीशन, बीमा दावा इत्यादि को पात्र औद्योगिक उपक्रम से प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न नहीं माना जाता है तथा कटौती के लिए भी विचार नहीं किया जाता है।

हमने 12 राज्यों<sup>39</sup> में 27 मामलों में देखा कि धारा 80 आई ए के अन्तर्गत कटौती ब्याज प्राप्तियों, आयात लाईसेंस के विक्रय, बीमा दावा इत्यादि पर अनुमत है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पात्र व्यवसाय के लाभ समाविष्ट है। कटौती की अतिरिक्त अनुमति ने सकल ₹ 227.87 करोड़ के कर प्रभाव को आकर्षित किया (परिशिष्ट 20)।

**बॉक्स 3.9: अन्य स्रोतों से आय के प्रति कटौती पर निदर्शी मामले**

**क. प्रभार : प्रधान सीआईटी II, भोपाल**

**निर्धारिती : मैसर्ज नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कोर्पोरेशन लिमिटेड**

**निर्धारण वर्ष : 2010-11 से 2012-13**

**पैन : AABCN 1732 G**

निर्धारिती कम्पनी ने नि.व. 2010-11 से 2012-13 के लिए क्रमशः ₹ 110.58 करोड़, ₹ 107.35 करोड़ तथा ₹ 184.87 करोड़ का ब्याज तथा अन्य आय अर्जित की जो उपक्रम की इसकी हाइड्रोइलेक्ट्रिक विद्युत उत्पादन उद्योगिता पर अर्जित प्रत्यक्ष आय पर आरोपित नहीं थी। व्यवसाय लाभों से उपर्युक्त आय को बाहर निकालने में एओ की विफलता के कारण ₹ 402.80 करोड़ की कटौती की अतिरिक्त अनुमति दी गई जिसमें ₹ 133.23 करोड़ का कर प्रभाव भी शामिल है। विभाग ने मामले की जाँच करना स्वीकार कर लिया है।

**ख. प्रभार : पीसीआईटी-I, पटना**

**निर्धारिती : मैसर्ज बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कोर्पोरेशन लिमिटेड**

**निर्धारण वर्ष : 2012-13**

**पैन : AADCB 7567M**

एओ ने निर्धारिती को अन्य आय से ₹ 66.47 करोड़ की कटौती की अनुमति दी। हमने देखा कि एओ ने ₹ 71.91 करोड़ की ब्याज आय पर कटौती अनुमत की जो पात्र व्यवसाय से उत्पन्न नहीं हुई थी। यह भी देखा गया कि नि.व. 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान इसी प्रकार की कटौतियों को अस्वीकार कर दिया था। अन्य स्रोतों से संबंधित ₹ 66.47 करोड़ की कटौती के गलत अनुमोदन के कारण ₹ 23.05 करोड़ के कर का उदग्रहण नहीं किया गया। आईटीडी ने उपचारात्मक कार्रवाई करना स्वीकार किया (जुलाई 2015)।

<sup>39</sup> आंध्र प्रदेश(4), बिहार(1), चंडीगढ़(1), छत्तीसगढ़(1), दिल्ली(1), गुजरात(2), कर्नाटक(6), मध्य प्रदेश(1), महाराष्ट्र(1), राजस्थान (2), तमिल नाडू(6) और उत्तराखंड(1)

ग. प्रभार : सीआईटी 4 चेन्नई

निर्धारिती : मैसर्स एल एंड टी ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

निर्धारण वर्ष : 2010-11 से 2012-13

पैन : AAACL1912F

एओ ने उपर्युक्त तीन निर्धारण वर्षों के लिए निर्धारिती को ₹ 36.05 करोड़ की कटौती अनुमत की। हमने देखा कि आय, जिसके प्रति न.व. 2010-11 के लिए कटौती का दावा किया गया था, में अन्तर-कोर्पोरेट जमा (आईसीडी) पर ₹ 16.48 करोड़ की ब्याज आय शामिल है, कटौती के लिए पात्र नहीं है। इसके अतिरिक्त, निर्धारिती ने नि.व. 2011-12 तथा 2012-13 के लिए ₹ 13.33 करोड़ तथा ₹ 13.90 करोड़ के ब्याज व्यय को छोड़ते हुए पात्र व्यवसाय की आय में वृद्धि कर दी। हालांकि ब्याज व्यय पात्र व्यवसाय से संबंधित था, इसे 'अन्य स्रोत' से आय के प्रति समायोजित किया गया था। आय की गलत गणना के प्रणामस्वरूप ₹ 36.05 करोड़ की कटौती अधिक अनुमत की गई जिसमें ₹ 12 करोड़ का कर प्रभावअन्तर्गस्त था। 2010-11 वार्षिक वर्ष के लिए, आयकर विभाग ने उत्तर दिया कि करदाताओं ने ब्याज आय के संबंध में कटौती का दावा नहीं किया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है जैसा कि आय विवरण और निर्धारण आदेश की गणना से स्पष्ट रूप से पता चला है कि निर्धारिती ने उसी कटौती का दावा किया जिसे लेखापरीक्षा में निर्दिष्ट किया गया था। वार्षिक वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए, आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित था।

ड. प्रभार : प्रधान सीआईटी, देहरादून

निर्धारिती : मैसर्स सीआईडीसीयूएल

निर्धारण वर्ष : 2010-11 और 2011-12

पैन : AAHCS 7324R

निर्धारण अधिकारी ने उपरोक्त निर्धारण वर्ष के लिए क्रमशः ₹ 11.33 करोड़ रुपये और ₹ 14.44 करोड़ रुपये निर्धारिती के लिए कटौती की अनुमति दी थी। हमने पाया कि निर्धारितियों ने भूमि प्रीमियम प्राप्तियों की किस्तों पर ₹ 27.99 करोड़ रुपये ब्याज आय प्राप्त की थी जो पात्र व्यवसाय से प्राप्त नहीं की गयी थी। गलत कटौती की अनुमति के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 11.33 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ। आयकर विभाग ने अवलोकन को स्वीकार कर लिया और उपचारी कदम उठाने के लिए सहमत हो गयी थी (अक्टूबर 2015)।

### 3.11 अन्य त्रुटियाँ

आयकर अधिनियम की धारा 143(3) प्रदान करती है कि निर्धारण अधिकारी को आय का निर्धारण सही और निर्धारित तरीके से करना है, विभिन्न प्रकार के दावों की सलंगन रिटर्न के साथ खातों संवीक्षा के निर्धारण में, अभिलेखों

और सभी दस्तावेजों की विस्तार से जांच की जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा समय समय पर अनुदेश भी निर्गत किये हैं।

हमने 15 मामलों<sup>40</sup> को देखा जहाँ एओ ने निर्धारण को पूरा करते समय विभिन्न प्रकार की गलतियों करने वालों को कटौती की अनुमति दी थी निर्धारण कटौती के अतिरिक्त अनुमति में ₹ 170.28 करोड़ का कर प्रभाव बनता था (अनुलग्नक 21)।

**बॉक्स 3.10: अन्य त्रुटियों के अन्तर्गत आने वाले मामलों के अन्तर्गत दृष्टांत**

क. प्रभार : पीसीआईटी (सेन्ट्रल) 3, मुम्बई  
निर्धारिती : मैसर्स मैराथन नेक्स्टजेन रियलटी लि.  
निर्धारण वर्ष : 2010-11 से 2012-13  
पैन : AAACP8032B

कर निर्धारिती ने उपरोक्त कर निर्धारण वर्ष के लिए घर की संपत्ति, अन्य स्रोतों, दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ और लघु अवधि के पूंजीगत लाभ से आय संबंध में ₹ 280.70 करोड़ की कटौती का दावा किया था। हनमे पाया कि कर निर्धारिती ने वास्तविक रिटर्न में शेयर धारकों की वार्षिक सामान्य बैठक में अनुमोदित खातों के आधार पर तैयार किये गये वास्तविक रिटर्न में अपनी गतिविधियों के माध्यम से ₹ 22.43 करोड़ का कुल व्यवसाय घाटा दिखाया है, तत्पश्चात्, कर निर्धारिती ने अपनी परियोजनाओं में से अचल संपत्तियों का बिक्री मूल्य घटाया था जैसाकि वास्तविक रिटर्न में दर्शाया गया है, अचल संपत्ति को बिक्री स्टाक में परिवर्तित करके और लेखा बही में दिखायी गयी दरों के स्थान पर परिसंपत्तियों की कम दर को अपनाया गया जिससे एलटीसीडी में पर्याप्त कमी और परिवर्तित व्यवसाय घाटे की तुलना में एसटीसीजी में वृद्धि हुई जैसा ₹ 142.88 करोड़ रुपये की व्यवसाय आय की मूल रिटर्न में दर्शाया गया है इसके संबंध में जो आदेश में नहीं थी इस सीमा तक कटौती की अनुमति दी गयी थी। संशोधित निर्धारण का दावा करते समय, एलटीसीजी में परिणामी कमी और एसटीसीजी में वृद्धि को वार्षिक लेखे में सुधारा नहीं गया था और विशेष वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों द्वारा इसको अनुमोदित नहीं किया गया था। संशोधित लेखापरीक्षित लाभ और हानि लेखा तथा तुलन-पत्र संशोधित रिटर्न के साथ प्रस्तुत नहीं किये गये थे। एओ से कटौती का अनियमित अनुमत से तीन वर्षों के लिए 47.60 करोड़ रुपये का कर प्रभाव पड़ा (आयकर विभाग से उत्तर प्रतिक्षा है)।

<sup>40</sup> आंध्र प्रदेश(1), महाराष्ट्र(12) और उत्तर प्रदेश(1)

**ब. प्रभार : प्रधान सीआईटी 2, मुम्बई**  
**कर निर्धारिती : मैसर्स टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2010-11**  
**पैन : AAAC0054A**

एओ ने कर निर्धारिती के लिए शुद्ध आय प्राप्त करने से पूर्व ₹ 248.91 करोड़ की कटौती की अनुमति दी थी। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि कर मुक्त यूएस 64 बांड खाते पर घाटे को कर योग्य लाभ तक आने के लिए वापस नहीं जोड़े गये थे। ऐसा करने में एओ विफल रहे परिणामस्वरूप ₹ 108.83 करोड़ की कटौती के अतिरिक्त अनुमत ₹ 36.99 करोड़ रुपये कम उदग्रहित कर भी सम्मिलित है। आयकर विभागों के उत्तर की प्रतीक्षित था।

**ग. प्रभार : प्रधान सीआईटी 5, मुम्बई**  
**कर निर्धारिती : मैसर्स महाइसकर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2012-13**  
**पैन : AADCM9396D**

एओ ने अमूर्त संपत्ति के स्थान पर ₹ 91.13 करोड़ के रूप में टोल संग्रह अधिकारो के संबंध में प्राप्त 15 वर्षों की रियायती अवधि के ऊपर ₹ 1366.91 करोड़ टोल संग्रहण अधिकार के कुल मूल्य का जो एक पन्द्रवहा होता है, ₹ 79.94 करोड़ की सीमा तक परिशोधन की अनुमति दी थी। आगे, खाता लाभ का निर्धारण करते समय, एओ ने ₹ 127.48 करोड़ कुल लाभ से मूल्य की कमी के लिए ₹ 54.97 करोड़ के प्रावधान की कटौती की गयी थी जबकि सामान्य प्रावधान में एओ ने व्यवसाय निर्धारण के उद्देश्य के लिए इसको अस्वीकृत नहीं किया था। त्रुटि के परिणामस्वरूप अतिरिक्त कटौती का अनुमत हुआ ₹ 66.16 करोड़ जिसमें ₹ 21.47 करोड़ कर प्रभाव भी सम्मिलित किया गया। आयकर विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा है।

### 3.12 विशेष आरक्षित निधि के सृजन के बिना कटौती की अनुमति

धारा 80आईए(6) प्रदान करती है कि जहाँ आवास या अन्य गतिविधियों राजमार्ग परियोजना का एक अभिन्न अंग है और जिसमें से लाभ जैसा निर्धारित किया जा सकता है के आधार और तरीके पर जिसमें से लाभ इस प्रकार निर्धारित किया गया है, इस प्रकार का लाभ कर के लिए योग्य नहीं हो सकता जब लाभ को विशेष आरक्षित खाते के लिए हस्तांतरित किया गया है और इसे वास्तव में राजमार्ग परियोजना के लिए उपयोग किया गया है। आवास और वर्ष में जो ऐसी राशि आरक्षित खाते में स्थानांतरित करने के बाद

तीन साल की समाप्ति से पहले अन्य गतिविधियों को छोड़कर, और शेष उपयुक्त राशि वर्ष की आय के रूप में कर के दायरे में होगी जिसमें आरक्षित खाते में इस प्रकार के हस्तांतरण ने स्थान ले लिया है।

**बॉक्स 3.11: विशेष आरक्षित निधि के सृजन के बिना कटौती की अनुमति पर निदर्शी मामले**

**प्रभार : पीसीआईटी-नोएडा**

**कर निर्धारिती :मैसर्स जेपी इन्फ्राटेक लि.**

**निर्धारण वर्ष : 2009-10**

**पैन : AABCJ9042R**

एओ ने कर निर्धारिती कम्पनी के लिए ₹ 284.87 करोड़ कटौती की अनुमति दी थी। कर निर्धारिती संबंधित संरचनाओं और बिक्री/एक्सप्रेसवे के किनारे को पट्टे धारण के विकास के साथ-साथ यमूना एक्सप्रेसवे के रख-रखाव और संचालन और विकास के व्यवसाय में संलग्न था तदनुसार, सीआईटी नोएडा ने वास्तविक निर्धारण की समीक्षा की और यह बताते हुए उपरोक्त कटौती को अस्वीकृत किया कि कर निर्धारिती धारा 80आईए(6) के अन्तर्गत कटौती के लिए पात्र है, धारा 80आईए(4)(i) के लिए स्पष्टीकरण (ब) के साथ पठित और धारा 80आईए(4)(i) के लिए (अ) स्पष्टीकरण के साथ नहीं है। अपील पर, आईटीएटी ने कटौती को पुनसंग्रहित रख लिया (अप्रैल 2015) यह कहते हुए कि टोल रोड को विकास नियन्त्रित अभिगम और निकास बिन्दुओं के साथ और सही उपयोगकर्ताओं से टोल एकत्र करने के लिए स्पष्ट रूप से सड़क की परिधि में एक्सप्रेसवे को डालकर जो एक टोल सड़क है। इसके अतिरिक्त, नोएडा और आगरा के मध्य एक्सप्रेसवे के विकास और एक्सप्रेसवे के समीप पाँच भूमि के विकास के एक परियोजना का अविभाजन्य और अभिन्न अंग थे और इसलिए कर निर्धारिती के लिए त्रुटिपूर्ण तरीके से कटौती अधिनियम की धारा 80आईए(4)(i) के स्पष्टीकरण के खंड (ख) में निर्धारिती के मामले में रखने से नकारा नहीं जा सकता है। आईटीएटी के आदेशों के अनुपालन में, किया गया था (जुलाई 2015) सम्पूर्ण राशि की कटौती की अनुमति प्रदान करके धारा 254/263/143(3) के आदेशों के अन्तर्गत पारित किया गया था।

सीआईटी, नोएडा और आईटीएटी का रूख राजमार्ग के उपचार पर एक दूसरे के विरोधाभासी हो रहे हैं कि एक राजमार्ग है या एक टोल सड़क है, सड़क की व्याख्या के लिए टोल सड़क और राजमार्ग परियोजना सहित स्पष्टीकरण (अ) और (ब) के अन्तर्गत धारा 80आईए की उपखंड(4)(i) के नीचे अधिनियम में संसोधन करने की आवश्यकता है।

एओ की ऊपर दर्शायी गयी त्रुटि और गलतियां संकेत देती हैं, कि प्रावधानों/शर्तों अधिनियम की धारा 80आईए में निर्धारित आधारभूत संरचना विकास के व्यापार में लगे कर निर्धारिती को कटौती की अनुमति देने से पहले एओ द्वारा साथ में विधिवत संकलित नहीं किये गये थे।

**सिफारिशें**

सीबीडीटी सुनिश्चित करे कि लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारण में इंगित त्रुटियों का विधिवत ध्यान रखा गया है जिससे राजस्व की हानि से बचा जा सके।

## अध्याय 4

### नियंत्रण क्रियाविधि

#### 4.1 प्रस्तावना

आंतरिक नियंत्रण में योजनाओं, नीतियों, कार्य करने के तरीके, दृष्टिकोण और लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक दृश्य के साथ प्रभावी तरीके से कार्य करने के लिए एक संगठन के कर्मचारियों के प्रयासों सहित सभी गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है।

#### 4.2 छोड़ा गया राजस्व

सीबीडीटी ने निर्धारण वर्ष 2011-12 से 2012-13 की अवधि के दौरान धारा 80आईए के अन्तर्गत अनुमत कटौती के प्रतिणामस्वरूप छोड़े गये राजस्व<sup>41</sup> का विवरण निम्नवत् प्रस्तुत किया:

तालिका 4.1 : सीबीडीटी द्वारा प्रस्तुत छोड़ा गया राजस्व				
				(₹ करोड़ में)
निर्धारण वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
छोड़ा गया कुल राजस्व	14,227.00	14,012.00	13,136.40	41,375.40

#### 4.2.1 छोड़ा गया अनिश्चित राजस्व का प्रभाव

लेखापरीक्षा में आधारभूत संरचना विकास के लिए सीबीडीटी/राजस्व विभाग से (अक्टूबर 2015) अनुमानित प्रत्यक्ष राजस्व के सम्बद्ध में वास्तविक निवेश के विषय में विवरण मांगा था। सीबीडीटी ने उत्तर दिया था (नवम्बर 2015) कि उन्होंने कर दाताओं द्वारा अपनी आय रिटर्न में दावा किये गये कर लाभ के ब्यौरे को बनाए रखा। वास्तविक निवेश और उनसे उत्पन्न होने वाले सकारात्मक बाहरी कारको की निगरानी, मुख्य रूप से अर्थिक मामले विभाग से संबंधित है। आर्थिक मामले विभाग ने यही बताया कि इस योजना से

<sup>41</sup> सीबीडीटी पत्र सं. एफ सं. 240/07/2015-एएंडपीएसी-॥ दिनांक 26 नवम्बर 2015

मिलने वाले वास्तविक लाभ पर कोई इनपुट नहीं था। तथापि, उद्योग संगठन से प्रतिक्रिया के आधार पर, पूँजीगत वस्तुएँ में कर प्रोत्साहन और उच्च तकनीक के क्षेत्र में पूर्णजीवित निवेश है।

इसके अतिरिक्त, उनकी आय के रिटर्न में करदाताओं द्वारा दावा किये गये लाभ का विवरण निर्धारण/अपील के विभिन्न स्तरों पर परिवर्तित होती है। इसलिए करदाताओं द्वारा उनकी आय के रिटर्न में दावा किये गये कर लाभ के विवरणों का अनुरक्षण देश की अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभाव के प्रयोजन के लिए छोड़े गये राजस्व को इंगित नहीं करता था।

इस प्रकार, सीबीडीटी के पास देश के अर्थिक और औद्योगिक विकास पर धारा 80आईए अन्तर्गत कटौती के कारण छोड़ा गया राजस्व के प्रभाव के निर्धारण करने के लिए कोई व्यवस्था (तन्त्र) नहीं था। इसलिए, लेखा परीक्षा यह पता लगाने में असमर्थ है कि क्या अधिनियम में कटौती प्रारंभ करने के उद्देश्य को प्राप्त कर लिया गया है। अतः सीबीडीटी आश्वासन देने के लिए किसी भी अभिलेख को प्रस्तुत करने में असफल रही है कि सरकार ने योजना की लागत लाभ का विश्लेषण करने के लिए किस प्रणाली को प्रयोग किया है इसलिए समाज के लिए लाभ का निर्धारण करने के लिए निर्धारिती कंपनियों को दी गई रियायतें/अनुमत उत्पन्न को सुनिश्चित किया जा सके। सीबीडीटी ने सुझाव दिया कि एनआईपीएफपी जैसे विशेषज्ञ निकायों द्वारा अध्ययन किया जा सकता है।

#### **4.3 धारा 80आईए के अंतर्गत कटौती का दावा करने वाली निर्धारिती कम्पनियों से संबंधित एमआईएस रिपोर्टों का अभाव**

##### **4.3.1 एओ/सीआईटी स्तर पर एमआईएस प्रतिवेदन**

एओ/सीआईटी स्तर पर धारा 80आईए के अन्तर्गत निर्धारिती कंपनियों के संबंध में यह दावा करते हुए निर्धारिती कंपनियों को पहचान की सुविधा दे सकती है, कटौती के प्रभाव का दावा किया गया और अनुमति दी गयी, निर्धारण का लंबित रहना, बुनियादी ढांचे के विकास में दावे की निरंतरता,

लंबित अपीलों आदि की नियमित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) की रिपोर्ट करती है।

(क) कोलकाता में, आयकर विभाग प्रणाली ने आयकर अधिनियम की धारा 80आईए के अन्तर्गत कटौती के दावे के संबंध में विवरणों को प्रदान नहीं किया गया। आयकर विभाग ने उत्तर दिया कि इन दिनों रिटर्न ऑन-लाइन जमा की जाती है, धारा 80आईए के अन्तर्गत कटौती का दावा करने वाले कर निर्धारिती का पता लगाने का एक मात्र विकल्प व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक रिटर्न के माध्यम से या संवीक्षा के समय प्रस्तुत अभिलेखों की पुष्टि के माध्यम से पता लगाया जाता था।

(ख) उत्तर प्रदेश में, आयकर प्रणाली धारा 80आईए के अन्तर्गत 'व्यवसाय निरंतरता योजना' पर कटौती के दावे से संबंधित डेटा/अभिलेख का अनुरक्षण किया गया। यद्यपि लेखा परीक्षा में पाया गया कि व्यवसाय 'निरंतरता योजना' निर्धारिती द्वारा फाइल किए गए रिटर्न की विषय वस्तु को केवल दर्शित करता है लेकिन कटौती की वास्तविक अनुमत के विषय में, विवादित कर माँग इत्यादि की सूचना नहीं रखता है।

#### 4.3.2 डीजीआईटी (प्रणाली) द्वारा डाटाबेस का अनुरक्षण

डीजीआईटी (प्रणाली) नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध डाटाबेस निहित सूचनाएँ निर्धारिती की वास्तविक निर्धारणों में उपलब्ध विवरणों के साथ मेल नहीं खाती है। डाटाबेस में निर्धारितियों द्वारा दावों के संबंध में निर्धारण के दौरान वास्तव में अनुमति प्राप्त कटौती के डेटा समाविष्ट नहीं है। डाटाबेस भी ऐसे मामले में जहाँ निर्धारिती पात्र ईकाई से लाभ ले रहा था की अनुमति कटौती नहीं प्रदर्शित कर रहा था लेकिन सकल कुल आय नकारात्मक थी के रूप में कोई कटौती स्वीकार्य नहीं थी। डाटाबेस के जांच के द्वारा, हमने पाया कि गुजरात प्रभार में, धारा 80आईए के अन्तर्गत 35 निर्धारितियों ने 302.07 करोड़ रुपये का दावा किया, जो डीजीआईटी (प्रणाली) के द्वारा उपलब्ध डेटा में सम्मिलित नहीं किये गये थे (परिशिष्ट 22)।

एओ/सीआईटी स्तर पर पर्याप्त डाटाबेस के अनुरक्षण और एमआईएस रिपोर्ट के मामले और महानिदेशक (प्रणाली) बहिगमन सम्मेलन में विचार विमर्श किया था (जून 2016)। ऊपर महानिदेशक (प्रणाली) सटीक डाटाबेस की स्थिति के विषय में जानकारी चाहते थे जिसकी एओ/सीआईटी स्तर पर अनुरक्षित करने की आवश्यकता थी। यह स्पष्ट किया गया था कि जबकि डेटा डीजी (प्रणाली) द्वारा अनुरक्षित डेटा आयकर रिटर्न में निर्धारिती द्वारा दावा किये गये कटौती के विषय में बताता है। एओ द्वारा वास्तव में जाँच के बाद दिखाये दावे की अनुमति नहीं गये थे लेकिन केवल प्रत्येक जांच के निर्धारण फाइल में उपलब्ध थे अपर महानिदेशक (प्रणाली) बताया था कि रियायत/अनुमत बहु धाराओं के अन्तर्गत अनुदत्त किये गये थे और सभी डेटा को दिखाया वास्तव में संभव नहीं है। यद्यपि, उन्होंने कहा कि लेखापरीक्षा के लिए डेटा को छाँटा जा सकता था और आवश्यकता होने पर उपलब्ध कराया जा सकता था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती द्वारा किये गये दावे में और भिन्नता थी और एओ द्वारा स्वीकार किया गया था, इसको उपयोगी डेटा के रूप इसको अनुरक्षित किया जाता चाहिए था अपर महानिदेशक (प्रणालियां) इस पर विचार करने के लिए सहमत है।

#### 4.4 लेखापरीक्षक की अपूर्ण रिपोर्ट/प्रमाणपत्र

पात्र व्यवसाय के परिचालन के प्रारम्भ होने की तिथि से 15 वर्षों में से लगातार 10 वर्षों के लिए धारा 80आईए के अन्तर्गत कटौती के संबंध में एक एकाउंटेंट से फार्म 10सीसीबी में एक उचित रिपोर्ट के साथ लाभ और हानि खाते और उपक्रम या उद्यम के तुलन-पत्र के साथ उत्पादन के अधीन उपक्रम या उद्यम की प्रत्येक ईकाई को उपक्रम या उद्यम के रूप में देखा जाता है। क्योंकि यदि उपक्रम या उद्यम धारा 80आईए(7) के अन्तर्गत प्रस्तावित थी नियम 18 बीबीबी आयकर नियमों के साथ पठित उपक्रम या उद्यम एक अलग ईकाईयां थी जो निष्ठापूर्वक कटौती की अनुमति देने से पूर्व आयकर विभाग द्वारा देखा जाना चाहिए।

4.4.1 आयकर विभाग ने धारा 80आईए के अन्तर्गत 10 राज्यों<sup>42</sup> में 65 मामलों में प्रपत्र 10 सीसीबी में अपेक्षित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/प्रमाणपत्र में निहित सूचना की पूर्ण किये बिना लाभ और हानि खाते और तुलन-पत्र के साथ रूपये 121.88 करोड़ के कर प्रभाव से संबंधित कटौती अनुमति दी थी (परिशिष्ट 23)।

**बॉक्स 4.1: लेखापरीक्षक की अपूर्ण रिपोर्ट/प्रमाणपत्र के दृष्टांत मामले**

क. प्रभार : सीआईटी-1 रायपुर

निर्धारिती : मैसर्स गोदावरी पावर एण्ड इस्पात लि.

निर्धारण वर्ष : 2010-11 से 2012-13

पैन : AAACI7189K

निर्धारिती कंपनी ने उपरोक्त व्यक्त तीन कर निर्धारिती वर्षों के लिए ₹ 17.20 करोड़ ₹34.44 करोड़ और ₹ 27.43 करोड़ की कटौती का दावा किया था। हमने पाया कि निर्धारिती ने विधिवत चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा हस्ताक्षरित लाभ-हानि खाता और तुलन-पत्र अनुरक्षित और प्रस्तुत नहीं किये इसकी अपेक्षित कटौती के दावे के रूप में नियम 18बीबीबी के प्रावधान के द्वारा एक अलग रूप में इसकी प्रत्येक पावर इकाई का व्यक्त किया गया है। फार्म 10 सीसीबी इत्यादि में पृथक प्रतिवेदन की अनुपस्थिति में निर्धारिती द्वारा ₹ 79.07 करोड़ रूपये की कटौती के दावे आयकर विभाग द्वारा अस्वीकृत कर देने चाहिए। एओ कटौती को अस्वीकृत करने में विफल रहे परिणामस्वरूप ₹ 35.49 करोड़ कर प्रभाव सहित ₹ 79.07 करोड़ की कटौती के अनियमित अनुमत हुआ। आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार नहीं किया यह कहते हुए कि निर्धारिती द्वारा फार्म सं. 18सीसीबी में विधिवत पृथक खाता बही, नियम 18बीबीबी के अनुसार तुलन-पत्र, लाभ और हानि खाते इत्यादि के साथ अनुरक्षित की गयी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसा निर्धारिती द्वारा सभी ईकाईयों के लिए फार्म 10सीसीबी में केवल एक प्रतिवेदन अनुरक्षित की गयी थी जो आयकर नियमों धारा 80आईए के अन्तर्गत कटौती के दावे करने के लिए नियम 18बीबीबी का उलंघन है।

<sup>42</sup> छत्तीसगढ़(6), गुजरात(3), झारखंड(1), कर्नाटक(5), मध्य प्रदेश(1), महाराष्ट्र(24), तमिलनाडू(22), उत्तराखंड(1), उत्तर प्रदेश(1), और पश्चिम बंगाल(1),

**ख. प्रभार : पीसीआईटी-2, कोलकाता**  
**निर्धारिती : मैसर्स बालमैर लॉरी एण्ड क. लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2010-11**  
**पैन : AABCB0984E**

एओ ने धारा 80आईए के अन्तर्गत निर्धारिती के द्वारा इसके 'कंटेनर फ्रेट स्टेशन' (सीएफएस) से लाभ से निकाली गयी ₹ 17.15 की कटौती की अनुमति दी थी। यद्यपि कर निर्धारिती ने फार्म 10सीसीबी कटौती का दावा करने के लिए सीएफएस की पृथक खाते और तुलन पत्र जमा नहीं किये थे एओ की कटौती अस्वीकृत करने के लिए त्रुटि ब्याज सहित ₹ 7.93 करोड़ रुपये का सम्मिलित कर प्रभाव कटौती की सीमा तक आय के निर्धारण के परिणामस्वरूप हुई है। आयकर विभाग का उत्तर प्रतिक्षित था।

**ग. प्रभार : सीआईटी ॥ मदुरई**  
**निर्धारिती : मैसर्स रैमको इन्टस्ट्रीयल लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष : 2010-11**  
**पैन : AAACR 5284 J**

एओ ने निर्धारिती के लिए ₹ 9.29 करोड़ रुपये की कटौती की अनुमति दी थी यद्यपि निर्धारिती ने अपेक्षित फार्म 10सीसीबी, पृथक लाभ-हानि खाता, पात्र इकाई के तुलन-पत्र प्रस्तुत नहीं किये थे। त्रुटिपूर्ण कटौती के अनुमत के परिणामस्वरूप ₹ 3.16 करोड़ से कर प्रभाव सहित उस सीमा के लिए कम निर्धारण हुआ। आयकर विभाग का उत्तर प्रतिक्षित था।

**घ. प्रभार : पीसीआईटी, बेंगलुरु**  
**निर्धारिती : मैसर्स मैसूर व्यापारिक कंपनी लि.**  
**निर्धारण वर्ष : 2011-12 और 2012-13**  
**पैन : AACCM1216H**

एओ ने दो वर्षों के लिए धारा 80आईए के अन्तर्गत ₹ 1.86 करोड़ और ₹ 3.92 करोड़ कटौती की अनुमति दी थी। हमने पाया कि निर्धारिती कंपनी ने निर्धारिती फार्म में लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये बिना कटौती का दावा किया था। कटौती अस्वीकार करने में एओ के असफल रहने के कारण ₹ 2.43 करोड़ के कर प्रभाव सहित आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी से उत्तर प्रतीक्षित था।

ड. प्रभार : पीसीआईटी - जमशेदपुर  
निर्धारिती : मै. जमशेदपुर युटीलिटिज एंड सर्विस कम्पनी लिमि. (जसको)  
निर्धारण वर्ष : 2010-11  
पैन : AABCJ3604P

एओ ने धारा 80-आईए के अंतर्गत ₹ 3.73 करोड़ की कटौती की अनुमति दी, यद्यपि निर्धारिती ने अलग अपेक्षित आवश्यक प्रमाणित लेखा और 10 सीसीबी प्रस्तुत नहीं किया। कटौती की गलत अनुमति में ₹ 1.70 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। आईटीडी लेखापरीक्षा आपत्ति की जांच के लिए सहमत हो गया (अक्टूबर 2015)।

अतः उपरोक्त से यह प्रमाणित होता है कि एओ अनियमित रूप से इस तथ्य कि क्या निर्धारिती कम्पनियां अपेक्षित आवश्यक अलग प्रमाणित लेखे या फार्म 10 सीसीबी प्रस्तुत की है, की जांच किये बिना निर्धारिती को कटौती की अनुमति दी। यदि प्रस्तुत किये गये, तो क्या निर्धारिती ने उसमें उपयुक्त सूचना जैसे उपक्रम के व्यापार को प्रारंभ करना, प्रारंभिक निर्धारण वर्ष जब से निर्धारिती ने कटौती का दावा किया है, व्यापार का स्वरूप और दावा की गई कटौती राशि आदि प्रस्तुत की हैं। सीबीडीटी आईटीआर फार्म में परिवर्तनों के संयोजन को ध्यान में रखने के लिए सहमत हो गई (जून 2016)।

#### 4.5 फार्म 10 सीसीबी देरी से दाखिल करना/ई-फाइलिंग नहीं करना

नि.व. 2013-14 से, धारा 139(1) के अंतर्गत आय की रिटर्न फाइल करने की तिथि पर या पहले फार्म 10सीसीबी<sup>43</sup> की ई-फाइल आवश्यक कर दी गई है।

37 मामलों में हमने देखा कि फार्म 10सीसीबी 32 मामलों में फाइल नहीं की गई थी जबकि 5 मामलों में फार्म 10सीसीबी रिटर्न की फाइलिंग की निश्चित तिथि के बाद ई-फाइल की गई थी। इन मामलों में, एओ ने अनियमित रूप से ₹ 259.09 करोड़ के कर प्रभाव सहित धारा 80आईए के अंतर्गत ₹ 798.76 करोड़ की अनियमित कटौती की अनुमति की। इन आवश्यक आवश्यकताओं का अनुपालन धारा 143(1) के अंतर्गत रिटर्न के प्रसंस्करण के समय पर सिस्टम द्वारा भी सुनिश्चित नहीं किया गया था (परिशिष्ट 24)।

<sup>43</sup> आयकर कर नियमावली 1962 के नियम के 12(2) के अनुसार

आईटीडी ने तीन मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया। अन्य तीन मामलों में, आईटीडी ने कहा कि मामले संवीक्षा के अंतर्गत हैं और इनका ध्यान रखा जाएगा। 10 मामलों में, आईटीडी ने कहा कि मामला सिस्टम संबंधी होने के कारण डीजीआईटी (सिस्टम) को भेजा जाएगा।

उपरोक्त से यह पाया गया कि फॉर्म 10 सीसीबी की ई-फाइलिंग के बावजूद नि.व. 2013-14 से यह आवश्यक कर दी गई है, उक्त में फाइल न करने/देर से फाइल करने का मामला अभी भी मौजूद है। सीबीडीटी ने कहा (जून 2016) कि आईटी अधिनियम की धारा 143(1) के संशोधन के अनुसार वित्त अधिनियम 2016 में मामले को ध्यानार्थ रखा गया है। धारा की शर्तानुसार कोई अस्वीकृति सीधे नहीं दी जा सकती जैसा कि कर दाता को दिये गये नोटिस में दी गई है।

#### **4.6 अधिनियम में संशोधन के अनुसार फार्म 10 सीसीबी को संशोधित नहीं किया गया।**

(i) वित्त अधिनियम, 2007 के सारांश को स्पष्ट करते हुए, 31.3.2007 के बाद एकीकरण या अविलय की योजना के अंतर्गत धारा 80आईए की उप-धारा 12ए के अंतर्गत लाते हुए जो यह दर्शाता है कि उप-धारा (12) के प्रावधान किसी उपक्रम या उद्यम जो 31.3.2007 के बाद एकीकरण या अविलय की योजना में स्थानांतरित किये गये हैं, पर लागू नहीं होंगे, सीबीडीटी ने बताया कि धारा 81-1ए के अंतर्गत लाभ पहुँचाने में मुख्य अभिप्राय उनको लाभ प्रदान करना है जो पहले आरंभिक निवेश कर चुके और उद्यमी जोखिम उठा चुके थे। अधिनियम में ऐसे प्रावधान आरंभ करने के बावजूद, आईटीडी फार्म 10सीसीबी में दी गई सूचना के आधार पर अनुमत की गई अनियमित कटौती का दावा रोकने के लिए इस उप-धारा को लागू करने को देखने के लिए फार्म 10सीसीबी में कोई परिवर्तन नहीं किया।

(ii) 80आईए(3) के अंतर्गत निर्धारित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अचल परिसम्पत्तियों के अतिरिक्त सत्यापित करना अपेक्षित है। यद्यपि फार्म 3सीडी अनुमत योग्य मूल्य हास के विवरण प्रदान करता है। यद्यपि फार्म 3सीडी अनुमत योग्य मूल्यहास के विवरण प्रदान करता है, फार्म 10 सीसीबी में अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार्य मूल्यहास से संबंधित कोई सूचना उपलब्ध

नहीं है। इसी प्रकार, परिशिष्ट 1ए में निर्दिष्ट दर के अनुसार मूल्यहास का दावा कर रही विद्युत उत्पादक के मामले में, मूल्यहास सारणी के लिए कोई अलग आय रिटर्न में निर्धारित नहीं की गई।

(iii) 2008 की सीएजी की रिपोर्ट सं. पीए 7 के अध्याय III के 'योग्य इकाईयों से संबंधित हानियों और मूल्यहास का समायोजन' (पैरा 3.6.3.27) में यह दर्शाया गया इस पर हमारी विगत निष्पादन लेखापरीक्षा में यह सिफारिश की गई कि मंत्रालय एक अभिन्न सत्व के रूप में योग्य इकाईयों से संबंधित लाभों की गणना करने के लिए प्रक्रिया के पहले वर्ष से हानि/मूल्यहास के अग्रेनीत के विवरण प्रस्तुत करने के लिए 80आईए कटौती प्राप्त करना निर्धारिती के लिए इसे आवश्यक बनाने को ध्यान में रख सकता है। यह भी सिफारिश की गई थी कि निर्धारण आदेश अलग-अलग उपयुक्त और अनुपयुक्त इकाईयों के लिए भावी वर्षों में सेट आफ करने के लिए हानियों के विवरण अग्रेनीत किये जाने को स्पष्टतः निर्दिष्ट करते हैं।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान भी, यह देखा गया कि उपयुक्त इकाईयों की हानियां/अनावशोषित मूल्यहास के अग्रेनीत से संबंधित सूचना एओ के पास तुरंत उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त, कोई स्पष्ट सशब्द आदेश नहीं है ताकि उपयुक्त इकाई की हानियां/अनावशोषित मूल्यहास के अग्रेनीत करने की स्थिति को अद्यतित किया जा सके। सीबीडीटी उपर्युक्त मामलों के मद्देनजर लेखापरीक्षा फार्म 10सीसीबी की जांच करने के लिए सहमत हुआ (जून 2016)।

#### 4.7 संवीक्षा हेतु 80 आईए मामलों का चयन न करना

4.7.1 सीबीडीटी ने निर्धारितियों की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत संवीक्षा के लिए मामलों के चयन के लिए कार्यपद्धति विनिर्दिष्ट करने के प्रत्येक वर्ष 8 निर्देश जारी करता है। चयन प्रक्रिया राजस्व की किसी हानि न होने को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मैन्यूअल संवीक्षा, विवेकपूर्ण मैन्यूअल संवीक्षा और संवीक्षा हेतु कम्प्यूटर सहायक युक्त चयन (सीएएसएस) सामान्य रूप से आवश्यक होंगे।

वर्ष 2013-14 के दौरान संवीक्षा मामलों के आवश्यक मैन्यूल चयन के लिए प्रक्रिया और मानदंड पर बोर्ड द्वारा जारी की गई दिनांक 5 अगस्त 2013 की निदेश सं. 10/2013 के अनुसार “कानून या तथ्य जो अपील में स्थायी है या अपील प्राधिकारी के समक्ष लंबित है, के और पुनरावृत्त प्रश्न पर 10 लाख से अधिक होने पर किसी पूर्व निर्धारण वर्ष में अनुवृद्धि वाले मामले” एक मानदंड है।

हमने 19 मामले<sup>44</sup> पाये जिन्होंने संवीक्षा निर्धारण के लिए चयनित होने के लिए मानदंड पूरे किये परन्तु चयनित नहीं किये गये थे। इन मामलों में, निर्धारितियों को धारा 143(1) के अंतर्गत संक्षेप निर्धारण में गलत रूप से कटौती अनुमत की गई थी जिसमें ₹ 7.54 करोड़ के कर प्रभाव सहित दावा किया गया था (परिशिष्ट 25)।

**बॉक्स 4.2: 80आईए मामलों का संवीक्षा हेतु चयन नहीं होने के निदर्शी मामले**

क. प्रभार : प्रधान सीआईटी-1 भोपाल

निर्धारिती : मै. मध्य प्रदेश सड़क विकास कार्पोरेशन लिमि.

निर्धारण वर्ष : 2011-12

पैन : AAGCM5306C

एओ ने संक्षेप रूप में प्रक्रियाशील रिटर्न पर ₹ 17.45 करोड़ की कटौती अनुमत की। नि.व. 2010-11 और 2012-13 के लिए, निर्धारण संवीक्षा के बाद पूरे किये गये थे जहां एओ ने अनुपयुक्त व्यापार आधार पर धारा 80आईए के अंतर्गत क्रमशः ₹ 14.23 करोड़ और ₹ 26.21 करोड़ की कटौती अस्वीकार की। यह सीबीडीटी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार नि.व. 2011-12 के लिए भी संवीख्या मैन्यूल चयन के लिए एक उपयुक्त मामला था। संवीक्षा के लिए मामले का चयन न होने के कारण ₹ 5.80 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 17.45 करोड़ की गलत कटौती अनुमत की गई। आईटीडी ने उत्तर दिया (अगस्त 2015) कि मामले को ध्यान में रखा जाएगा।

<sup>44</sup> आंध्र प्रदेश (2), मध्य प्रदेश (1), महाराष्ट्र (5) और तमिलनाडु (11)

ख. प्रभार : सीआईटी, तिरुपति

निर्धारिती : मै. मदुरै विद्युत कार्पोरेशन प्रा. लिमि. लिमि.

निर्धारण वर्ष : 2011-12

पैन : AACCM7661C

आईटीडी ने संक्षेप रूप में प्रक्रियाशील रिटर्न पर ₹ 58.34 करोड़ की कटौती अनुमत की। कैस के अंतर्गत संवीक्षा के लिए मामले का चयन नहीं किया गया था। हमने अवलोकन किया कि नि.व. 2010-11 में, कैस के अंतर्गत संवीक्षा के लिए रिटर्न का चयन किया गया और कीचड़ और खराब तेल की विक्रय आय पर ₹ 78.92 लाख की राशि इसे अनुपयुक्त व्यापार समझते हुए धारा 80-आईए के अंतर्गत कटौती के लिए अस्वीकृत कर दी गई। इसी प्रकार, ₹ 2.26 करोड़ की ब्याज प्राप्ति निर्धारण के दौरान जोड़ी गई। निर्धारिती ने सीआईटी(ए) जहां अपील आंशिक रूप से अनुमत थी, के समक्ष अपील फाइल की। इसके अतिरिक्त विभाग ने कानून या तथ्य के आवश्यक और पुनरावृत्त प्रश्न, जिन्हें अंतिम रूप दिया जाना लंबित है, पर आईटीएटी के समक्ष अपील फाइल की। नि.व 2012-13 के लिए भी, निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, एओ ने उक्त आधार पर कटौती अस्वीकृत कर दी। इस प्रकार नि.व. 2011-12 के लिए रिटर्न मैन्यूल संवीक्षा के लिए चयनित की गई और कटौती के लिए कीचड़ और खराब तेल के विक्रय लाभ पर ₹ 38.14 लाख की राशि अस्वीकृत की गई।

**4.7.2 धारा 80आईए के अंतर्गत कटौती दावा करने वाले मामलों के संवीक्षा निर्धारण के लिए चयन के लिए लागू मानदंड से संबंधित सूचना आयकर महानिदेशक (प्रणाली) से मांगी गई (अक्टूबर 2015)।** डीआईटी (सिस्टम) ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2015) कि तीन पैरामीटर वि.व. 2014-15 के दौरान संवीक्षा चयन के लिए लागू किये गये थे और लागू किए गए मानदण्ड गोपनीय थे। हमने तीनों मानदंड और धारा 80आईए के अंतर्गत कटौती के संवीक्षा निर्धारण मामलों के चयन हेतु आईटीडी द्वारा लागू किये गये मानदंड उपलब्ध करवाने के लिए सीबीडीटी को लिखा (फरवरी 2016)। सीबीडीटी से उत्तर अब तक प्रतीक्षित था **(जून 2016)।**

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि आवश्यक संवीक्षा हेतु मामलों के चयन बिना कटौती की अनुमत के कारण कटौती की गलत अनुमत की गई। कैस ने धारा 80आईए के अंतर्गत कटौती के संबंध में आवश्यक संवीक्षा के लिए निर्धारितियों की पहचान करने में भी कोई सहायता नहीं की। संवीक्षा के लिए मामलों का चयन नहीं किया गया यद्यपि उन्होंने बोर्ड द्वारा जारी मानदंड पूरे

किये। सीबीडीटी इस मामले को ध्यान में रखने के लिए सिस्टम निदेशालय को निदेश देने के लिए सहमत हो गई (जून 2016)।

#### 4.8 निर्धारितियों के बिक्री/खरीद दावे की क्रॉस लिंकिंग के लिए कोई प्रक्रिया नहीं

आंध्र प्रदेश, सीआईटी-V हैदराबाद प्रभार में, युनाईटेड पोर्ट सर्विसेज प्रा. लिमि. हैदराबाद अपनी संबंधित पार्टियों (मै. काकीनाड़ा सीपोर्ट्स लिमि., हैदराबाद और काकीनाड़ा मरीन और ऑफ शोर कंपलैक्स, हैदराबाद) के रिकॉर्डों के प्रति सत्यापन से पता चला कि निर्धारिती ने बंकर क्रय किया जिसमें संबंधित पार्टियों ने जिन्होंने पानी और तेल के विक्रय पर 80आईए कटौती का दावा किया गया इसमें विक्रय भी शामिल किया। नि.व. 2012-13 में, निर्धारिती ने ₹ 6.81 करोड़ का जल क्रय किया गया जिसमें से मै. केएसपीएल को ₹ 1.73 करोड़ का क्रय किया गया। मै. केएसपीएल ने ₹ 1.84 करोड़ के जल क्रय पर धारा 80-आईए के अंतर्गत कटौती का दावा किया। इसी प्रकार, मै. केएमओसी ने ₹ 1.53 करोड़ के जल क्रय पर भी कटौती का दावा किया। मै. केएसपीएल के साथ निर्धारिती के मुख्य समझौते के अनुसार, निर्धारिती सम्पूर्ण पोर्ट में पानी का एक ही आपूर्तिकर्ता था और आपस में पानी, तेल आदि की दिशा बदलने में निर्धारिती के साथ-साथ इसकी संबंधित पार्टियों दोनों द्वारा 80-आईए कटौती को दोहरे दावे का भरपूर जोखिम है।

इस प्रकार, संवीक्षा के दौरान संबंधित पार्टियों द्वारा उक्त गतिविधियों पर कटौती के दोहरे दावे के मामलों के प्रति जांच के लिए एक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।

#### 4.9 तकनीकी प्रमाणीकरण की आवश्यकता

धारा 80आईए के अंतर्गत फार्म 10 सीसीबी, जिसमें आरंभ करने की तिथि, कटौती की मात्रा आदि से संबंधित सूचना होती है, में लेखाकार से लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर कटौती अनुमत है। फार्म 10 सीसीबी में लेखाकार की

रिपोर्ट में आधार भूत संरचना के विकास और उस पर निर्धारिती की पात्रता से जुड़ी बारीकी को ध्यान में नहीं रखा जाता है।

1.4.2000 से पहले, धारा 80आईए के अंतर्गत टेलीकॉम के लिए कटौती केवल बेसिक/सेल्यूलर/रेडियो पेजिंग और घरेलू सेटलाईट सर्विस और नेटवर्क ट्रंकिंग के लिए अनुमत की गई थी। 1.4.2000 से नये 80आईए प्रावधान में, ब्रॉडबैंड नेटवर्क या इंटरनेट सेवा प्रदाता ऐसी अनुमति के लिए शामिल थे यदि ये 1 अप्रैल 1995 तक या बाद में परंतु 31 मार्च 2000 या पहले संस्थापित किये गये थे।

सेल्यूलर संप्रेषण सेवा के लिए 20 दिसम्बर 1992 को निगमित मै. एयरसेल सेल्यूलर लिमि. को नवम्बर 1994 में लाइसेंस जारी किया गया था। कम्पनी ने 20 अक्टूबर 1995 को अपना व्यापार आरंभ किया। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि तकनीकी प्रमाण पत्र के अभाव में, यह प्राधिकृत रूप से नहीं जाना जा सकता था कि क्या एयरसेल ने 1995 में इंटरनेट सेवाएं/ब्रॉडबैंड आरंभ की है। यदि निर्धारिती के पास 1995 में इंटरनेट या ब्रॉडबैंड सेवाएं नहीं हैं, निर्धारिती केवल पुराने प्रावधानों के अंतर्गत कटौती के लिए योग्य था।

किसी तकनीकी रूप से सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र के अभाव में, आधार भूत संरचना की सुविधा के विकास का स्वरूप प्राप्त नहीं किया जा सकता। सीबीडीटी वर्ष 2017 की बजट प्रक्रिया के दौरान प्रस्ताव की जांच के लिए सहमत हो गया (जून 2016)।

### सिफारिशें

(i) सीबीडीटी करावकाश के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए आर्थिक मामले के विभाग के रिकॉर्डों के अनुसार निर्धारिती द्वारा किये गये वास्वतिक निवेश के साथ आईटीडी द्वारा अनुमत कर लाभ के बीच उचित लिंकेज के लिए एक तंत्र विकसित करे।

सीबीडीटी ने कहा (जून 2016) कि एनआईपीएफपी आदि जैसे विशेषज्ञ निकायों द्वारा अध्ययन किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा का विचार है कि धारा 80ए के अंतर्गत आईटीडी द्वारा अनुमत कर लाभ और मितव्ययिता के लिए अभिप्रेत लाभ के बीच उचित लिंकेज के लिए सरकार द्वारा प्रक्रिया विकसित किया जाना चाहिए। इसके लिए विभिन्न मंत्रालयों से डाटा का संकलन करने की आवश्यकता होगी जो बेहतर शासन प्रदान करने के लिए विश्लेषण का प्रभावित करने में सहायता करेगा।

(ii) सीबीडीटी नीचे दी गई सूचना को दर्शाते हुए एमआईएस रिपोर्टों को डिजाइन करे और उन्हें जनरेट करे;

➤ व्यवसाय की प्रकृति जैसे आधारभूत सड़कों, पत्तनों का विकास, विद्युत उत्पादन आदि, आरंभिक निर्धारण वर्ष निर्धारिती द्वारा जब से कटौती का दावा किया गया था के साथ-साथ उपयुक्त व्यवसाय के प्रारंभ करने के वर्ष और प्रासंगिक नि.व. और सुसंगत निर्धारण वर्ष जिसमें ऐसी कटौती का दावा किया गया था, में उपयुक्त व्यवसाय में निर्धारिती द्वारा उठाई गई हानि।

सीबीडीटी ने कहा (जून 2016) कि लेखापरीक्षा द्वारा सुझाये गये आईटीआर फार्म में परिवर्तन संयोजन के लिए ध्यान में रखे जाएंगे।

➤ अनुमत की गई कटौती या यदि मूल निर्धारण में कटौती अस्वीकृत की गई तो क्या उसे सीआईटी (अपील) आईटीएटी, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमत किया गया था;

सीबीडीटी ने कहा (जून 2016) कि ए.ओ. सीआईटी(ए), आईटीएटी, उच्च न्यायालय के आदेशों को लागू करते समय आईटीबीए में कारणों को कैप्चर करेगा।

(iii) सीबीडीटी अनुमेय मूल्याह्रास के लिए कॉलम जोड़ने के लिए फार्म 10सीसीबी के संशोधन पर विचार कर और वर्षवार ब्यौरे दर्शाते हुए उपयुक्त इकाई की अग्रणीत हानि/अनावशोषित मूल्यह्रास को अनुमति योग्य पर विचार करे।

सीबीडीटी ने कहा (जून 2016) कि लेखापरीक्षा फार्म 10सीसीबी के संशोधन की जांच की जाएगी।

(iv) सीबीडीटी तकनीकी रूप से सक्षम प्राधिकरण जैसे क्षेत्रीय नियामक द्वारा अलग-अलग प्रत्येक क्षेत्र के लिए आधारभूत प्रक्रिया के प्रमाणीकरण पर विचार करे।

सीबीडीटी ने कहा (जून 2016) कि वर्ष 2017 के लिए बजट प्रक्रिया के दौरान मामले की जांच की जाएगी।

नई दिल्ली  
दिनांक: 01 अगस्त 2016

  
(राजीव भूषण सिन्हा)  
महानिदेशक (प्रत्यक्ष कर)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली  
दिनांक: 01 अगस्त 2016

  
(शशि कान्त शर्मा)  
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट



**परिशिष्ट-1**

(पैरा 1.1 देखें)

**आयकर अधिनियम के संबंधित प्रावधान**

उप-धारा	विवरण	ब्यौरे
80-IA (1)	कटौती का मात्रा	निरंतर 10 वर्षों से पात्र व्यवसाय से प्राप्त किये गए लाभ एवं प्राप्तियों की 100 प्रतिशत कटौती
80-IA (2)	निर्धारिती के लिए विकल्प	जिस वर्ष से उपक्रम अथवा उद्यम विकसित हुआ तथा पात्र व्यवसाय का संचालन करना प्रारंभ किया, उस वर्ष से शुरू होने वाले 15 वर्षों में से कोई 10 निरंतर वर्ष चुनने का विकल्प।
		80.आईए (4) (i) हेतू व्याख्या के अन्तर्गत सड़क, राजमार्ग तथा जल परियोजनाओं के संबंध में कटौती की अवधि 20 वर्षों में से 10 निरंतर वर्ष हैं।
80-IA (3)	कटौती के अनुमोदन हेतू सामान्य शर्तें	कटौती का दावा करने वाला उपक्रम धारा 33 बी के तहत पुनरुद्धार/पुनिर्निमाण तथा राज्य विद्युत बोर्ड के मामले को छोड़कर पहले से विद्यमान व्यवसाय के पुनर्निमाण अथवा विखण्डन द्वारा गठित नहीं होना चाहिए।
		कटौती का दावा करने वाला उपक्रम राज्य विद्युत बोर्ड को छोड़कर किसी उद्देश्य हेतू पहले से प्रयुक्त मशीनरी अथवा संयंत्र के किसी नये व्यवसाय में अन्तरण द्वारा गठित नहीं होगा।
		भारत से बाहर उपयोग की गई तथा कटौती का दावा करने वाले निर्धारिती द्वारा आयात की गई मशीनरी नई मानी जानी है बशर्ते प्रतिष्ठापन की तिथि से पहले की किसी अवधि के लिए किसी व्यक्ति की कुल आय की गणना करते समय इस अधिनियम अर्थात् आय कर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसी मशीनरी अथवा संयंत्र पर मूल्यहास के कारण कोई कटौती अनुमत नहीं की गई है अथवा अनुमोदन योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त संयंत्र एवं मशीनरी के कुल मूल्य के 20 प्रतिशत तक प्रयोग की गई मशीनरी अनुमत है।
80-IA(4)	'पात्र व्यवसाय' क्या है तथा उनसे संबंधित विशिष्ट शर्तें	एक कम्पनी अथवा कम्पनियों के समूह अथवा किसी प्राधिकरण, बोर्ड अथवा कांफ़रिशन जिसका केन्द्रीय/राज्य सरकार के साथ एक अनुबंध है अथवा 1 अप्रैल 1995 के पश्चात परिसम्पतियों पर गठित एक स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अवसंरचना सुविधा <sup>1</sup> का विकास/संचालन/रख-रखाव। इसके अतिरिक्त, उपलब्ध 10 वर्षों के असमाप्त भाग के लिए कटौती अंतरिती

<sup>1</sup> धारा 80 आईए (4) हेतू व्याख्या के अनुसार, अवसंरचना सुविधा में शामिल हैं (i) टाल सड़क, एक पुल अथवा एक रेल प्रणाली सहित एक सड़क (ii) राजमार्ग परियोजना, (iii) जलापूर्ति परियोजना, जलोपचार प्रणाली, सिंचाई परियोजनाएं, स्वच्छता एवं सीवेज प्रणाली अथवा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, (iv) पत्तन, हवाई अड्डा, अन्तर्देशीय जलमार्ग (अन्तर्देशीय पत्तन अथवा समुद्र में नौपरिवहन संबंधी चैनल)। 1 अप्रैल 2002 से लागू वित्त अधिनियम 2001 ने पात्र व्यवसाय की सूची से शब्दावली 'समान प्रवृत्ति की अन्य जन सुविधाएं' जैसा बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है' को हटा दिया है।

		<p>कम्पनी को अन्तरित किया जाता है जब ऐसी परिसम्पतियाँ संचालन एवं रखरखाव उद्देश्य के लिए अन्तरित की गई हैं।</p> <p>1 अप्रैल 1995 से 31 मार्च 2005 के बीच दूरसंचार सेवाएं, मूलभूत अथवा सेल्यूलर, रेडियो पेजिंग, घरेलू सेटलाइट सेवा, ट्रन्किंग का नेटवर्क, ब्राडबैंड नेटवर्क तथा इन्टरनेट सेवाएं।</p> <p>इसके अतिरिक्त, 'घरेलू सेटलाइट' का अर्थ है दूर संचार सेवा उपलब्ध कराने के लिए एक भारतीय कम्पनी के स्वामित्व तथा संचालन वाली एक सेटलाइट।</p> <p>1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2006 की अवधि तक केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित एक औद्योगिक पार्क अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) का विकास, संचालन एवं रख रखाव करने वाला एक उपक्रम।</p> <p>इसके अतिरिक्त, उपलब्ध 10 वर्षों के असमाप्त भाग के लिए कटौती अंतर्गती कम्पनी को अन्तरित किया जाता है जब ऐसी परिसम्पतियाँ संचालन एवं रखरखाव उद्देश्य के लिए अन्तरित की गई हैं।</p> <p>औद्योगिक पार्क के लिए सनसेट खण्ड को 31 मार्च 2011 तक विस्तारित किया गया था तथा 1 अप्रैल 2006 से धारा 80-आईएबी के अन्तर्गत सेज पर कटौती उपलब्ध है।</p> <p>विद्युत का उत्पादन/वितरण प्रारंभ करने वाला (1 अप्रैल 1993 से 31 मार्च 2017 के बीच) अथवा, ट्रांसमिशन/वितरण लाइनें बिछा कर उर्जा का ट्रांसमिशन/वितरण प्रारंभ करने वाला (अप्रैल 1999 से 31 मार्च 2017 के बीच) अथवा वर्तमान वितरण/ट्रांसमिशन लाइनों का व्यापक पुनरूद्धार तथा आधुनिकीकरण करने वाला (1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2017 के बीच) उपक्रम।</p> <p>सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के बहुमत वाली इक्विटी भागीदारी के साथ 30 नवम्बर 2005 से पहले गठित एक भारतीय कम्पनी के स्वामित्व वाले तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा 31 दिसम्बर 2005 से पहले अधिसूचित उपक्रम द्वारा विद्युत उत्पादक इकाई का पुनर्निर्माण अथवा पुनरूत्थान तथा ऐसा उपक्रम 31 मार्च 2011 से पहले विद्युत का उत्पादन अथवा ट्रांसमिशन अथवा वितरण प्रारंभ करता है।</p>
80-IA (5)	पात्र व्यवसाय आय का एकमात्र स्रोत है	पात्र व्यवसाय से लाभ एवं प्राप्ति की गणना इस प्रकार की जाएगी जैसे पात्र व्यवसाय पिछले वर्ष के दौरान निर्धारिती के लिए आय का एकमात्र स्रोत था।
80-IA (6)	हाउसिंग एवं अन्य गतिविधियों जो राजमार्ग परियोजना का अभिन्न अंग हैं।	हाउसिंग तथा अन्य गतिविधियों से लाभ एवं प्राप्ति जो राजमार्ग परियोजना का अभिन्न अंग है, कर हेतु दायी नहीं है यदि ऐसा लाभ एक विशेष आरक्षित खाते में अन्तरित किया गया है तथा यह वास्तव में उस वर्ष के पश्चात, जिसमें ऐसी राशि आरक्षित खाते में अन्तरित की गई थी, तीन वर्ष की समाप्ति से पहले हाउसिंग तथा अन्य गतिविधियों को छोड़कर राजमार्ग परियोजना के लिए उपयोग की गई है; अप्रयुक्त पड़ी राशि पर उस वर्ष की आय के रूप में कर लगाया जाएगा जिसमें आरक्षित खाते में अन्तरण हुआ है।
80-IA (7)	लेखापरीक्षा की उपयुक्त रिपोर्ट/प्रमाणपत्र के	कटौती तब तक स्वीकार्य नहीं होगी जब तक निर्धारण वर्ष, जिसके लिए कटौती का दावा किया गया है, से संबंधित उपक्रम के लेखाओं की लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की जाती। नियम 81 बीबीबी आगे आदेश करता है कि

	बिना कटौती का अनुमोदन	निर्धारिती आय की अपनी रिटर्न के साथ ऐसी लेखापरीक्षा की निर्धारित प्रपत्र सं. 10 सीसीबी में लेखाकार द्वारा हस्ताक्षरित तथा प्रमाणित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
80-IA (8)	संबंधित पार्टियों के बीच वस्तुओं के अन्तरण पर लाभ की पुनर्गणना की एओ की शक्ति	यदि निर्धारिती के पात्र तथा अन्य व्यवसाय के बीच माल एवं सेवाओं के संव्यवहार से प्राप्त प्रतिफल बाजार मूल्य के अनुरूप नहीं है, तो कटौती के उद्देश्य के लिए लाभ की पुनः गणना इस प्रकार की जाएगी जैसे संव्यवहार प्रचलित बाजार मूल्य पर किया गया था। शर्त यह है कि जहां लाभ की पुनः गणना में असाधारण कठिनाई आती हो, वहां एओ इसकी पुनः गणना ऐसे युक्तियुक्त आधार पर करेगा जैसा वह उचित समझे। “बाजार मूल्य” का अर्थ है i) वह मूल्य जो ऐसी वस्तुओं तथा सेवाओं की बिक्री पर आमतौर पर खुले बाजार में प्राप्त होता है; अथवा ii) धारा 92 एफ के खण्ड (ii) में परिभाषित आर्म्स लेंथ मूल्य, जहां ऐसी वस्तुओं अथवा सेवाओं का अन्तरण धारा 92 बीए में संदर्भित विशिष्ट घरेलू संव्यवहार है।
80-IA (9)	अध्याय VIए के अन्तर्गत और कोई कटौती नहीं	जहां एक उपक्रम के लाभ एवं प्राप्तियों की किसी राशि का दावा तथा अनुमोदन 80-आईए के अन्तर्गत किया जाता है, वहां ऐसे लाभों तथा प्राप्तियों की सीमा तक कटौती शीर्षक ‘सी-निश्चित आय के संबंध में कटौती’ के अन्तर्गत अध्याय VIए के किसी अन्य प्रावधान के अन्तर्गत अनुमत नहीं की जाएगी तथा यह किसी भी परिस्थिति में उपक्रम के ऐसे पात्र व्यवसाय के लाभ तथा प्राप्तियों से अधिक नहीं होगी।
80-IA (10)	लाभ की पुनर्गणना करने की एओ की शक्ति	यदि एओ को यह लगता है कि पात्र व्यवसाय के लिए गिना गया लाभ सामान्य लाभ से अधिक है जो ऐसे पात्र व्यवसाय से होने की आशा की जा सकती है, तो एओ कटौती के उद्देश्य से लाभ की पुनर्गणना करेगा, जैसा वह उचित एमझे। शर्त यह है कि धारा 92 बीए में संदर्भित विशिष्ट घरेलू संव्यवहार के मामलों में ऐसे संव्यवहार से लाभ की राशि का निर्धारण धारा 92 एफ के खण्ड (ii) में परिभाषित आर्म्स लैन्थ मूल्य के संदर्भ में होगा।
80-IA (11)	लाभ को निरस्त करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति	केन्द्रीय सरकार, जैसा यह उचित समझे, वैसी जांच करने के पश्चात, अधिकारिक बजट में अधिसूचना द्वारा यह निर्देशित कर सकती है कि इस धारा द्वारा दी गई छूट औद्योगिक उपक्रम अथवा उद्यमों की किसी श्रेणी पर ऐसी तिथिसे लागू नहीं होगी जैसा यह अधिसूचना में निर्दिष्ट करे।
80-IA(12) व (12A)	अविलय/समामेलन के परिणाम	31.3.2007 तक समामेलित कम्पनी को कटौती का लाभ अन्तरित किये जाने की अनुमति है तथा इसके पश्चात लाभ का अन्तरण नहीं किया जाएगा।
80-IA (13)	1अप्रैल 2005 के पश्चात अधिसूचित सेज	धारा 80-आईए 1 अप्रैल 2005 के पश्चात अधिसूचित सेज पर लागू नहीं है।

**परिशिष्ट-2**  
(संदर्भ पैरा 1.7)  
अभिलेख प्रस्तुत न करना

क्र. सं.	राज्य	अपेक्षित मामले	प्रस्तुत किये गए मामले	प्रस्तुत न किए गए मामले	प्रस्तुत न करने का %
1	आंध्र प्रदेश	396	298	98	
2	असम	6	6	0	
3	बिहार	12	12	0	
4	छत्तीसगढ़	51	39	12	
5	दिल्ली	306	248	58	
6	गुजरात	368	354	14	
7	हरियाणा	33	27	6	
8	हिमाचल प्रदेश	21	11	10	
9	जम्मू-कश्मीर	3	3	0	
10	झारखंड	20	17	3	
11	कर्नाटक	377	310	67	
12	केरल	66	65	1	
13	मध्य प्रदेश	89	81	8	
14	महाराष्ट्र	1593	1390	203	
15	ओडिशा	55	48	7	
17	पंजाब	22	22	0	
18	राजस्थान	131	126	5	
19	तमिलनाडु	1327	776	551	
20	उत्तर प्रदेश	58	55	3	
21	उत्तराखंड	25	25	0	
22	पश्चिम बंगाल	268	240	28	
	<b>कुल</b>	<b>5227</b>	<b>4153</b>	<b>1074</b>	<b>20.55</b>

परिशिष्ट-3

(संदर्भ पैरा सं. 2.2)

अपात्र निर्धारितियों को कटौती की अनियमित अनुमति

क्र. सं.	राज्य	निर्धारिती का नाम	निर्धारण वर्ष	सीआईटी प्रभार	कर प्रभाव (₹ लाख में)
1	कर्नाटक	मै.गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेन्ट कार्पोरेशन लि. AACCG0256F	2010-11	सी 1 (1), पणजी	26.94
	कर्नाटक	मै.गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेन्ट कार्पोरेशन लि. AACCG0256F	2011-12	सी 1 (1), पणजी	25.08
	कर्नाटक	मै.गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेन्ट कार्पोरेशन लि. AACCG0256F	2012-13	सी 1 (1), पणजी	17.92
2	कर्नाटक	मै.कोटारकी कन्सट्रक्शन (पी) लिमिटेड AACCK6097J	2010-11	सी -1 गुलबर्गा	82.96
	कर्नाटक	मै.कोटारकी कन्सट्रक्शन (पी) लिमिटेड AACCK6097J	2012-13	सी -1 गुलबर्गा	178.91
3	चंडीगढ़	मै.यूनीपरॉ टेक्नोइन्फा स्ट्रक्चर (पी) लि. सीएचडी	2011-12 व 2012-13	आ.आ., सीएचडी	169.41
4	दिल्ली	प्रतिभा-एसएमएस जेवी AABAP2640M	2011-12	आ.आ. XVIII दिल्ली	16.08
	दिल्ली	प्रतिभा-एसएमएस जेवी AABAP2640M	2012-13	आ.आ. XVIII दिल्ली	140.23
5	दिल्ली	गोपी कान्सटेक प्रा. लि/अरहाम टेकनोलाजी प्रा.लि. AAECA0864D	2010-11	सीआईटी चतुर्थ	6.45
	दिल्ली	गोपी कान्सटेक प्रा. लि/अरहाम टेकनोलाजी प्रा.लि. AAECA0864D	2011-12	सीआईटी चतुर्थ	26.70
6	दिल्ली	एसएमएस पर्यावरण लिमिटेड AAACS2177F	2011-12	सीआईटी आठवीं	78.04
	दिल्ली	एसएमएस पर्यावरण लिमिटेड AAACS2177F	2010-11	सीआईटी आठवीं	174.96
7	मध्यप्रदेश	मै. टोटल इन्फ्रा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, AAHCS7914H	2010-11	प्र.आ.आ., उज्जैन	19.85
8	मध्यप्रदेश	मै. श्रीनाथजी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, AAKCS6722Q	2009-10	प्र.आ.आ., भोपाल	22.23

2016 की प्रतिवेदन संख्या 28 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

	मध्यप्रदेश	मै. श्रीनाथजी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, AAKCS6722Q	2010-11	प्र.आ.आ., भोपाल	26.54
	मध्यप्रदेश	मै. श्रीनाथजी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, AAKCS6722Q	2011-12	प्र.आ.आ., भोपाल	19.97
9	दिल्ली	दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम AAACD0169J	2012-13	आ.आ. III दिल्ली	113.39
10	गुजरात	नेटाफिम ईरीगेशन इण्डिया प्रा.लि लिमिटेड / AAACE4738J	2011-12	प्र.आ.आ.-2, वडोदरा	453.24
11	गुजरात	अवध एनआईपीएल (जेवी), AAQFA7091P	2010-11	आ.आ. 1, राजकोट	29.63
	गुजरात	अवध एनआईपीएल (जेवी), AAQFA7091P	2011-12	आ.आ. 1, राजकोट	24.46
12	राजस्थान	निहालचन्द इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा. लि. AADCN7909D	2012-13	आ.आ. 2, जयपुर	6.22
	राजस्थान	निहालचन्द इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा. लि. AADCN7909D	2013-14	आ.आ. 2, जयपुर	30.08
13	आंध्र प्रदेश	भूरतनम कंस्ट्रक्शंस, AACCB2077M	2012-13	आ.आ. 1, हैदराबाद	0.00
14	आंध्र प्रदेश	काकीनाणा सीपोर्ट्स लिमिटेड, AABCC2006Q	2012-13	आ.आ. 2, हैदराबाद	268.35
15	आंध्र प्रदेश	यूनाईटेड पोर्ट सर्विसेज प्रा. लि., AABCJ0188Q	2010-11 से 2012-13	आ.आ.-V, हैदराबाद	2908.60
16	पश्चिम बंगाल	एमबीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, AACCM0564C	12-13	प्र.आ.आ. (केन्द्रीय-1) कोलकाता	410.91
17	पश्चिम बंगाल	जैन इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, AACCB9831F	08-09	प्र.आ.आ. (केन्द्रीय-1) कोलकाता	467.46
	पश्चिम बंगाल	जैन इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, AACCB9831F	09-10	प्र.आ.आ. (केन्द्रीय-1) कोलकाता	799.86
	पश्चिम बंगाल	जैन इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, AACCB9831F	10-11	प्र.आ.आ. (केन्द्रीय-1) कोलकाता	1331.69
	पश्चिम बंगाल	जैन इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, AACCB9831F	11-12	प्र.आ.आ. (केन्द्रीय-1) कोलकाता	876.02

2016 की प्रतिवेदन संख्या 28 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

18	पश्चिम बंगाल	बीएमडब्ल्यू ईंडस्ट्रीज लि., AABCB0986G	10-11	प्र.आ.आ. (केन्द्रीय-1) कोलकाता	100.55
	पश्चिम बंगाल	बीएमडब्ल्यू ईंडस्ट्रीज लि., AABCB0986G	11-12	प्र.आ.आ. (केन्द्रीय-1) कोलकाता	48.62
19	बिहार	बीकेबी ट्रांसपोर्ट प्रा. लि., AAACB7488C	2008-09	आ.आ. (केन्द्रीय) पटना	24.31
	बिहार	बीकेबी ट्रांसपोर्ट प्रा. लि., AAACB7488C	2009-10	CIT(Central), Patna	54.05
	बिहार	बीकेबी ट्रांसपोर्ट प्रा. लि., AAACB7488C	2010-11	आ.आ. (केन्द्रीय) पटना	72.10
	बिहार	बीकेबी ट्रांसपोर्ट प्रा. लि., AAACB7488C	2011-12	आ.आ. (केन्द्रीय) पटना	92.75
	बिहार	बीकेबी ट्रांसपोर्ट प्रा. लि., AAACB7488C	2012-13	आ.आ. (केन्द्रीय) पटना	102.75
	बिहार	बीकेबी ट्रांसपोर्ट प्रा. लि., AAACB7488C	2013-14	आ.आ. (केन्द्रीय) पटना	51.65
20	झारखंड	श्री ओम प्रकाश सिंह, AGKPS0300D	2010-11	आ.आ. रांची	11.59
21	तमिलनाडू	भारत इंजिनियरिंग कंस्ट्रक्सन कं. प्रा. लि., AACCB8705 G	2012-13	आ.आ. 1, चेन्नई	70.05
22	तमिलनाडू	आरपीपी इन्फ्रा प्रोजेक्ट लि., AAACI 2702G	2010-11 व 2011-12	आ.आ.2, कोडम्बटूर	210.27
23	तमिलनाडू	ईश्वर नाथ कंस्ट्रक्सन, AABFE 1141 M	2011-12	आ.आ.2 चेन्नई	97.88
24	तमिलनाडू	फर्स्ट एसटीपी प्रा. लि., AAACF 5287R	2011-12 व 2012-13	आ.आ.1 चेन्नई	79.54
25	केरल	इंडियन मेडिकरल एसोसिएसन गोज़ इको फ्रेंडली (इमेज), AAAAI1681A	2010-11	तिरुवनन्तपुरम	24.09
	केरल	इंडियन मेडिकरल एसोसिएसन गोज़ इको फ्रेंडली (इमेज), AAAAI1681A	2011-12	तिरुवनन्तपुरम	134.04
	केरल	इंडियन मेडिकरल एसोसिएसन गोज़ इको फ्रेंडली (इमेज), AAAAI1681A	2012-13	तिरुवनन्तपुरम	101.53

2016 की प्रतिवेदन संख्या 28 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

26	महाराष्ट्र	एसएमएस इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., AACCS9854P	2010-11 व 2011-12	आ.आ. केन्द्रीय नागपुर	848.62
27	महाराष्ट्र	पटेल मीचीगन जोइंट वेंचर, AAAAP4929J	2010-11 से 2012-13	प्र.आ.आ.19, मुम्बई	656.00
28	महाराष्ट्र	गरवारे वाल रोप्स लि., AAACG1377P	2010-11 व 2011-12	प्र.आ.आ.5, मुम्बई	58.98
29	महाराष्ट्र	थाने घोडबंदर टोल रोड प्रा. लि., AACCT3723G	2010-11 से 2012-13	प्र.आ.आ.(केन्द्रीय) 3, मुम्बई	537.89
30	महाराष्ट्र	मंगलदास इन्फ्राटेक प्रा. लि., AAFCM0955Q	2011-12 व 2012-13	प्र.आ.आ.-2, पुणे	12.21
31	महाराष्ट्र	रिलाइंस इंडस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. AAACR7637P	2010-11 से 2012-13	प्र.आ.आ.-3, मुम्बई	719.00
32	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी ट्रांसमिशन कं. लि. AAECM2936N	2010-11 से 2012-13	आ.आ.-14, मुम्बई	4470.74
33	दिल्ली	सेलेबी दिल्ली कारगो टरमिनल मेनेजमेंट इंडिया प्रा. लि. AADCC6885B	2012-13	आ.आ.II, दिल्ली	502.45
	दिल्ली	सेलेबी दिल्ली कारगो टरमिनल मेनेजमेंट इंडिया प्रा. लि. AADCC6885B	2011-12	आ.आ.II, दिल्ली	2762.16
		<b>कुल</b>			<b>20584.41</b>

परिशिष्ट-4  
(पैरा 2.3 देखें)

उस व्यवसाय को कटौती अनुमत की गई जो अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं था

क्र. सं.	राज्य	पैन सहित निर्धारिती का नाम	निर्धारण वर्ष	सीआईटी प्रभार	कर प्रभाव (₹ लाख में)
1	कर्नाटक	मै. गेटवे डिस्ट्रीपार्क (दक्षिण) (पी) लि. AAACI4088F	2010-11	III-बेंगलुरु	168.08
	कर्नाटक	मै. गेटवे डिस्ट्रीपार्क (दक्षिण) (पी) लि. AAACI4088F	2011-12	III-बेंगलुरु	171.57
2	दिल्ली	दिल्ली स्टेट इन्डस्ट्रीयल एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. AAACD1257F	2012-13	सीआईटी III	4973.83
	दिल्ली	दिल्ली स्टेट इन्डस्ट्रीयल एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. AAACD1257F	2011-12	सीआईटी III	3702.75
3	दिल्ली	एसोसिएटिड कन्टेनर्स टर्मिनल लि. AAACA4228K	2010-11	सीआईटी I	291.49
	दिल्ली	एसोसिएटिड कन्टेनर्स टर्मिनल लि. AAACA4228K	2012-13	सीआईटी I	427.78
	दिल्ली	एसोसिएटिड कन्टेनर्स टर्मिनल लि. AAACA4228K	2011-12	सीआईटी I	458.91
4	दिल्ली	वर्ल्ड विन्डो इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड लोजिस्टिक्स प्रा. लि. AAACW6405E	2010-11	सीआईटी IX	349.75
	दिल्ली	वर्ल्ड विन्डो इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड लोजिस्टिक्स प्रा. लि. AAACW6405E	2011-12	सीआईटी IX	387.18
5	दिल्ली	दत्त इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विस लि. AABCD5976B	2010-11	सीआईटी III	16.15
	दिल्ली	दत्त इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विस लि. AABCD5976B	2011-12	सीआईटी III	4.25
	दिल्ली	दत्त इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विस लि. AABCD5976B	2012-13	सीआईटी III	6.73
	दिल्ली	दत्त इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विस लि. AABCD5976B	2013-14	सीआईटी III	3.81
6	मध्य प्रदेश	मै.श्री बालाजी नीमच इन्फ्रा कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. AAGCS 2263J	2010-11	प्र. सीआईटी, उजैन	58.58

2016 की प्रतिवेदन संख्या 28 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

	मध्य प्रदेश	मै.श्री बालाजी नीमच इन्फ्रा कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. AAGCS 2263J	2011-12	प्र. सीआईटी, उजैन	5.29
7	गुजरात	इन्वायरो कन्ट्रोल एसोसिएट प्रा.लि;/ AAACE8700C	2011-12	पीसीआईटी 1, सूरत	138.77
8	गुजरात	अजंता लिमिटेड/ AAACE612E	2012-13	सीआईटी III, राजकोट	9.44
	गुजरात	अजंता लिमिटेड/ AAACE612E	2011-12	सीआईटी III, राजकोट	12.02
	गुजरात	अजंता लिमिटेड/ AAACE612E	2010-11	सीआईटी III, राजकोट	15.48
9	आन्ध्र प्रदेश	एपी पावर जेनरेशन कार्पोरेशन/AACCA2734J	2011-12 एवं 2012-13	सीआईटी-I एचवाईडी	4180.80
10	पश्चिम बंगाल	एमएसपी स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, AACCA2756N	11-12	प्र.सीआईटी (केंद्रीय-2) कोलकाता	315.02
11	पश्चिम बंगाल	एसपीपीएल प्रोपर्टी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, AAICS7168Q	10-11	पीसीआईटी 1 कोलकाता	141.87
	पश्चिम बंगाल	एसपीपीएल प्रोपर्टी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, AAICS7168Q	12-13	पीसीआईटी 1 कोलकाता	52.71
	पश्चिम बंगाल	एसपीपीएल प्रोपर्टी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, AAICS7168Q	12-13	पीसीआईटी 1 कोलकाता	100.07
12	पश्चिम बंगाल	श्याम सेल एण्ड पावर लिमिटेड AAECS9421J	2010-11 से 2012-13 तक	पीसीआईटी1	319.93
13	पश्चिम बंगाल	बालमेर लोरी एण्ड का. लि. AABCB0984E	12-13	पीसीआईटी2	55.64
14	बिहार	मै. बिहार स्टेट अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. AADCB9908L	2012-13	प्र.सीआईटी-I, पटना	86.76
15	महाराष्ट्र	एबीजी कोलकाता कंटेनर टर्मिनल प्रा. लि. AACCC1919K	2010-11 से 2012-13 तक	सीआईटी 5, मुम्बई	816.00
16	महाराष्ट्र	पीएनपी मरीन सर्विस लि. AABCP8020D	2010-11	पीसीआईटी 3 मुम्बई	164.00
		<b>कुल</b>			<b>17434.66</b>

**परिशिष्ट-5**  
(पैरा 2.4 देखें)

**न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) की गलत गणना**

क्र. सं.	राज्य	निर्धारिती का नाम	सीआईटी प्रभार	वि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
1	राजस्थान	मै.सुभलक्ष्मी बिल्डकोन पी.लि. उदयपुर AAJCS0260J	सीआईटी उदयपुर	2011-12 व 2012-13	99.91
2	राजस्थान	मै.जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. जयपुर AACCG1218P	सीआईटी-3 जयपुर	2010-11	99.02
3	राजस्थान	मै.फतेहपुरिया ट्रांसफार्मर एण्ड स्विचगीयर पी लि. जयपुर AAACF3456E	सीआईटी-1 जयपुर	2012-13	11.50
4	दिल्ली	गोपी कन्स्टैक प्रा. लि/अरहाम टैक्नोलोजीज प्रा. लि. AAECA0864D	सीआईटी IV	2011-12	0.00
5	आन्ध्र प्रदेश	लैन्को कौंडापल्ली पावर/AAACK5423A	सीआईटी-IV एचवाईडी	2010-11	839.48
6	आन्ध्र प्रदेश	पायनीयर जेनको/AACCP9218Q	सीआईटी-IV एचवाईडी	2010-11	62.27
7	आन्ध्र प्रदेश	पायनीयर पावर/AADCP2141F	सीआईटी-IV एचवाईडी	2010-11	53.68
8	आन्ध्र प्रदेश	ट्रासट्रॉय इंडिया लि. गुंटूर/AABCT4226B	सीआईटी-गुंटूर	2011-12	110.79
	आन्ध्र प्रदेश	ट्रासट्रॉय इंडिया लि. गुंटूर/AABCT4226B	सीआईटी-गुंटूर	2010-11	37.24
9	महाराष्ट्र	भुदान ओरगेनिक मैनयूर प्रा. लि. AACCB2433R	सीआईटी-1 नागपुर	2010-11	19.63
10	महाराष्ट्र	महती हाइड्रो पावर प्रोजेक्टस प्रा. लि. AAFCM0676G	पीसीआईटी-6, पुणे	2012-13	78.94
		<b>कुल</b>			<b>1460.76</b>

**परिशिष्ट-6**  
(पैरा 2.5 देखें)

**अस्थायी वस्तुओं का मूल्यांकन**

क्र. सं.	राज्य	निर्धारिती का नाम	नि.व.	सीआईटी प्रभार	अतिरिक्त कटौती (₹ लाख में)
1	तमिलनाडु	केसीपी शुगर एंड इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लि. AAACK 2325F	2010-11	सीआईटी 4, चेन्नई	366.73
	तमिलनाडु	केसीपी शुगर एंड इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लि. AAACK 2325F	2011-12	सीआईटी 4, चेन्नई	773.21
	तमिलनाडु	केसीपी शुगर एंड इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लि. AAACK 2325F	2012-13	सीआईटी 4, चेन्नई	841.95
2	तमिलनाडु	मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड AAAC 7665D	2011-12	सीआईटी सलेम	1087.06
3	तमिलनाडु	सेशासयी पेपर और बोर्ड AACCS 1192G	2011-12	सीआईटी 2, कोयंबटूर	2885.56
	तमिलनाडु	सेशासयी पेपर और बोर्ड AACCS 1192G	2007-08	सीआईटी 2, कोयंबटूर	1378.83
	तमिलनाडु	सेशासयी पेपर और बोर्ड AACCS 1192G	2008-09	सीआईटी 2, कोयंबटूर	2123.77
4	तमिलनाडु	मनाली पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड AAACM 3404D	2010-11	एलटीयू, चेन्नई	0.00
5	गुजरात	गार्डन सिल्क मिल्स लिमिटेड / AAACQ8932C	2011-12	सीआईटी -, सूरत	385.08
6	गुजरात	मेघमानी एनर्जी लि./ AAECM7819E	2010-11	पीसीआईटी 2, अहमदाबाद	236.00
7	झारखण्ड	मै.आदित्य बिड़ला केमिकल्स इंडिया लिमिटेड (AAACB7747A)	2008-09	रांची	120.45
	झारखण्ड	मै.आदित्य बिड़ला केमिकल्स इंडिया लिमिटेड (AAACB7747A)	2009-10	रांची	189.82
	झारखण्ड	मै.आदित्य बिड़ला केमिकल्स इंडिया लिमिटेड (AAACB7747A)	2010-11	रांची	236.11
8	उत्तर प्रदेश	मै. त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नोएडा AABCT 6370 L	2010-11	सेंट्रल, कानपुर	247.00
	उत्तर प्रदेश	मै. त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नोएडा AABCT 6370 L	2011-12	सेंट्रल, कानपुर	3399.00

2016 की प्रतिवेदन संख्या 28 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

9	दिल्ली	मै. खेतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड AAACK 2342Q	2010-11	सीआईटी V दिल्ली	105.03
10	महाराष्ट्र	ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड AAACG4464B	2010-11	पीसीआईटी (सेंट्रल) 1, मुंबई	3319.74
11	महाराष्ट्र	जवाहर शेटकर साह साखर कारखाना AAAAJ0571C	2010-11	पीसीआईटी-II कोल्हापुर	1482.28
	महाराष्ट्र		2011-12		1673.51
	महाराष्ट्र		2012-13		1841.22
12	महाराष्ट्र	मै.दत्ता शेतकारी सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड AAAAS0597B	2010-11	पीसीआईटी-2 / कोल्हापुर	533.54
	महाराष्ट्र		2011-12		482.44
	महाराष्ट्र		2012-13		398.68
13	पश्चिमबंगाल	बलरामपुर चीनी मिल्स AAACB9373Q	2010-11	पीसीआईटी -4	2515.53
14	तमिलनाडु	मै. कोरोमंडल शुगर्स लिमिटेड AAACC 4628 F	2011-12और 2012-13	सीआईटी -1 चेन्नई	2431
15	तमिलनाडु	मै. इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड AAAC T 1728 P	2011-12और 2012-13	सीआईटी -2 चेन्नई	3683
		<b>कुल</b>			<b>32736.54</b>

परिशिष्ट-7  
(पैरा 2.6 देखें)

व्यवसाय बनाम उपक्रम की आय/हानि का सूर्यकन

क्र. सं.	राज्य	निर्धारिती का नाम पेन के साथ	सीआईटी प्रभार	नि.व.	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
1	तमिलनाडु	ए.एस बाबुसाह डिजाइन AALFA 6113H	सीआईटी 8, चेन्नई,	2012-13	0.21
2	तमिलनाडु	वेटल टेक्सटाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स प्र.लि. AAACV 6385J	सीआईटी 1, कोयंबटूर,	2010-11	0.8
3	केरल	सिन्थाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड AADCS 5616E	सीआईटी 1 कोच्चि,	2009-10, 2011-12	0.32
4	केरल	मुथूट फिनकोर्प लिमिटेड AACCM 1453E	सीआईटी त्रिवेन्द्रम,	2010-11, 2011-12, 2012-13	1.02
5	तमिलनाडु	बाबू सिल्क एंड साड़ी AADFB 9667M	सीआईटी 8, चेन्नई,	2012-13	0.12
6	तमिलनाडु	डी.निथयानंदम AAGPN 1353H	सीआईटी 1 कोयंबटूर,	2011-12	0.09
7	आन्ध्र प्रदेश	एनएसएल रिन्युवेबल AABCN6009L	सीआईटी-IV हैदराबाद	2010-11, 2011-12, 2012-13	12.48
8	महाराष्ट्र	रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड AACCR 7446Q	सीआईटी -14, मुंबई	2012-13	1.45
9	महाराष्ट्र	न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन इंडिया लि. AAACN3154F	सीआईटी- एलटीयू, मुंबई	2010-11	10.66
		<b>कुल</b>			<b>27.15</b>

परिशिष्ट-8ए  
(पैरा 2.7 देखें)

पात्र यूनिटों से संबंधित अग्रेषित हानियों और अनवशेषित मूल्यहास के समायोजन में विसंगति

क्र. सं.	राज्य	निर्धारिती का नाम/पैन	नि.व	निर्धारण	कर प्रभाव (₹ लाख में)
1	तमिलनाडु	मै. श्री वेलायुधास्वामी स्पिनिंग मिल्स (प्रा) लिमिटेड, AADCS0676C	2010-11	सर्किल 2, तिरुपुर	163.47
	तमिलनाडु	मै. श्री वेलायुधास्वामी स्पिनिंग मिल्स (प्रा) लिमिटेड, AADCS0676C	2011-12	सर्किल 2, तिरुपुर	118.29
2	तमिलनाडु	मै. वेधा स्पिनिंग मिल्स (प्रा) लिमिटेड, AABCV2433Q	2010-11	सर्किल 2, तिरुपुर	112.62
3	तमिलनाडु	मै. वीकिंग टेक्सटाइल (प्रा) लिमिटेड AAACV7564P	2010-11	सर्किल-1- तिरुपुर	102.12
4	तमिलनाडु	मै. प्रभू स्पिनिंग मिल्स (प्रा) लिमिटेड AABCP0750E	2010-11	सर्किल -2, तिरुपुर	279.32
5	तमिलनाडु	मै. सुथन स्पिनिंग मिल्स (प्रा) लिमिटेड AADCS0670E	2010-11	सर्किल -2, तिरुपुर	143.18
6	तमिलनाडु	मै. चेरन स्पिनिंग मिल्स प्रा.लिमिटेड AAACC8788L	2010-11	सर्किल -2, तिरुपुर	194.85
7	तमिलनाडु	मै. चोल टेक्सटाइल (प्रा) लिमिटेड / AAACC8791P	2010-11	सर्किल -2, तिरुपुर	205.88
8	तमिलनाडु	मै. आदिशंकरा स्पिनिंग मिल्स (प्रा) लिमिटेड AABCA5198B	2010-11	सर्किल -2, तिरुपुर	156.4
9	तमिलनाडु	मै. श्री मठ स्पिनिंग मिल्स (प्रा) लिमिटेड AAECs1881Q	2010-11	सर्किल -2, तिरुपुर	185.29
10	तमिलनाडु	मै. ऐवररेड्डी स्पिनिंग मिल्स (प्रा) लिमिटेड AAACE4788J	2010-11	सर्किल -1, तिरुपुर	100.82
11	तमिलनाडु	मै. श्री शानमुगावेल मिल्स (प्रा) लिमिटेड AADCS8200N	2010-11	सर्किल -2, तिरुपुर	180.46
12	तमिलनाडु	मै. पांडियन टेक्सटाइल मिल्स (प्रा) लिमिटेड AABCP5926A	2010-11	सर्किल -2, तिरुपुर	226.19
13	तमिलनाडु	मै. जयावर्मा टेक्सटाइल (प्रा) लिमिटेड AAACJ7660G	2010-11	सर्किल -1, तिरुपुर	81.47
14	तमिलनाडु	मै. शिवराज स्पिनिंग मिल्स (प्रा) लिमिटेड AADCS0681H	2010-11	सर्किल -2, तिरुपुर	75.74

2016 की प्रतिवेदन संख्या 28 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

15	तमिलनाडु	मै. सुइरा एलोरस ग्लोबल (प्रा) लिमिटेड AAGCS6735B	2010-11	सर्किल -1, तिरुपुर	25.9
16	तमिलनाडु	मै. शक्ति मुरुगन एगो फूड्स लिमिटेड AACCS9473J	2010-11	सर्किल -1, तिरुपुर	18.33
17	तमिलनाडु	मै. शक्ति मुरुगन रोलर फ्लोर मिल्स लिमिटेड AADCS0673H	2010-11	सर्किल -1, तिरुपुर	23.01
18	तमिलनाडु	मै. ईस्टमैन एक्सपोर्ट ग्लोबल क्लोथिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड AACCC0952E	2010-11	सर्किल -1, तिरुपुर	61.52
19	तमिलनाडु	मै. बेस्ट कारपोरेशन प्रा. लिमिटेड AACCR6828G	2011-12	सर्किल -1, तिरुपुर	446.91
		<b>कुल</b>			<b>2901.77</b>

परिशिष्ट-8बी  
(पैरा 2.7 देखें)

पात्र यूनिटों से संबंधित अग्रेषित हानियों और अनवशोषित मूल्यहास के समायोजन में विसंगति

क्र. सं.	राज्य	निर्धारिती के नाम/पैन	नि.व	सीआईटी प्रभार	कर प्रभाव (₹ लाख में)
1	तमिलनाडु	कर्पगम इंजीनियर्स प्रा लिमिटेड AAACK 3980G	2012-13	सीआईटी 4, चेन्नई	0
2	तमिलनाडु	मुरुगन ऑयल कॉर्पोरेशन AAFFM 2784E	2010-11	सीआईटी सलेम	29.12
	तमिलनाडु	मुरुगन ऑयल कॉर्पोरेशन AAFFM 2784E	2011-12	सीआईटी सलेम	34.18
	तमिलनाडु	मुरुगन ऑयल कॉर्पोरेशन AAFFM 2784E	2012-13	सीआईटी सलेम	21.17
3	तमिलनाडु	श्रीमाथे मुरुगेसन AHFPS 4842J	2010-11	सीआईटी सलेम	3.67
	तमिलनाडु	श्रीमाथे मुरुगेसन AHFPS 4842J	2011-12	सीआईटी सलेम	3.31
	तमिलनाडु	श्रीमाथे मुरुगेसन AHFPS 4842J	2012-13	सीआईटी सलेम	2.73
4	तमिलनाडु	वाइकिंग नीटर्स AABFV 8542B	2011-12	सीआईटी 3 कोयम्बटूर	78.07
5	तमिलनाडु	चेन्नई सिल्कस AAFFT 0634G	2011-12	सीआईटी 3 कोयम्बटूर	72.57
6	तमिलनाडु	गंगई गारमेंट्स AABFG 9171H	2011-12	सीआईटी 3 कोयम्बटूर	30.83
7	तमिलनाडु	आनंद होजरी AADFA 8025A	2011-12	सीआईटी 3 कोयम्बटूर	7.23
8	तमिलनाडु	रोहिणी गारमेंट्स AACFR 7582A	2011-12	सीआईटी 3 कोयम्बटूर	18.71
9	तमिलनाडु	अल्टीमेट एलाय प्रा. लिमिटेड AAACU 3303P	2011-12	सीआईटी 3 कोयम्बटूर	26.85
10	तमिलनाडु	बी.के.एस एक्सटाईल AACCB 3382R	2011-12	सीआईटी 3 कोयम्बटूर	9.94
11	तमिलनाडु	ए.पी धंधापानी ADLPD 2469G	2011-12	सीआईटी 3 कोयम्बटूर	11.27

2016 की प्रतिवेदन संख्या 28 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

12	तमिलनाडु	रागम निर्यात AADFR 5160M	2010-11	सीआईटी 3 कोयम्बटूर	4.02
13	तमिलनाडु	जीटीपी ग्रेनाइट लिमिटेड AAACG 7711K	2010-11	सीआईटी सलेम	44.08
	तमिलनाडु	जीटीपी ग्रेनाइट लिमिटेड AAACG 7711K	2011-12	सीआईटी सलेम	49.54
14	तमिलनाडु	अशोक ग्रेनाइट AABCA 8140M	2010-11	सीआईटी सलेम	20.91
	तमिलनाडु	अशोक ग्रेनाइट AABCA 8140M	2011-12	सीआईटी सलेम	20.18
15	तमिलनाडु	केएमडी क्लोथिंग AADFK 7890H	2010-11	सीआईटी सलेम	13.53
	तमिलनाडु	केएमडी क्लोथिंग AADFK 7890H	2011-12	सीआईटी सलेम	16.3
16	तमिलनाडु	वीएसएनसी नरसिंह चेद्वियार संस AAAFV 4573B	2010-11	सीआईटी 1 त्रिची	23.31
	तमिलनाडु	वीएसएनसी नरसिंह चेद्वियार संस AAAFV 4573B	2011-12	सीआईटी 1 त्रिची	17.82
	तमिलनाडु	वीएसएनसी नरसिंह चेद्वियार संस AAAFV 4573B	2012-13	सीआईटी 1 त्रिची	14.98
17	तमिलनाडु	टी.एन.नंदागोपाल एंड संस AAAFT 3509K	2010-11	सीआईटी 1 त्रिची	11.66
	तमिलनाडु	टी.एन.नंदागोपाल एंड संस AAAFT 3509K	2011-12	सीआईटी 1 त्रिची	10.03
18	तमिलनाडु	आदि शंकर स्पिनिंग मिलों AABCA 5198B	2013-14	सीआईटी 3 कोयम्बटूर	17.84
19	तमिलनाडु	प्रभा इंजीनियर्स AAAPF 0959R	2010-11	सीआईटी 2, चेन्नई	30.98
	तमिलनाडु	प्रभा इंजीनियर्स AAAPF 0959R	2011-12	सीआईटी 2, चेन्नई	29.41
	तमिलनाडु	प्रभा इंजीनियर्स AAAPF 0959R	2012-13	सीआईटी 2, चेन्नई	23.47
20	तमिलनाडु	देव विंड मिल्स AABCD 8047L	2010-11	सीआईटी 1, चेन्नई	28.11
	तमिलनाडु	देव विंड मिल्स AABCD 8047L	2011-12	सीआईटी 1, चेन्नई	23.32

2016 की प्रतिवेदन संख्या 28 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

	तमिलनाडु	देव विंड मिल्स AABCD 8047L	2012-13	सीआईटी 1, चेन्नई	21.42
21	तमिलनाडु	ओरिएंट इंपेक्स AAAFO 0102D	2010-11	सीआईटी 1, चेन्नई	13.75
22	तमिलनाडु	मुथूट फाइनेंस लिमिटेड AABCT 0343B	2009-10	सीआईटी त्रिवेंद्रम	59.52
23	तमिलनाडु	प्लांट लिपिड प्रा.ली AABCP 6061C	2010-11	सीआईटी 1 कोच्चि	73.09
24	तमिलनाडु	वाट्स इलेक्ट्रानिक्स प्रा.ली AAACW 1586G	2011-12	सीआईटी 1 कोच्चि	12.39
	तमिलनाडु	वाट्स इलेक्ट्रानिक्स प्रा.ली AAACW 1586G	2012-13	सीआईटी 1 कोच्चि	5.47
	तमिलनाडु	वाट्स इलेक्ट्रानिक्स प्रा.ली AAACW 1586G	2013-14	सीआईटी 1 कोच्चि	8.24
25	तमिलनाडु	पीके स्टील कास्टिंग प्रा.ली AABCP 3517H	2012-13	सीआईटी कोझिकोड	6.31
26	तमिलनाडु	टीसीपी लिमिटेड AAACW 3615K	2012-13	सीआईटी 3, चेन्नई	48.89
27	तमिलनाडु	तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड AAACW 2935J	2012-13	सीआईटी 3, चेन्नई	22.36
28	तमिलनाडु	टेक्समो इंडस्ट्रीज AABFT 1899B	2011-12	सीआईटी 1 कोयम्बटूर	169.06
29	तमिलनाडु	राजागुरु स्पिनिंग मिल्स प्रा.ली AAACW 9898Q	2011-12	सीआईटी सलेम	96.16
30	तमिलनाडु	निप्पो बैटरीज कार्पोरेशन.ली AAACI 2291L	2011-12	सीआईटी 4, चेन्नई	21.04
31	तमिलनाडु	शानमुगापुरीया टेक्सटाइल प्रा.ली AADCS 8203R	2010-11	सीआईटी 3 कोयम्बटूर	10.25
32	तमिलनाडु	एसवीपीएम स्पिनर्स प्रा.ली AACCS 7190J	2009-10	सीआईटी 3 कोयम्बटूर	9.07
33	तमिलनाडु	जी.वी.जी. इंडस्ट्रीज प्रा.ली AAACG 1205E	2009-10	सीआईटी 3 कोयम्बटूर	9.07
34	तमिलनाडु	जानार्थन स्पिनिंग मिल्स AAMFS 4005M	2009-10	सीआईटी 3 कोयम्बटूर	8.74
35	तमिलनाडु	दी इंडिया सीमेंट्स AAACP 1728P	2011-12	सीआईटी 2, चेन्नई	167.18

2016 की प्रतिवेदन संख्या 28 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

	तमिलनाडु	दी इंडिया सीमेंट्स AAACP 1728P	2012-13	सीआईटी 2, चेन्नई	138.16
	तमिलनाडु	दी इंडिया सीमेंट्स AAACP 1728P	2010-11	सीआईटी 2, चेन्नई	118.36
36	तमिलनाडु	कोरोमंडल शुगर्स लिमिटेड AAACI 2702G	2011-12	सीआईटी 2, चेन्नई	360.15
	तमिलनाडु	कोरोमंडल शुगर्स लिमिटेड AAACI 2702G	2012-13	सीआईटी 2, चेन्नई	437.11
37	तमिलनाडु	कोयंबटूर रोलर फ्लोर मिल्स प्रा.ली AAACC 8427E	2012-13	सीआईटी 1, कोयंबटूर	13.18
38	तमिलनाडु	इंडसिल पनबिजली और मैंगनीज लिमिटेड AAACC 4918G	2010-11	आ.आ. 1 कोयंबटूर	0
39	तमिलनाडु	लियो फास्टनर्स AABFL 0652J	2011-12	आ.आ. पुडुचेरी	79.85
40	तमिलनाडु	वीएक्सएल सिस्टम्स AACFV 2118C	2011-12	आ.आ. 2 कोयंबटूर	69.79
41	तमिलनाडु	फ्लो टेक पावर AAFF 2838D	2012-13	आ.आ. 1 कोयंबटूर	3.24
42	तमिलनाडु	लक्ष्मी कार्ड वस्त्र विनिर्माण प्रा. लि. AAACC 3521E	2011-12	आ.आ. 1 कोयंबटूर	29.19
	तमिलनाडु	लक्ष्मी कार्ड वस्त्र विनिर्माण प्रा. लि. AAACC 3521E	2010-11	आ.आ. 1 कोयंबटूर	30.44
43	तमिलनाडु	Mylswamy रंगा रामानुजम ABUPR 0655D	2010-11	आ.आ. 1 कोयंबटूर	14.83
44	तमिलनाडु	श्री वल्ली विलास एमवीपी संस AAAFS 2556F	2010-11	आ.आ. पुडुचेरी	1.8
	तमिलनाडु	श्री वल्ली विलास एमवीपी संस AAAFS 2556F	2011-12	आ.आ. पुडुचेरी	2.51
	तमिलनाडु	श्री वल्ली विलास एमवीपी संस AAAFS 2556F	2012-13	आ.आ. पुडुचेरी	2.71
45	तमिलनाडु	वीएक्सएल सिस्टम्स AACFV 2118C	2010-11	आ.आ. 2 कोयंबटूर	79.88
46	तमिलनाडु	श्री वेंकटाचलपैथी मार्डन राइस मिल ABNFS 4745A	2010-11	आ.आ. पुडुचेरी	8.27
47	तमिलनाडु	द रैमको सीमेंट्स लिमिटेड AABCM 8375L	2011-12	आ.आ. 1 मदुरै	201.77

2016 की प्रतिवेदन संख्या 28 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

	तमिलनाडु	द रैमको सीमेंट्स लिमिटेड AABCM 8375L	2012-13	आ.आ. 1 मदुरै	307.44
48	तमिलनाडु	जीडी टैक्सटाइल्स मदुरै प्रा. लि. AABCG 1276E	2010-11	आ.आ. 1 मदुरै	8.37
	तमिलनाडु	जीडी टैक्सटाइल्स मदुरै प्रा. लि. AABCG 1276E	2011-12	आ.आ. 1 मदुरै	8.47
	तमिलनाडु	जीडी टैक्सटाइल्स मदुरै प्रा. लि. AABCG 1276E	2012-13	आ.आ. 1 मदुरै	9.45
49	तमिलनाडु	आर. थिरुनावुक्कारसू AABPT 7822L	2010-11	आ.आ.2 त्रिची	10.42
	तमिलनाडु	आर. थिरुनावुक्कारसू AABPT 7822L	2012-13	आ.आ.2 त्रिची	7.72
	तमिलनाडु	आर. थिरुनावुक्कारसू AABPT 7822L	2013-14	आ.आ.2 त्रिची	9.16
50	तमिलनाडु	एस. श्रीनिवासराघवन AADPR 3292E	2010-11	आ.आ.2 त्रिची	11.22
	तमिलनाडु	एस. श्रीनिवासराघवन AADPR 3292E	2011-12	आ.आ.2 त्रिची	11.22
	तमिलनाडु	एस. श्रीनिवासराघवन AADPR 3292E	2012-13	आ.आ.2 त्रिची	9.67
	तमिलनाडु	एस. श्रीनिवासराघवन AADPR 3292E	2013-14	आ.आ.2 त्रिची	10.53
		<b>कुल</b>			<b>3506.06</b>

परिशिष्ट-8सी

(पैरा 2.7 देखें)

पात्र यूनिटों से संबंधित अग्रेषित हानियों और अनवशेषित मूल्यहास के समायोजन में विसंगति

क्र. सं.	राज्य	निर्धारिती का नाम	निर्धारण वर्ष	सीआईटी प्रभार	कर प्रभाव (₹ लाख में)
1	गुजरात	मै. गुजरात फ्लूरोकेमिकल्स लि./ AAACG6725H	2010-11	सीआईटी 1 बडोदा	1261.52
	गुजरात	मै. गुजरात फ्लूरोकेमिकल्स लि./ AAACG6725H	2011-12	सीआईटी 1 बडोदा	1012.97
2	गुजरात	रियल स्ट्राइप्स लिमिटेड/AABCR2893N	2012-13	पीसीआईटी 3 अहमदाबाद	27.55
	गुजरात	रियल स्ट्राइप्स लिमिटेड/AABCR2893N	2011-12	पीसीआईटी 3 अहमदाबाद	21.47
	गुजरात	रियल स्ट्राइप्स लिमिटेड/AABCR2893N	2010-11	पीसीआईटी 3 अहमदाबाद	55.33
3	गुजरात	टीएमएल इंडस्ट्रीज लि./ AABCT0793K	2010-11	पीसीआईटी 2 बडोदा	17.88
4	गुजरात	गुजरात अम्बूजा एक्सपोर्ट लि./ AAACG3980A	2012-13	पीसीआईटी 2 अहमदाबाद	200.69
5	गुजरात	राजलक्ष्मी प्रिंटस प्रा. लि. /AABCR1036R	2012-13	पीसीआईटी 2 सूरत	4.62
	गुजरात	राजलक्ष्मी प्रिंटस प्रा. लि./AABCR1036R	2011-12	पीसीआईटी 2 सूरत	35.57
	गुजरात	राजलक्ष्मी प्रिंटस प्रा. लि./AABCR1036R	2010-11	पीसीआईटी 2 सूरत	34.12
6	गुजरात	एस. कुमार/AAIFS7890J	2010-11	सीआईटी 1, राजकोट	33.05
7	गुजरात	कास्टेक फाउंड्रीज प्रा. लि. AAACC 8601N	2012-13	सीआईटी III राजकोट	20.58
8	गुजरात	श्री गिरिशभाई रणछोडभाई तान्ती/ ABFPT3310E	2012-13	सीआईटी 2 राजकोट	28.99
	गुजरात	श्री गिरिशभाई रणछोडभाई तान्ती/ ABFPT3310E	2011-12	सीआईटी 2 राजकोट	21.22
9	गुजरात	मै. रियलवैक्स इंडस्ट्रीज /AAHFR2733A	2012-13	सीआईटी 2 राजकोट	28.89

2016 की प्रतिवेदन संख्या 28 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

10	गुजरात	मै. बालाजी वेफर्स प्रा. लि./AAACB8755A	2012-13	सीआईटी 2 राजकोट	36.21
	गुजरात	मै. बालाजी वेफर्स प्रा. लि./AAACB8755A	2011-12	सीआईटी 2 राजकोट	25.79
	गुजरात	मै. बालाजी वेफर्स प्रा. लि./AAACB8755A	2010-11	सीआईटी 2 राजकोट	34.63
11	गुजरात	असही सोगवान कलर्स लि./AAACA9713D	2012-13	पीसीआईटी 1, अहमदाबाद	18.39
	गुजरात	असही सोगवान कलर्स लि./AAACA9713D	2011-12	पीसीआईटी 1, अहमदाबाद	10.3
12	गुजरात	गार्डन सिल्क मिल्स लि./ AAACG8932C	2010-11	सीआईटी 1सूरत	56.96
13	गुजरात	कुश सिंथेटिक्स प्रा. लि./AABCK2282J	2012-13	सीआईटी 1 सूरत	48.1
14	गुजरात	मै. रविकिरन सेरामिक्स प्रा. लि./AABCR3750J	2012-13	सीआईटी मध्य सूरत	23.09
	गुजरात	मै. रविकिरन सेरामिक्स प्रा. लि./ AABCR3750J	2011-12	सीआईटी मध्य सूरत	16.19
15	राजस्थान	फतेहपुरिया ट्रांसफार्मर एंड स्विचगियर प्रा. लि. जयपुर AAACF3456E	2010-11	सीआईटी 1 जयपुर	15.60
	राजस्थान	फतेहपुरिया ट्रांसफार्मर एंड स्विचगियर प्रा. लि. जयपुर AAACF3456E	2011-12	सीआईटी 1 जयपुर	2.28
	राजस्थान	फतेहपुरिया ट्रांसफार्मर एंड स्विचगियर प्रा. लि. जयपुर AAACF3456E	2012-13	सीआईटी 1 जयपुर	8.85
16	राजस्थान	योगेन्द्र खंडेलवाल, जयपुर ADCPK0822B	2012-13	सीआईटी 1 जयपुर	10.93
	राजस्थान	योगेन्द्र खंडेलवाल, जयपुर ADCPK0822B	2013-14	सीआईटी 1 जयपुर	21.96
17	राजस्थान	खेतान टाइल्स प्रा. लि. AABCK0431H	2009-10	सीआईटी 2 जयपुर	8.83
	राजस्थान	खेतान टाइल्स प्रा. लि. AABCK0431H	2010-11	सीआईटी 2 जयपुर	2.83
	राजस्थान	खेतान टाइल्स प्रा. लि. AABCK0431H	2011-12	सीआईटी 2 जयपुर	3.46
	राजस्थान	खेतान टाइल्स प्रा. लि. AABCK0431H	2012-13	सीआईटी 2 जयपुर	7.59

2016 की प्रतिवेदन संख्या 28 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

	राजस्थान	खेतान टाइल्स प्रा. लि. AABCK0431H	2013-14	सीआईटी 2 जयपुर	4.59
18	राजस्थान	विजय इंडस्ट्रिज, अलवर AAAPV7282R	2010-11	सीआईटी अलवर	8.88
	राजस्थान	विजय इंडस्ट्रिज, अलवर AAAPV7282R	2012-13	सीआईटी अलवर	11.57
19	राजस्थान	सौरभ अग्रोटेक, अलवर AADCS4522P	2010-11	सीआईटी अलवर	8.91
	राजस्थान	सौरभ अग्रोटेक अलवर AADCS4522P	2011-12	सीआईटी अलवर	10.21
	राजस्थान	सौरभ अग्रोटेक अलवर AADCS4522P	2012-13	सीआईटी अलवर	11.60
20	राजस्थान	दीपक वेजप्रो, अलवर AAACD6118P	2010-11	सीआईटी अलवर	12.26
	राजस्थान	दीपक वेजप्रो, अलवर AAACD6118P	2011-12	सीआईटी अलवर	10.61
21	राजस्थान	दिल्ली ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, जयपुर AABFD1795N	2010-11	सीआईटी (मध्य) जयपुर	6.70
	राजस्थान	दिल्ली ट्रेडिंग कॉरपोरेशन जयपुर AABFD1795N	2011-12	सीआईटी (मध्य) जयपुर	24.47
	राजस्थान	दिल्ली ट्रेडिंग कॉरपोरेशन जयपुर AABFD1795N	2012-13	सीआईटी (मध्य) जयपुर	55.42
	राजस्थान	दिल्ली ट्रेडिंग कॉरपोरेशन जयपुर AABFD1795N	2013-14	सीआईटी (मध्य) जयपुर	47.34
22	राजस्थान	नेशनल टूल्स एंड एक्सपोर्ट प्रा.लि., जोधपुर AACFN6037A	2010-11	सीआईटी-1 जोधपुर	7.15
23	राजस्थान	श्री राम इंडस्ट्रीज, जोधपुर AACFS7768M	2010-11	सीआईटी-1 जोधपुर	14.22
	राजस्थान	श्री राम इंडस्ट्रीज, जोधपुर AACFS7768M	2011-12	सीआईटी-1 जोधपुर	12.65
24	राजस्थान	श्री राम होटल, जोधपुर AAQFS2527L	2009-10	सीआईटी-1 जोधपुर	9.34

2016 की प्रतिवेदन संख्या 28 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

	राजस्थान	श्री राम होटल	2010-11	सीआईटी-1 जोधपुर	4.90
	राजस्थान	श्री राम होटल	2011-12	सीआईटी-1 जोधपुर	3.67
25	राजस्थान	केमिकल्स एंड मिनरल इंडस्ट्रीज प्रा. लि., जोधपुर AABCC2745E	2009-10	सीआईटी-1 जोधपुर	23.66
	राजस्थान	केमिकल्स एंड मिनरल इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	2010-11	सीआईटी-1 जोधपुर	12.42
	राजस्थान	केमिकल्स एंड मिनरल इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	2011-12	सीआईटी-1 जोधपुर	7.29
26	राजस्थान	राजस्थान गम प्र. लि., जोधपुर AAACR8151N	2010-11	सीआईटी-1 जोधपुर	67.27
27	राजस्थान	इरकॉन काम्पोजिट्स, जोधपुर AABFE6551F	2011-12	सीआईटी-1 जोधपुर	15.96
28	राजस्थान	चौधरी फ्रेट केरियर AABFC0104E	2010-11	सीआईटी-2 जोधपुर	10.85
	राजस्थान	चौधरी फ्रेट केरियर AABFC0104E	2011-12	सीआईटी-2 जोधपुर	6.61
	राजस्थान	चौधरी फ्रेट केरियर AABFC0104E	2012-13	सीआईटी-2 जोधपुर	11.49
29	राजस्थान	मेरू इलेक्ट्रिकलस एंड मेकेनिकल्स प्रा.लि., अलवर AACBM2145G	2011-12	सीआईटी अलवर	6.01
	राजस्थान	मेरू इलेक्ट्रिकलस एंड मेकेनिकल्स प्रा.लि.	2012-13	सीआईटी अलवर	6.02
	राजस्थान	मेरू इलेक्ट्रिकलस एंड मेकेनिकल्स प्रा.लि.	2013-14	सीआईटी अलवर	7.2
30	हरियाणा	के.ई.सी. इंडस्ट्रीज लिमिटेड AAACK 4706E	2011-12	सीआईटी हरियाणा	19.43
31	छत्तीसगढ़	सूर्यकान्त गुप्ता ACZPG 8034D	2012-13	सीआईटी 2 रायपुर	45.23
32	छत्तीसगढ़	अलोक फेररो एलाय लि. AACCA 0569P	2012-13	सीआईटी 1 रायपुर	18.93
33	मध्य प्रदेश	मै. धार ऑटोमोटिव प्रा. लि. AABCD 4418K	2010-11	प्रा.सीआईटी-1 इन्दौर	28.67
	मध्य प्रदेश	मै. धार ऑटोमोटिव प्रा. लि. AABCD 4418K	2011-12	प्रा.सीआईटी-1 इन्दौर	16.11

2016 की प्रतिवेदन संख्या 28 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

	मध्य प्रदेश	मै. धार ऑटोमोटिव प्रा. लि. AABCD 4418K	2012-13	प्रा.सीआईटी-1 इन्दौर	4.45
34	आंध्र प्रदेश	अंकिनीदू पोपुरी/AGJPP5770B	2006-07 to 2012-13	सीआईटी-VII एचवाईडी	42.11
35	आंध्र प्रदेश	जोसिल लि./AAACJ5606L	2012-13	सीआईटी-गून्टूर	56.86
36	ओडिशा	पटनायक मिनरल प्रा. लि./AABCP3278P	2012-13	पीआईसीटी कटक	501.00
37	ओडिशा	जितेन्द्रनाथ पटनायक/ ABFPP3817J	2012-13	पीआईसीटी कटक	27.55
38	पश्चिम बंगाल	गेल्लैट मेटल लिमिटेड AACCG2934J	11-12	पीआईसीटी 1	400.29
39	दिल्ली	पावरलिक्स ट्रांसमिशन लि. AABCT7775M	2012-13	सीआईटी VII	524.34
40	महाराष्ट्र	मै. नोर्थ कर्नाटक एक्सप्रेसवे लिमिटेड AABCN3062F	2012-13	पीआईसीटी 14, मुम्बई	161.99
41	महाराष्ट्र	पावरिका लि. AAACP3812E	2011-12	सीआईटी-एलटीयू मुम्बई	69.59
		<b>कुल</b>			<b>5512.26</b>

परिशिष्ट-9

(पैरा 2.8 देखें)

कार्बन क्रेडिटों की बिक्री से प्राप्तियों का निरूपण

क्रम सं.	राज्य	निर्धारिती का नाम	नि.व.	सीआईटी प्रभार	कर प्रभाव (₹ लाख में)
1	तमिलनाडु	अमरज्योति पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लिमिटेड AADCA 9401F	2011-12	सीआईटी 3, कोयम्बटूर	82.78
2	तमिलनाडु	लान्को तंजोर पावर कॉर. लि. AACCA4297N	2011-12	सीआईटी 4, चेन्नई	728.13
3	तमिलनाडु	पार्वथी टेक्सटाइल्स AABFN 3571G	2009-10	सीआईटी 2, मदुरै	4.35
	तमिलनाडु	पार्वथी टेक्सटाइल्स AABFN 3571G	2010-11	सीआईटी 2, मदुरै	2.94
4	तमिलनाडु	श्री सर्वना स्पाइनिंग मिल्स प्रा. लि. AACCS 0540G	2010-11	सीआईटी 2, मदुरै	62.32
5	गुजरात	कलपतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड AAACK8387R	2010-11	पीसीआईटी गांधीनगर	150.48
	गुजरात	कलपतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड AAACK8387R	2011-12	पीसीआईटी गांधीनगर	34.25
6	कर्नाटक	मै. हेमवथी पावर एंड लाइट प्रा. लि. AABCH1245E	2012-13	III बेंगलोर	103.00
7	कर्नाटक	मै. बीआरएल लॉजिस्टिक लि. AABCV3609C	2012-13	हुबली	303.38
8	राजस्थान	गिन्नी ग्लोबल प्रा.लि. AAACG3064H	2010-11	सीआईटी अलवर	70.87
	राजस्थान	गिन्नी ग्लोबल प्रा.लि. AAACG3064H	2011-12	सीआईटी अलवर	21.15
9	राजस्थान	राजस्थान स्टेट माइन्स एंड मिनरल लि., जयपुर AAACR7857H	2007-08	सीआईटी-2 जयपुर	172.72
	राजस्थान	राजस्थान स्टेट माइन्स एंड मिनरल लि., जयपुर AAACR7857H	2011-12	सीआईटी-2 जयपुर	93.67
10	आंध्र प्रदेश	मै. क्लेरियो पावर कॉरपोरेशन लि., हैदराबाद AABCC 5697H	2010-11	सीआईटी-1, हैदराबाद	63.43
11	छत्तीसगढ़	श्री सूर्यकान्त गुप्ता ACZPG 8034D	2010-11	सीआईटी-2 रायपुर,	48.28

2016 की प्रतिवेदन संख्या 28 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

12	छत्तीसगढ़	मै. गोदावरी पावर एंड इस्पात लि. AAACI 7189K	2012-13	सीआईटी-1 रायपुर,	4.79
13	दिल्ली	मै. जिन्दल सॉ. लिमिटेड AABCS 7280C	2011-12	सीआईटी प्रभार V, दिल्ली	199.15
14	दिल्ली	मै. के.के.के. हाइड्रो पावर लि. AABCK 5227H	2011-12	सीआईटी प्रभार V, दिल्ली	65.45
	दिल्ली	मै. के.के.के. हाइड्रो पावर लि. AABCK 5227H	2012-13	सीआईटी प्रभार V, दिल्ली	33.99
15	महाराष्ट्र	मै. डब्ल्यूएमआई पावर प्राइवेट लिमिटेड AAACW8862B	2012-13	पीसीआईटी 8, मुम्बई	5.73
16	महाराष्ट्र	मै.एस्सेंट हाइड्रो प्रोजेक्ट लिमिटेड AAFCA1454N	2010-11	पीसीआईटी 9, मुम्बई	15.09
17	महाराष्ट्र	मै. हंजेर बायोटेक एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड AABCH3870K	2011-12	पीसीआईटी 10, मुम्बई	560.00
18	महाराष्ट्र	एस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लि. AAACE6607L	2011-12 2012-13	पीसीआईटी (मध्य) 1, मुम्बई	549.39
19	महाराष्ट्र	मै. दौंद शुगर लिमिटेड AADCD0135F	2012-13	पीसीआईटी-I, पुणे	102.00
		<b>कुल</b>			<b>3477.34</b>

परिशिष्ट-10

(पैरा 2.9 देखें)

संवीक्षा निर्धारण के दौरान किये गए संबंधनों पर कटौती

क्र. सं.	राज्य	पैन के साथ निर्धारिती का नाम	सीआईटी प्रभार	निर्धारण वर्ष	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	मेसर्स लैंको कोंडापटली पावर प्राइवेट लिमिटेड	सीआईटी-IV, हैदराबाद	2010-11	16.79
2	आंध्र प्रदेश	मेसर्स कृष्णापट्टनम पोर्ट कम्पनी लिमिटेड	पीसीआईटी-सेन्ट्रल, हैदराबाद	2012-13	6.97
3	आंध्र प्रदेश	मेसर्स सूर्यचक्र पावर कॉर्पोरेशन	सीआईटी-III, हैदराबाद		0.98
4	आंध्र प्रदेश	मेसर्स सुधा एग्रो ऑयल एंड केमिकल इंडस्ट्रीज, काकीना	सीआईटी-II, विशाखापट्टनम	2010-11 व 2011-12	1.26
5	महाराष्ट्र	मेसर्स थाणे घोडबुंडर टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड	पीसीआईटी (सेन्ट्रल) 3, मुम्बई	2010-11 व 2011-12	0.83
6	महाराष्ट्र	मेसर्स जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड	पीसीआईटी (सेन्ट्रल), मुम्बई	2010-11, 2011-12	2.35 25.47
7	दिल्ली	वोडाफोन साउथ लिमिटेड AABC5847L	सीआईटी IX दिल्ली	2010-11	15.86
8	कर्नाटक	एनएसएल शुगर्स लिमिटेड, बैंगलुरु	पीसीआईटी V बैंगलुरु	2011-12	0.68
9	छत्तीसगढ़	श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड	डीसीआईटी2(1), सीआईटी 1 रायपुर	2010-11, 2011-12	3.47
		<b>कुल</b>			<b>74.66</b>

परिशिष्ट-11

(पैरा 2.10 देखें)

आंतरिक/निजी उपयोग के लिए विकसित अवसंरचनात्मक सुविधा पर कटौती

क्र. सं.	राज्य	पैन के साथ निर्धारिती का नाम	सीआईटी प्रभार	निर्धारण वर्ष	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
1	महाराष्ट्र	मेसर्स रिलायंस पोर्ट्स एंड टर्मिनल लिमिटेड AABCR3873B	पीसीआईटी 3, मुम्बई	2010-11/ 2011-12	1766.74
2	महाराष्ट्र	मेसर्स अम्बुजा सिमेंट लिमिटेड AAACG0569P	पीसीआईटी एलटीयू, मुम्बई	2009-10/ 2010-11	25.62
3	महाराष्ट्र	मेसर्स दहेज हार्बर एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड AAACD7230J	पीसीआईटी 5, मम्बई	2009-10 से 2012-13	45.59
4	पश्चिम बंगाल	मेसर्स रेशमी मेटालीक्स AACCR7183E	पीसीआईटी (सेन्ट्रल)-1, कोलकाता	2009-10 से 2012-13	38.91
5	महाराष्ट्र	मेसर्स इस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड AAACE6607L	पीसीआईटी (सेन्ट्रल)-1	2010-11	26.66
	महाराष्ट्र	मेसर्स इस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड AAACE6607L	पीसीआईटी (सेन्ट्रल)-1	2011-12	43.4
	महाराष्ट्र	मेसर्स इस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड AAACE6607L	पीसीआईटी (सेन्ट्रल)-1	2012-13	3.82
6	महाराष्ट्र	मेसर्स जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड AAACJ4323N	पीसीआईटी (सेन्ट्रल)-4	2008-09, 2010-11, 2011-12	33.93
7	महाराष्ट्र	एसीसी लिमिटेड AAAC1507C	सीआईटी-एलटीयू, मुम्बई	2009-10 2010-11	32.27
8	महाराष्ट्र	अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड AAACG0569P	सीआईटी-एलटीयू, मुम्बई	2009-10 2010-11	49.76
		<b>कुल</b>			<b>2066.7</b>

परिशिष्ट-12

(पैरा 3.2 देखें)

रिटर्न फाइल करने में विलम्ब के बावजूद कटौती की अनुमति

क्र. सं.	राज्य	पैन के साथ निर्धारिती का नाम	निर्धारण वर्ष	सीआईटी प्रभार	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
1	तमिलनाडू	इंडो नेशनल प्राइवेट लिमिटेड AAACI2291L	2012-13	सीआईटी 4, चेन्नई	47.57
2	तमिलनाडू	सेंट जॉन फ्रेट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड AAACS 4697 N	2007-08	सीआईटी सेन्ट्रल 2, चेन्नई	44.38
	तमिलनाडू	सेंट जॉन फ्रेट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड AAACS 4697 N	2008-09	सीआईटी सेन्ट्रल 2, चेन्नई	60.74
	तमिलनाडू	सेंट जॉन फ्रेट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड AAACS 4697 N	2009-10	सीआईटी सेन्ट्रल 2, चेन्नई	82.71
	तमिलनाडू	सेंट जॉन फ्रेट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड AAACS 4697 N	2010-11	सीआईटी सेन्ट्रल 2, चेन्नई	51.03
3	तमिलनाडू	सक्थी मुरुगन एगो फूड्स लि. AACCS 9473 J	2012-13	सीआईटी 2, कोडम्बाटोर	27.24
4	तमिलनाडू	श्री एमटीके टेक्सटाइल प्राइवेट लि.	2010-11	सीआईटी 2, मुदुराई	20.11
5	तमिलनाडू	एफएल स्मिथ AAACF 4997N	2011-12	सीआईटी II चेन्नई	63.18
6	दिल्ली	मॉनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड AAACM0501D	2010-11	सर्कल 17 (1)/सीआईटी VI	6041.81
7	गुजरात	मेसर्स सॉराष्ट्र एनविरो प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड AAACCV1967G	2012-13	पीसीआईटी 2, सूरत	841.72
8	आंध्र प्रदेश	जेवीपी सॉफ्ट पी. लिमिटेड AAACJ5094J	2008-09	सीआईटी-II हैदराबाद	157.90
9	आंध्र प्रदेश	भूरथनोम कन्स्ट्रक्शन AACCB2077M	2012-13	सीआईटी-I हैदराबाद	16.19
10	उत्तर प्रदेश	विजय इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पैन AABCV 2697 Q	2010-11	सेन्ट्रल-लखनऊ	209
11	महाराष्ट्र	वीसीआर टोल सर्विसिज़ पी. लिमिटेड AABCA6087L	2013-14	पीसीआईटी 11 मुम्बई	385.00
		<b>कुल</b>			<b>8048.58</b>

परिशिष्ट-13

(पैरा 3.3 देखें)

अनुमेय अवधियों के बाद अनुमत कटौती

क्र. सं.	राज्य	पैन के साथ निर्धारिती का नाम	निर्धारण वर्ष	सीआईटी प्रभार	कर प्रभाव (₹ लाख में)
1	चंडीगढ़	मेसर्स पंजाब जेनको लिमिटेड चंडीगढ़ AABCP4247L	2012-13	सीआईटी-II, सीएचडी	51.55
2	दिल्ली	एसएमएस पर्यावरण लिमिटेड AAACS2177F	2011-12	सर्कल 24 (1)/सीआईटी VIII	0
	दिल्ली	एसएमएस पर्यावरण लिमिटेड AAACS2177F	2010-11	सर्कल 24 (1)/सीआईटी VIII	0
3	गुजरात	मेसर्स आकाश इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड AADCA3708M	2011-12	पीसीआईटी, गाँधीनगर	68.8
	गुजरात	मेसर्स आकाश इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड AADCA3708M	2012-13	पीसीआईटी, गाँधीनगर	47.02
4	महाराष्ट्र	मेसर्स आईडिया सेय्युलर प्राइवेट लिमिटेड AAACB 2100P	2009-10	पीसीआईटी 14, मुम्बई	25053.00
	महाराष्ट्र	मेसर्स आईडिया सेय्युलर प्राइवेट लिमिटेड AAACB 2100P	2011-12	पीसीआईटी 14, मुम्बई	38019.00
	महाराष्ट्र	मेसर्स आईडिया सेय्युलर प्राइवेट लिमिटेड AAACB 2100P	2012-13	पीसीआईटी 14, मुम्बई	17688.00
5	महाराष्ट्र	वीसीआर टोल सर्विसिज़ प्राइवेट लिमिटेड AABCA6087L	2011-12	पीसीआईटी 11, मुम्बई	64.26
6	महाराष्ट्र	रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड AACCR 7446Q	2009-10	सीआईटी-14, मुम्बई	3879.00
	महाराष्ट्र	रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड AACCR 7446Q	2009-10 to 2012-13	सीआईटी-14, मुम्बई	1076.82
		<b>कुल</b>			<b>85947.45</b>

परिशिष्ट-14

(पैरा 3.4 देखें)

व्ययों का गलत आबंटन

क्र. सं.	राज्य	पैन के साथ निर्धारिती का नाम	निर्धारण वर्ष	सीआईटी प्रभार	कर प्रभाव (₹ लाख में)
1	कर्नाटक	मेसर्स साउथ इंडियन पेपर मिल लिमिटेड AAAC7549J	2010-11	मैसूर	26.53
	कर्नाटक	मेसर्स साउथ इंडियन पेपर मिल लिमिटेड AAAC7549J	2012-13	मैसूर	67.22
2	कर्नाटक	मेसर्स कर्नाटक रिन्यूबएल एनर्जी डेवेलपमेंट लिमिटेड	2010-11	IV बैंगलुरु	1.75
	कर्नाटक	मेसर्स कर्नाटक रिन्यूबएल एनर्जी डेवेलपमेंट लिमिटेड	2011-12	IV बैंगलुरु	3.53
	कर्नाटक	मेसर्स कर्नाटक रिन्यूबएल एनर्जी डेवेलपमेंट लिमिटेड	2012-13	IV बैंगलुरु	4.75
3	तमिलनाडू	नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन AAACN 1121C	2008-09	एलटीयू चेन्नई	685.24
4	दिल्ली	एनटीपीसी लिमिटेड AAACN0255D	2012-13	सीआईटी IV	5810.3
	दिल्ली	एनटीपीसी लिमिटेड AAACN0255D	2011-12	सीआईटी IV	5284.4
	दिल्ली	एनटीपीसी लिमिटेड AAACN0255D	2010-11	सीआईटी IV	3622.22
5	गुजरात	टोरेट पावर लिमिटेड AACCT0294J	2011-12	पीसीआईटी 4 अहमदाबाद	99.55
	गुजरात	टोरेट पावर लिमिटेड AACCT0294J	2010-11	पीसीआईटी 4 अहमदाबाद	148.46
6	गुजरात	एनविज़न एन्विरो इन्जिनियर प्राइवेट लिमिटेड AAACE9785F	2011-12	पीसीआईटी 1, सूरत	27.16
	गुजरात	एनविज़न एन्विरो इन्जिनियर प्राइवेट लिमिटेड AAACE9785F	2012-13	पीसीआईटी 1, सूरत	58.83
7	राजस्थान	राजस्थान स्टेट रोड डेवेलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन, जयपुर AABCR9650F	2010-11	सीआईटी-2 जयपुर	279.86
8	राजस्थान	राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि., जयपुर AAACR7857H	2010-11	सीआईटी-2 जयपुर	67.83
9	आंध्र प्रदेश	लैंको कोंडापल्ली पावर AAACK5423A	2012-13	सीआईटी-IV हैदराबाद	66.44
10	आंध्र प्रदेश	श्री ललिता एंटरप्राइस इंड्स AAKCS3233N	2010-11, 2011-12 एवं 2012-13	सीआईटी-II वीएसपी	117.78

2016 की प्रतिवेदन संख्या 28 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

11	आंध्र प्रदेश	एपी पावर जनरेशन कॉर्प/AACCA2734J	2011-12	सीआईटी-1 हैदराबाद	590.97
12	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड AAACU 3258 K	2010-11	2, लखनऊ	103
13	महाराष्ट्र	रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड AACCR 7446Q	2010-11, 2011-12, 2012-13	सीआईटी 14, मुम्बई	5188
14	महाराष्ट्र	श्री कृष्णा खन्दसारी सुगर्स मिल्स AAGFS1508P	2012-13	सीआईटी-1, नासिक	0
15	महाराष्ट्र	डॉंड सुगर्स लिमिटेड AADCD0135F	2012-13	सीआईटी-1,पूने	193
		<b>कुल</b>			<b>22446.82</b>

परिशिष्ट-15  
(पैरा 3.5 देखें)

विघटन/एकीकरण के परिणाम

क्र. सं.	राज्य	पैन सहित निर्धारिती का नाम	नि.व.	सीआईटी प्रभार	कर प्रभाव (₹ लाख में)
1	गुजरात	देवांग पेपर मिल्स प्रा.लि./ AADCD7232R	2012-13	सीआईटी वलसाद	50.60
	गुजरात	देवांग पेपर मिल्स प्रा.लि./ AADCD7232R	2011-12	सीआईटी वलसाद	58.42
2	दिल्ली	एस.ई. इंवेस्टमेंट लिमिटेड AACCS1879G	2012-13	सीआईटी VIII	73.82
3	दिल्ली	एस.ई. पावर प्रा.लि. AAOC6223N	2012-13	सीआईटी VIII	7.39
4	महाराष्ट्र	जेएसडब्ल्यू एनर्जी लि. AAACJ8109N	2011-12	सीआईटी (सेंट्रल) 4, मुंबई	34003.22
	महाराष्ट्र	जेएसडब्ल्यू एनर्जी लि. AAACJ8109N	2010-11	सीआईटी (सेंट्रल) 4, मुंबई	
5	महाराष्ट्र	स्मृद्धि सीमेंट लिमिटेड AANCS3843F	2010-11	पीसीआईटी (केन्द्रीय) 1, मुंबई	2118.00
	महाराष्ट्र	स्मृद्धि सीमेंट लिमिटेड AANCS3843F	2011-12		
6	महाराष्ट्र	ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड AAACG4464B	2010-11	पीसीआईटी (केन्द्रीय) 1, मुंबई	1265.00
7	तमिलनाडु	मैसर्स जयकृष्णा एक्सल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड AAABCJ9954G	2012-13	सीआईटी सलेम	33.07
		<b>कुल</b>			<b>37609.52</b>

परिशिष्ट-16

(पैरा 3.6 देखें)

पात्र लाभों की गणना में गलतियां

क्र. सं.	राज्य	पैन सहित निर्धारिती का नाम	निर्धारण वर्ष	सीआईटी प्रकार	कर प्रभाव (₹ लाख में)
1	तमिलनाडु	बेथी रेड्डी नागी रेड्डी AAEPNS4673Q	2012-13	सीआईटी 4, चेन्नई	30.90
2	तमिलनाडु	एसपीआई प्रोपर्टीज प्रा. लिमिटेड AAACU7108G	2012-13	सीआईटी 6, चेन्नई	26.42
3	तमिलनाडु	मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड AAACM3404D	2010-11	सीआईटी एलटीयू, चेन्नई	74.40
4	तमिलनाडु	एमएम फोर्जिंग्स लिमिटेड AAACM2614L	2012-13	सीआईटी 4, चेन्नई	71.21
5	तमिलनाडु	नाटेसन सिंक्रोन्स प्राइवेट लिमिटेड AAACN2399A	2012-13	सीआईटी 4, चेन्नई	59.70
6	तमिलनाडु	कोरोमंडल शुगर्स लिमिटेड AAACI2702G	2011-12	सीआईटी 1, चेन्नई	29.55
	तमिलनाडु	कोरोमंडल शुगर्स लिमिटेड AAACI2702G	2012-13	सीआईटी 1, चेन्नई	34.15
7	तमिलनाडु	एलएंडटी ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड AAACL1912F	2009-10	सीआईटी 4, चेन्नई	499.79
8	तमिलनाडु	चेट्टीनाड सीमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड AAACC3130A	2010-11	एलटीयू, चेन्नई	1283.17
	तमिलनाडु	चेट्टीनाड सीमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड AAACC3130A	2007-08	एलटीयू, चेन्नई	491.00
9	तमिलनाडु	मार्टिन AEWUPM3703Q	2010-11	सीआईटी आई सीबीई	230.42
10	चंडीगढ़	पालीवाल ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड	2010-11 व 2011-12	पीसीआईटी करनाल	206.10
11	उत्तर प्रदेश	एल.एच. शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड	2011-12	पीसीआईटी - बरेली	408.01
12	उत्तर प्रदेश	एलडेको सिडकुल इंडस्ट्रीयल पार्क लिमिटेड	2007-08	पीसीआईटी - केंद्रीय, कानपुर	1340.00
	उत्तर प्रदेश	एलडेको सिडकुल इंडस्ट्रीयल पार्क लिमिटेड	2008-09	पीसीआईटी - केंद्रीय, कानपुर	723.00
13	कर्नाटक	राममूर्ति प्रवीण चंद्र AAKPC0482C	2010-11	V, बेंगलुरु	39.23
	कर्नाटक	राममूर्ति प्रवीण चंद्र AAKPC0482C	2011-12	V, बेंगलुरु	42.45
	कर्नाटक	राममूर्ति प्रवीण चंद्र AAKPC0482C	2012-13	V, बेंगलुरु	35.89

2016 की प्रतिवेदन संख्या 28 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

14	कर्नाटक	जीएमआर तांबरम एंड तिन्दावनम एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड AABCG8475F	2011-12	III- बेंगलुरु	167.27
	कर्नाटक	जीएमआर तांबरम एंड तिन्दावनम एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड AABCG8475F	2012-13	III- बेंगलुरु	130.49
15	कर्नाटक	जीएमआर तुनी-अनकापल्ली एक्सप्रेसवेज प्राइवेट लिमिटेड AABCG8474E	2011-12	III- बेंगलुरु	82.99
	कर्नाटक	जीएमआर तुनी-अनकापल्ली एक्सप्रेसवेज प्राइवेट लिमिटेड AABCG8474E	2012-13	III- बेंगलुरु	106.33
16	कर्नाटक	एम.के. एगोटेक प्राइवेट लिमिटेड AADCM7734K	2010-11	मैसूर	5.64
17	कर्नाटक	मारिस सीमेंट्स (प्रा.) लिमिटेड AADCM4331L	2012-13	VII- बेंगलुरु	68.71
18	राजस्थान	श्रीराम इंडस्ट्रीज AACFC7168M	2012-13	सीआईटी-1 जोधपुर	116.24
19	दिल्ली	गुजरात गार्जियन लिमिटेड AAACG1622K	2010-11	सीआईटी प्रभार IV, दिल्ली	236.17
20	मध्य प्रदेश	श्री नारायण बिल्डअप इंडिया प्रा. लि., AAGCS5801C	2006-07	प्रधान सीआईटी, ग्वालियर	25.09
21	आंध्र प्रदेश	मैसर्स सौभाग्य प्रोजेक्ट्स प्रा. लि., AAECS2802H	2010-11	सीआईआर.आई राजमुद्री	185.33
22	आंध्र प्रदेश	ग्रीनको एनर्जी/AAFC57123L	2010-11	सीआईटी-II हैदराबाद	178.97
23	आंध्र प्रदेश	यूनाइटेड पोर्ट सर्विसेज लिमिटेड/AADJC0188Q	2010-11	सीआईटी- V हैदराबाद	26.70
24	आंध्र प्रदेश	सातवाहन इस्पात लिमिटेड AACCS8982L	2010-11	सीआईटी-III हैदराबाद	45.84
25	आंध्र प्रदेश	आर्क एनर्जी लिमिटेड AAFC0044C	2010-11	पीसीआईटी-सैन्ट्रल	73.42
26	आंध्र प्रदेश	मुंबई वैस्ट मैनेजमेंट कंपनी/AADCM0026A	2012-13	सीआईटी-सैन्ट्रल हैदराबाद	975.93
27	आंध्र प्रदेश	रामकी एंवायरॉ इंजीनियर्स/AACCR7170F	2012-13	सीआईटी-सैन्ट्रल हैदराबाद	612.22
28	आंध्र प्रदेश	पीपीएस एंवायरॉ पावर AACCP9497R	2012-13	सीआईटी-IV हैदराबाद	48.85
29	आंध्र प्रदेश	प्रभात एग्री बायोटेक/AABCP8801C	2010-11 & 2011-12	सीआईटी-IV हैदराबाद	15.18

2016 की प्रतिवेदन संख्या 28 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

30	आंध्र प्रदेश	एनएसएल रीन्यूएबल पावर प्रा. लि., AABCN6009L	2012-13	सीआईटी-IV हैदराबाद	389.73
31	गुजरात	गुजरात एंवायरो प्रोटेक्शन एंड इंफ्रा प्रा. लि.	2010-11	सीआईटी। सूरत	168.28
	गुजरात	गुजरात एंवायरो प्रोटेक्शन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीएंडएनएच) प्रा. लि.	2011-12	सीआईटी। सूरत	75.57
32	महाराष्ट्र	मैराथन नेक्स्टजेन रियल्टी लिमिटेड AAACP8032E	2010-11 से 2012-13	पीसीआईटी (सैन्ट्रल) 3, मुंबई	1110.00
33	महाराष्ट्र	हैमलेट कंस्ट्रक्शन (I) प्राइवेट लिमिटेड	2010-11	पीसीआईटी 1, मुंबई	142.36
34	महाराष्ट्र	वादिनार पावर कंपनी लिमिटेड AAACV5226C	2010-11	पीसीआईटी-5, मुंबई	184.00
35	महाराष्ट्र	अमेनटाइनी सॉफ्टवेयर प्रा. लि. AAECA7051J	2010-11 व 2011-12	पीसीआईटी (सैन्ट्रल) 3, मुंबई	0.00
36	महाराष्ट्र	घोडावट एनर्जी प्रा. लि. AAACG6910C	2010-11 2011-12	पीसीआईटी 2, कोल्हापुर	156.00
37	महाराष्ट्र	जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड AAACJ8109N	2010-11	सीआईटी (सैन्ट्रल) 4, मुंबई	0.00
	महाराष्ट्र	जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड AAACJ8109N	2011-12	सीआईटी (सैन्ट्रल) 4, मुंबई	0.00
38	महाराष्ट्र	मैराथन नेक्स्टजेन रियल्टी लिमिटेड AAACP8032E	2010-11	पीसीआईटी (सैन्ट्रल) 3, मुंबई	90.92
39	महाराष्ट्र	मनराज ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड AADCM3254C	2012-13	सीआईटी -2, नासिक	74.94
40	महाराष्ट्र	श्रद्धा एनर्जी एंड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड AAICS6691L	2010-11 2011-12	सीआईटी सीसी पुणे में	506.00
41	महाराष्ट्र	बीटी ग्लोबल कम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड AAACG1534A	2011-12	पीसीआईटी (सैन्ट्रल) 3, मुंबई	961.00
42	महाराष्ट्र	रूपा इन्फोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड AADCR0249Q	2012-13	सीआईटी-14, मुंबई	560.34
43	महाराष्ट्र	अवोकाडो प्रोपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट (I) प्रा. लि. AADCA9413F	2010-11, 2011-12	सीआईटी-12, मुंबई	780.45
	महाराष्ट्र	अवोकाडो प्रोपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट (I) प्रा. लि. AADCA9413F	2012-13	सीआईटी-12, मुंबई	438.56
		<b>कुल</b>			<b>14364.91</b>

**परिशिष्ट-17**  
(पैरा 3.7 देखें)

संबंधित पक्षों के साथ लेन देन बाजार कीमत पर नहीं किया गया

क्र. सं.	राज्य	पैन सहित निर्धारित का नाम	निर्धारण वर्ष	सीआईटी प्रभार	कर प्रभाव (₹ लाख में)
1	मध्य प्रदेश	मैसर्ज एचईजी लिमिटेड, AAACH6184K	2013-14	प्रधान सीआईटी 1, भोपाल	0
2	पश्चिम बंगाल	जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड, AAACJ6715G	10-11	पीसीआईटी 2	323.02
3	पश्चिम बंगाल	गैलेंट मेटल लिमिटेड, AACCG2934J	11-12	पीसीआईटी 2	49.17
	पश्चिम बंगाल	गैलेंट मेटल लिमिटेड, AACCG2934J	12-13	पीसीआईटी 1	210.95
4	उत्तराखंड	ऑयल एंड नैचुरल गैस कोर्पोरेशन लिमिटेड, देहरादून AAACO1598A	2010-11	पीसीआईटी देहरादून	855.87
5	महाराष्ट्र	डॉ. बाबा साहब अंबेडकर को-ऑपरेटिव शुगर फैक्टरी AAAAD0955E	2011-12	सीआईटी-1, औरंगाबाद	70.95
6	महाराष्ट्र	एमओआईएल लिमिटेड AAACM8952A	2012-13	सीआईटी-2, नागपुर	0
		<b>कुल</b>			<b>1509.96</b>

परिशिष्ट-18  
(पैरा 3.8 देखें)

पुराने संयंत्र तथा मशीनरी/पूर्ववर्ती अवसंरचना सुविधा/पहले से मौजूद व्यवसाय के विभाजन पर  
अनुमत कटौती

क्र. सं.	राज्य	पैन सहित निर्धारित का नाम	निर्धारण वर्ष	सीआईटी प्रभार	कर प्रभाव (₹ लाख में)
1	गुजरात	चिरीपल इंडस्ट्रीज लिमिटेड/AAACC8513B	2010-11	पीसीआईटी 1, अहमदाबाद	126.82
2	तमिलनाडू	एशियन फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड AAGCA 6961R	2011-12	सीआईटी 1 त्रिचि	140.15
3	महाराष्ट्र	मां ऊषा ऊर्जा लिमिटेड ADCM8482G	2010-11	सीआईटी-2 नागपुर	151
4	कर्नाटक	जीएमआर टूनी-अनकापल्ली एक्सप्रेसवेज प्राइवेट लिमिटेड AABCG8474E	2011-12	III- बेंगलुरु	60.86
	कर्नाटक	जीएमआर टूनी-अनकापल्ली एक्सप्रेसवेज प्राइवेट लिमिटेड AABCG8474E	2012-13	III- बेंगलुरु	113.95
5	कर्नाटक	जीएमआर तामबराम एंड टिंडावनम एक्सप्रेसवेज प्राइवेट लिमिटेड AABCG8474E	2011-12	III- बेंगलुरु	30.55
	कर्नाटक	जीएमआर तामबराम एंड टिंडावनम एक्सप्रेसवेज प्राइवेट लिमिटेड AABCG8474E	2012-13	III- बेंगलुरु	117.93
6	राजस्थान	मुरारीलाल अग्रवाल कांटेक्टर प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर AAECM1948A	2010-11	सीआईटी-2 जयपुर	101.71
	राजस्थान	मुरारीलाल अग्रवाल कांटेक्टर प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर AAECM1948A	2011-12	सीआईटी-2 जयपुर	98.72
	राजस्थान	मुरारीलाल अग्रवाल कांटेक्टर प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर AAECM1948A	2013-14	सीआईटी-2 जयपुर	132.99
7	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा टोलवे पी लिमिटेड/AACCV7296A	2010-11	सीआईटी-V एचवाईडी	1663.85
8	महाराष्ट्र	कॉम्पैक्ट बिल्डर्स एंड डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड AAFC9996R	2010-11 व 2012-13	सीआईटी-1, नासिक	39.11
9	महाराष्ट्र	रेडी पोर्ट लिमिटेड AADCR6980N	2010-11 से 2012-13 तक	पीसीआईटी 3, मुम्बई	1040

2016 की प्रतिवेदन संख्या 28 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

10	गुजरात	टीम फैरो एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड	2010-11 2012-13	सीआईटी बलसाड	145.97
11	तमिलनाडू	हरि कृष्णा पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड	2011-12 2012-13	सीआईटी 3 कोयम्बटूर	87.5
		<b>कुल</b>			<b>4051.11</b>

परिशिष्ट-19

(पैरा 3.9 देखें)

अन्तरण मूल्य निर्धारण (टीपी) समायोजन पर कटौती का अनुमोदन

क्र. सं.	राज्य	पैन सहित निर्धारिती का नाम	नि.व.	सीआईटी प्रभार	कर प्रभार (₹ लाख में)
1	महाराष्ट्र	मैसर्ज बीटी ग्लोबल कम्यूनिकेशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड AACG 1534A	2011-12	पीसीआईटी (सेन्ट्रल) 3, मुम्बई	719
2	महाराष्ट्र	मैसर्ज जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड AAACJ 8109N	2011-12	पीसीआईटी (सेन्ट्रल) 4, मुम्बई	142.09
3	पश्चिम बंगाल	वोडाफोन ईस्ट लिमिटेड AAACU 3796J	2011-12	पीसीआईटी 3, कोलकाता	521.58
4	आंध्र प्रदेश	मैसर्ज ग्रीनको एनर्जीस प्राइवेट लिमिटेड, AAFCS 7123L	2010-11	सीआईटी II, हैदराबाद	128.45
		<b>कुल</b>			<b>1511.12</b>

परिशिष्ट-20

(पैरा 3.10 देखें)

अन्य स्रोतों से आय के प्रति कटौती

क्र. सं.	राज्य	पैन सहित निर्धारिती का नाम	नि.व.	सीआईटी प्रभार	कर प्रभार (₹ लाख में)
1	तमिलनाडू	सिकल लोजिस्टिक्स लिमिटेड AAACS 3789 B	2012-13	सीआईटी6,चेन्नई	190.16
2	तमिलनाडू	वी ए टेक वाबाग लिमिटेड AABCV 0225G	2006-07	सीआईटी3,चेन्नई	112.17
3	तमिलनाडू	नैवेली लिग्नाईट कोर्पोरेशन AAACN 1121C	2009-10	एलटीयू, चेन्नई	145.27
4	तमिलनाडू	नर्मदा इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड AAACN 3579L	2010-11	सीआईटी 4, चेन्नई	385.29
5	तमिलनाडू	मैसर्ज एल एंड टी ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड AAACL 1912 F	2010-11	सीआईटी 4 चेन्नई	496.15
	तमिलनाडू	एल एंड टी ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड AAACL 1912 F	2011-12	सीआईटी 4 चेन्नई	363.50
	तमिलनाडू	एल एंड टी ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड AAACL 1912 F	2012-13	सीआईटी 4 चेन्नई	340.55
6	तमिलनाडू	एम.एम.एस स्टील एंड पावर प्राईवेट लिमिटेड AADCM 5278J	2011-12	सीआईटी 2 त्रिचि	117.32
	तमिलनाडू	एम.एम.एस स्टील एंड पावर प्राईवेट लिमिटेड AADCM 5278J	2012-13	सीआईटी 2 त्रिचि	208.27
7	गुजरात	गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कोर्पोरेशन लिमिटेड/AAACG7987P	2011-12	पीसीआईटी 2, अहमदाबाद	177.87
	गुजरात	गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कोर्पोरेशन लिमिटेड/AAACG7987P	2010-11	पीसीआईटी 2, अहमदाबाद	99.45
8	गुजरात	कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड AAACK 8387R	2010-11	पीसीआईटी, गांधी नगर	75.93
9	राजस्थान	राजस्थान रिन्यूअल एनर्जी कोर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर AAACL3171C	2010-11	सीआईटी-2 जयपुर	610.25
10	राजस्थान	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, जयपुर AAACH7354K	2010-11	सीआईटी उदयपुर	543.67
11	चंडीगढ़	एनएचपीसी (AAACN0149C)	2010-11 से 2013-14 तक	फरीदाबाद	0.00
12	मध्य प्रदेश	नर्मदा हाईड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कोर्पोरेशन लिमिटेड AABCN 1732G	2010-11	प्रधान सीआईटी- II भोपाल	3759.00

2016 की प्रतिवेदन संख्या 28 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

	मध्य प्रदेश	मैसर्ज नर्मदा हाईड्रोइलेक्ट्रिक डेवेलपमेंट कोर्पोरेशन लिमिटेड AABCN 1732G	2011-12	प्रधान सीआईटी- ॥ भोपाल	3566.00
	मध्य प्रदेश	नर्मदा हाईड्रोइलेक्ट्रिक डेवेलपमेंट कोर्पोरेशन लिमिटेड AABCN 1732G	2012-13	प्रधान सीआईटी- ॥ भोपाल	5998.00
13	छत्तीसगढ़	एसएमएस शिवनाथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड AADCS 2258Q	2011-12	सीआईटी-2 रायपुर	465.00
14	दिल्ली	प्रगति पावर कोर्पोरेशन लिमिटेड ACCP 8035F		सीआईटी VII, दिल्ली	72.62
15	आंध्र प्रदेश	कृष्णापटनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड, AAACK 8657J	2010-11 से 2012-13	पीसीआईटी- सेन्ट्रल, हैदराबाद	508.21
16	आंध्र प्रदेश	सीतापुरम पावर लिमिटेड, AAJCS 2098E	2010-11	सीआईटी-III, हैदराबाद	71.11
17	आंध्र प्रदेश	साई रिजेन्सी पावर कोर्पोरेशन प्रा. लिमि., AACCR 6134R	2012-13	सीआईटी-III, हैदराबाद	97.64
18	आंध्र प्रदेश	पटनायक मिन्नरल्स (पी) लिमिटेड, कटक	2012-13	सीआईटी, कटक	52.91
19	कर्नाटक	जीएमआर पावर कोर्पोरेशन (पी) लिमिटेड AAACG6037G	2011-12	III- बेंगलुरु	91.55
20	कर्नाटक	एनएसएल शुगर्स लिमिटेड AAGCS0938Q	2010-11	V-बेंगलुरु	21.91
21	कर्नाटक	मूर्ति पावर जेन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड AAFCS0312R	2012-13	VI-बेंगलुरु	15.78
22	कर्नाटक	श्रीमति एच. कविता AFSPK9284M	2011-12	VII-बेंगलुरु	41.91
23	कर्नाटक	कावेरी हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड AAACC8328A	2010-11	II- बेंगलुरु	0.34
	कर्नाटक	कावेरी हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड AAACC8328A	2011-12	II- बेंगलुरु	2.81
	कर्नाटक	कावेरी हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड AAACC8328A	2012-13	II- बेंगलुरु	4.33
24	कर्नाटक	इंटरनेशनल पावर कोर्पोरेशन लिमिटेड AAACI3833Q	2012-13	III- बेंगलुरु	10.26
25	बिहार	बिहार स्टेट रोड डेवेलपमेंट कोर्पोरेशन लिमिटेड AADCB 7567M	2012-13	पीसीआईटी-I, पटना	2305.02
26	उत्तराखंड	सिडकल AAHCS 7324R	2010-11, 2011-12	देहरादून	1132.73
27	महाराष्ट्र	जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड AAACJ8109N	2011-12	(सेन्ट्रल) 4, मुम्बई	703.66
		<b>कुल</b>			<b>22786.64</b>

**परिशिष्ट-21**  
(पैरा 3.11 का संदर्भ)  
अन्य त्रुटियां

क्र.सं.	राज्य	पैन सहित निर्धारित का नाम	नि.व	सीआईटी प्रभार	कर प्रभाव (₹ लाख में)
1	उत्तर प्रदेश	मैसर्स. जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड, नोएडा AABCJ 9042R	2009-10	नोएडा	538.00
2	महाराष्ट्र	एसीसी लिमिटेड AAAC1507C	2009-10 2010-11	सीआईटी- एलटीयू, मुंबई	0.00
3	महाराष्ट्र	अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड AAACG0569P	2009-10 2010-11	सीआईटी- एलटीयू, मुंबई	0.00
4	महाराष्ट्र	भांदर पावर लिमिटेड AAACB6693B	2007-08 2008-09 2009-10	सीआईटी-6, मुंबई	1465.00
5	महाराष्ट्र	इंडो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटीलिटी सर्विसेज प्रा. लिमिटेड AABCI7740M	2010-11 2011-12	सीआईटी-1, पुणे	433.59
6	महाराष्ट्र	भारत भूमि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रा। लिमिटेड AABCI3428	2012-13	सीआईटी-1, पुणे	168.39
7	महाराष्ट्र	साई कंस्ट्रक्शन प्राइवेट। लिमिटेड AAECS6091E	2010-11	सीआईटी सीसी, पुणे	81.58
8	महाराष्ट्र	कोल्टे पाटिल डेवलपर्स लिमिटेड AAACK7310G	2010-11	सीआईटी सीसी, पुणे	79.72
9	महाराष्ट्र	हेमलेट निर्माण (I) प्रा. लिमिटेड AABCH1677E	2010-11 2011-12 2012-13	पीसीआईटी 1 मुंबई	1889.00
10	महाराष्ट्र	मैराथन नेक्स्टजेन रियल्टी लिमिटेड AAACP8032B	2010-11 2011-12 2012-13	(केन्द्रीय) 3, मुंबई	4760.00
11	महाराष्ट्र	चेन्नई कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड AABCC5838L	2010-11 2011-12	सीआईटी -2, मुंबई	1487.50
12	महाराष्ट्र	भारत उद्योग लिमिटेड AABCR3878E	2010-11 2012-13	पीसीआईटी 5 मुंबई	279.00
13	आन्ध्र प्रदेश	यूनाइटेड पोर्ट सर्विसेज प्रा। लिमिटेड AABCJ0188Q	2012-13	सीआईटी-वी हैदराबाद	0.00

2016 की प्रतिवेदन संख्या 28 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

14	महाराष्ट्र	मैसर्स. महाइसकर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	2012-13	पीसीआईटी 5 मुंबई	2147.00
15	महाराष्ट्र	टाटा पावर कंपनी लिमिटेड AAACT0054A	2010-11	सीआईटी -2, मुंबई	3699.13
		<b>कुल</b>			<b>17027.91</b>

परिशिष्ट-22

(पैरा 4.3.2 देखें)

डीजीआईटी (प्रणाली) द्वारा डेटाबेस का अनुरक्षण

क्रम. सं.	राज्य	कर निर्धारिती का नाम	कर निर्धारण वर्ष	दावित कटौती (₹ लाख में)
1	गुजरात	जीएमडीसी	2010-11	4362.61
2	गुजरात	जेएमसी एमएसकेई संयुक्त उपक्रम	2010-11	174.29
3	गुजरात	मैसर्स. रत्नामनी धातु और ट्यूब लिमिटेड	2010-11	162.48
4	गुजरात	मैसर्स. रत्नामनी धातु और ट्यूब लिमिटेड	2011-12	238.49
5	गुजरात	मैसर्स. रत्नामनी धातु और ट्यूब लिमिटेड	2012-13	305.59
6	गुजरात	जेएमसी प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड	2012-13	926.51
7	गुजरात	जेएमसी प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड	2011-12	1444.88
8	गुजरात	जेएमसी प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड	2010-11	2772.94
9	गुजरात	जेएमसी प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड	2009-10	209
10	गुजरात	जेएमसी प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड	2008-09	431.41
11	गुजरात	जेएमसी प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड	2007-08	43.35
12	गुजरात	मॉटेकार्लो निर्माण लिमिटेड	2011-12	1416.15
13	गुजरात	मॉटेकार्लो निर्माण लिमिटेड	2010-11	860.77
14	गुजरात	सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड	2012-13	379.46
15	गुजरात	सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड	2011-12	697.3
16	गुजरात	सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड	2010-11	1708.93
17	गुजरात	किशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट सीमित	2011-12	37.42
18	गुजरात	किशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट सीमित	2010-11	401.6
19	गुजरात	कांडला पोर्ट ट्रस्ट	2011-12	2196.22
20	गुजरात	कांडला पोर्ट ट्रस्ट	2010-11	1121.41

2016 की प्रतिवेदन संख्या 28 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

21	गुजरात	जेके पेपर लिमिटेड	2011-12	1994.51
22	गुजरात	राजलक्ष्मी प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड	2012-13	101.94
23	गुजरात	ज़ेनी टेक्स प्राइवेट लिमिटेड	2012-13	25.89
24	गुजरात	सौराष्ट्र इन्वार्डरो प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	2012-13	1893.63
25	गुजरात	टीम फेरो एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड	2010-11	252.57
26	गुजरात	मैसर्स. रवीकीरन मिट्टी के प्रा. लिमिटेड	2012-13	71.15
27	गुजरात	मैसर्स. रवीकीरन मिट्टी के प्रा. लिमिटेड	2011-12	48.76
28	गुजरात	मैसर्स. मंगल्या सिरामिक्स	2012-13	31.84
29	गुजरात	मैसर्स. मंगल्या सिरामिक्स	2011-12	17.99
30	गुजरात	एलेम्बिक लिमिटेड	2012-13	1375.42
31	गुजरात	एलेम्बिक लिमिटेड	2011-12	2354.63
32	गुजरात	निताफिम इरीगेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2011-12	921.95
33	गुजरात	ईएनएन ईएनएन निगम लिमिटेड	2010-11	376.25
34	गुजरात	ईएनएन ईएनएननिगम लिमिटेड	2011-12	342.85
35	गुजरात	ईएनएन ईएनएन निगम लिमिटेड	2010-11	507.1
		<b>कुल</b>		<b>30207.29</b>

परिशिष्ट-23

(पैरा 4.4.1 देखें)

लेखापरीक्षा की अपूर्ण रिपोर्ट/प्रमाणपत्र

क्र. सं.	राज्य	निर्धारिती का नाम/पैन	नि.व	सीआईटी प्रभार	दावित कटौती (₹ लाख में)
1	कर्नाटक	मैसर्स. मैसूर मर्केटाइल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी AACCM1216H	2011-12	IV बेंगलुरु	83.23
	कर्नाटक	मैसर्स, मैसूर मर्केटाइल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी AACCM1216H	2012-13	IV बेंगलुरु	160.00
2	कर्नाटक	मैसर्स. दक्षिण पश्चिम पोर्ट लिमिटेड AACCA5270B	2011-12	पणजी	574.00
	कर्नाटक	मैसर्स. दक्षिण पश्चिम पोर्ट लिमिटेड AACCA5270B	2012-13	पणजी	873.00
3	कर्नाटक	मैसर्स. विश्वनाथ शुगर एंड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड AABCV1727H	2011-12	बेलगाम	615.89
4	कर्नाटक	मैसर्स. पटेल शांति स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड AADCP6628H	2012-13	गुलबर्गा	5.67
5	कर्नाटक	श्री वीरेन्द्र बासवराज काऊजलाजी AGRPK3086D	2012-13	बेलगाम	32.32
6	तमिलनाडू	किलबर्न रसायन AAACK 1427A	2012-13	सीआईटी 4, चेन्नई	109.21
7	तमिलनाडू	धर्मपुरी रोलर फ्लोर मिल्स AABFT7188F	2012-13	सीआईटी सलेम	15.82
8	तमिलनाडू	करान स्पिनर लिमिटेड AAACC8476F	2010-11	सीआईटी सलेम	73.68
9	तमिलनाडू	वीएसएम इंडिया लिमिटेड AABCV 7326C weaves	2010-11	सीआईटी सलेम	63.17
10	तमिलनाडू	रामजी इंपेक्स AAHFR 1964K	2012-13	सीआईटी 2 कोयम्बटूर	3.43
11	तमिलनाडू	एस.दुराईसमय ADUPD 6299D	2011-12	सीआईटी 2 कोयम्बटूर	3.76
12	तमिलनाडू	सीमावर्ती रसायन AAFF7484K	2012-13	सीआईटी सलेम	4.60
13	तमिलनाडू	एस.पी.स्पीनिंग मिल्स (पी) लिमिटेड AACCS9500J	2010-11	सीआईटी सलेम	117.96
	तमिलनाडू	एस.पी.स्पीनिंग मिल्स (पी) लिमिटेड AACCS9500J	2011-12	सीआईटी सलेम	99.04

2016 की प्रतिवेदन संख्या 28 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

	तमिलनाडू	एस.पी.स्पीनिंग मिल्स (पी) लिमिटेड AACCS9500J	2012-13	सीआईटी सलेम	101.50
14	तमिलनाडू	प्रभा इंजीनियर्स AAAFP0959R	2010-11	सीआईटी 2, चेन्नई	0.00
15	तमिलनाडू	आदिशंकरा स्पनिंग मिल्स प्रा.लिमिटेड AABCA5198B	2013-14	सीआईटी 3 कोयम्बटूर	180.61
16	तमिलनाडू	स्टैंडर्ड फायर वर्क्स प्रा. लिमिटेड AACCS1480M	2010-11	सीआईटी 2, मदुरै	28.63
17	तमिलनाडू	रैमको इंडस्ट्रीज लिमिटेड AAACR 5284 जम्मू	2010-11	सीआईटी 2, मदुरै	315.75
18	तमिलनाडू	मधुरेशा AAAFM 9010A	2010-11	सीआईटी 1 त्रिची	3.80
19	तमिलनाडू	सीयाडू बीड़ी का.प्रा.लि. AACFS 5706R	2010-11	सीआईटी 2 मदुरै	4.15
20	तमिलनाडू	कॉपरल अछूता कंडक्टर (पी) लिमिटेड AAACC 8486H	2012-13	सीआईटी सलेम	14.19
21	तमिलनाडू	संतोष मीनाक्षी कपड़ा प्र.लि. AAJCS 4184M	2012-13	सीआईटी 1, कोयंबटूर	51.17
22	तमिलनाडू	लक्ष्मी कार्ड वस्त्र विनिर्माण प्रा। लिमिटेड AAACC 3521E	2012-13	सीआईटी 1 कोयम्बटूर	24.38
23	तमिलनाडू	तीव्र पंप प्रा.लि. AACCS 7200F	2012-13	सीआईटी 1 कोयम्बटूर	5.19
24	तमिलनाडू	फ्लोटैक पावर AAFF 2838D	2011-12	सीआईटी 1 कोयम्बटूर	6.23
25	तमिलनाडू	डी.नित्यानन्दम AAGPN 1353H	2011-12	सीआईटी 1 कोयम्बटूर	9.43
26	तमिलनाडू	श्री वेंकटचलापंथी माडर्न राइस मिल ABNFS 4745A	2010-11	सीआईटी पुडुचेरी	0.00
27	तमिलनाडू	रैमको सीमेंट्स लिमिटेड AACBM 8375L	2011-12	सीआईटी1 मदुरै	0.00
	तमिलनाडू	रैमको सीमेंट्स लिमिटेड AACBM 8375L	2012-13	सीआईटी1 मदुरै	307.44
28	चंडीगढ़	मैसर्स. गोदावरी पावर और इस्पात लिमिटेड / AAACI7189K	2010-11	सीआईटी -1 रायपुर	795.00
	चंडीगढ़	मैसर्स. गोदावरी पावर और इस्पात लिमिटेड / AAACI7189K	2011-12	सीआईटी -1 रायपुर	1544.00

2016 की प्रतिवेदन संख्या 28 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

	चंडीगढ़	मैसर्स. गोदावरी पावर और इस्पात लिमिटेड / AAACI7189K	2012-13	सीआईटी -1 रायपुर	1210.00
29	चंडीगढ़	श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड.AACCB2944D	2010-11	सीआईटी -1 रायपुर	603.00
	चंडीगढ़	श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड. AACCB2944D	2011-12	सीआईटी -1 रायपुर	1527.00
30	चंडीगढ़	मैसर्स. विमला इंफ्रास्ट्रक्चर (इंडिया) प्रा लिमिटेड.AACCV2677D	2010-11	सीआईटी -2 रायपुर	568.00
	चंडीगढ़	मैसर्स. विमला इंफ्रास्ट्रक्चर (इंडिया) प्रा लिमिटेड.AACCV2677D	2012-13	सीआईटी -2 रायपुर	869.00
31	चंडीगढ़	वंदना विद्युत लिमिटेड./AAACV7850L	2010-11	सीआईटी -1 रायपुर	136.00
	चंडीगढ़	वंदना विद्युत लिमिटेड./AAACV7850L	2011-12	सीआईटी -1 रायपुर	31.69
32	चंडीगढ़	मैसर्स. हीरा फेरो एलॉयज लिमिटेड./AAACH5697M	2010-11	सीआईटी -1 रायपुर	551.00
33	चंडीगढ़	मैसर्स. गोपाल स्पंज एंड पावर प्रा। लिमिटेड./AACCG1525F	2012-13	सीआईटी -1 रायपुर	77.78
34	मध्य प्रदेश	मैसर्स. खुराना कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, AAACK7172J	2010-11	पीसीआईटी I, इन्दौर	59.26
35	गुजरात	कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड AACK8387R	2010-11	पीसीआईटी गांधी नगर	0
	गुजरात	कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड AACK8387R	2011-12	पीसीआईटी गांधी नगर	0
36	गुजरात	इनविरो कंट्रोल एसोसिएटस प्रा. लि./ AAACE8700C	2011-12	पीसीआईटी 1, सूरत	0.00
37	गुजरात	अजंता लिमिटेड/ AAACE612E	2012-13	सीआईटी III, राजकोट	0.00
	गुजरात	अजंता लिमिटेड/ AAACE612E	2011-12	सीआईटी III, राजकोट	0.00
	गुजरात	अजंता लिमिटेड/ AAACE612E	2010-11	सीआईटी III, राजकोट	0.00
38	पश्चिम बंगाल	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, AABCB0984E	2010-11	पीसीआईटी 2	792.98
39	झारखण्ड	मैसर्स जमशेदपुर यूटिलिटीज एंड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (जुस्को), AABCI 3604 P	2010-11	जमशेदपुर	169.53

2016 की प्रतिवेदन संख्या 28 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

40	उत्तराखण्ड	मैसर्स टीएचडीसी इंडिया लि. AAACT7905Q	2008-09	पीसीआईटी-1, देहरादून	0.00
	उत्तराखण्ड	मैसर्स टीएचडीसी इंडिया लि. AAACT7905Q	2009-10	पीसीआईटी-1, देहरादून	0.00
	उत्तराखण्ड	मैसर्स टीएचडीसी इंडिया लि. AAACT7905Q	2010-11	पीसीआईटी-1, देहरादून	0.00
	उत्तराखण्ड	मैसर्स टीएचडीसी इंडिया लि. AAACT7905Q	2011-12	पीसीआईटी-1, देहरादून	0.00
	उत्तराखण्ड	मैसर्स टीएचडीसी इंडिया लि. AAACT7905Q	2012-13	पीसीआईटी-1, देहरादून	0.00
41	उत्तर प्रदेश	मैसर्स यूपीएसआईडीसी, कानपुर AAACU 1759 K	2011-12	1 - कानपुर (स्पेशल रैंज)	70.12
42	महाराष्ट्र	महावीर ग्लोबल कोल लिमिटेड AADCM4776H	2011-12 से 2013-14	सेन्ट्रल नागपुर	70.39
43	महाराष्ट्र	मेटालफेब हाइटेक प्राइवेट लिमिटेड AABCM0271D	2012-13	सीआईटी-2 नागपुर	19.27
44	महाराष्ट्र	गोल प्रेसिजन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड AAACG6701H	2011-12	सीआईटी-1, पुणे	0.00
45	महाराष्ट्र	सीटीआर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड AAACC7256R	2012-13	सीआईटी-1, पुणे	0.00
46	महाराष्ट्र	राठी ट्रांसफार्मर प्रा. लिमिटेड AAACR8221P	2012-13	सीआईटी-3, पुणे	0.00
47	महाराष्ट्र	डिस्टी इंडस्ट्रीज लिमिटेड AAACD1428L	2011-12	सीआईटी-1, पुणे	0.00
48	महाराष्ट्र	बायोडिल लेबोरेटरीज प्रा. लिमिटेड AAACB8943J	2010-11	सीआईटी सीसी एट पुणे	0.00
49	महाराष्ट्र	इंद्रजीत पावर प्रा. लिमिटेड AAACI 8656 B	2010-11	सीआईटी-6, मुम्बई	0.00
50	महाराष्ट्र	यूनाइटेड सिप्पर लिमिटेड AAACU 0764C	2010-11	केंद्रीय -2, मुंबई	0.00
51	महाराष्ट्र	भाईदास करसनदास एंड कंपनी AAAFB4438P	2010-11	सीआईटी-17, मुम्बई	0.00
52	महाराष्ट्र	बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड AAACB2484Q	2010-11 से 2012-13	सीआईटी-2, मुम्बई	0.00
53	महाराष्ट्र	दशमेश रोड कन्सट्रक्सन प्राइवेट लिमिटेड AACCD1070G	2010-11	सेन्ट्रल पुणे एट नासिक	0.00

2016 की प्रतिवेदन संख्या 28 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

54	महाराष्ट्र	पारस पीवीसी पाइप एंड फिटिंग प्राइवेट लिमिटेड AABCP8013G.	2012-13	सीआईटी-1 पुणे	0.00
55	महाराष्ट्र	क्लियर मिपेक पैकेजिंग सोलुसन लिमिटेड AAACC4489N	2011-12 व 2012-13	पी सीआईटी 9 मुंबई	0.00
56	महाराष्ट्र	सीरोन फार्मास्युटिकल प्रा. लिमिटेड AABCC0873D	2010-11 व 2011-12	पी सीआईटी 9 मुंबई	0.00
57	महाराष्ट्र	आदित्य मरीन लिमिटेड ACEA8257C	2010-11 व 2011-12	पीसीआईटी - 5, मुंबई	0.00
58	महाराष्ट्र	शाह पेपर मिल्स लिमिटेड AAACS6438F	2010-11 से 2012-13 तक	पीसीआईटी - 11, मुंबई	0.00
59	महाराष्ट्र	नितिन कास्टिंग लिमिटेड AAACN1219K	2010-11 से 2012-13 तक	पीसीआईटी 3 मुंबई	0.00
60	महाराष्ट्र	हिंद अल्युमिनियम इंडस्ट्रीज लिमिटेड AAACA4671Q	2011-12 व 2012-13	पीसीआईटी 7 मुंबई	0.00
61	महाराष्ट्र	दौंड शुगर लिमिटेड AADCD0135F	2012-13	सीआईटी-1, पुणे	0.00
62	महाराष्ट्र	ईएसएस जीईई रियल एस्टेट डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड AAACE8829L	2011-12	सीआईटी-3, मुम्बई	0.00
63	महाराष्ट्र	महाती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लिमिटेड AAFCM0676G	2012-13	सीआईटी-2 पुणे	0.00
64	महाराष्ट्र	श्रद्धा एनर्जी एंड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा. लिमिटेड AAICS6691L	2010-11	सीआईटी सेन्ट्रल पुणे	0.00
65	महाराष्ट्र	मीनू पुरेन्दु गोयल AAYPG8826G	2012-13	सीआईटी -2 पुणे	0.00
		<b>कुल</b>			<b>12188.29</b>

परिशिष्ट-24

(संदर्भ पैरा 4.5)

फार्म 10सीसीबी देरी से दाखिल करना/ई-फाईलिंग नहीं करना

क्र. सं.	राज्य	पैन वाले निर्धारित नाम	निर्धारण वर्ष	सीआईटी प्रभार	फार्म 10CCB/ 10CCC/ 3CEB की प्रस्तुति	कर प्रभाव (₹ लाख में)
1	राजस्थान	फतेहपुरीया ट्रांसफॉर्मर्स एंड स्विचगियर्स प्रा. लिमि. जयपुर AAACF3456E	2013-14	सीआईटी -1 जयपुर	अनुपलब्ध	16.22
2	राजस्थान	इलैक्ट्रोलाईटस पावर प्रा. लिमि. जयपुर AAACE4080B	2013-14	सीआईटी -1 जयपुर	अनुपलब्ध	14.57
3	राजस्थान	एक्सल एसोसिएट्स प्रा. लिमि. जयपुर AABCE7165L	2013-14	सीआईटी -1 जयपुर	अनुपलब्ध	4.38
4	राजस्थान	संकल्प इंटरनेशनल जयपुर AAKFS4376D	2013-14	सीआईटी -2 जयपुर	अनुपलब्ध	52.64
5	राजस्थान	किरण इंफ्रा इंजीनियर्स लिमि. जयपुर AACCK8188N	2013-14	सीआईटी -2 जयपुर	अनुपलब्ध	21.35
6	राजस्थान	खेतान टाईल्स प्रा. लिमि. जयपुर AABCK0431H	2013-14	सीआईटी -2 जयपुर	अनुपलब्ध	4.03
7	राजस्थान	निहाल चंद जैन इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड प्रा. जयपुर AADCN7909D	2013-14	सीआईटी -2 जयपुर	अनुपलब्ध	24.26
8	राजस्थान	राजस्थान स्टेट रोड डेवलेपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमि. जयपुर AABCR9650F	2013-14	सीआईटी -2 जयपुर	अनुपलब्ध	95.05
9	राजस्थान	अनामिका कंडक्टर लिमि. जयपुर AABCA5681P	2013-14	सीआईटी -2 जयपुर	31-03-14	25.6
10	राजस्थान	गंगौर एक्सपोर्ट प्रा. लिमि. जयपुर AAACG8877G	2013-14	सीआईटी -2 जयपुर	अनुपलब्ध	11.62
11	राजस्थान	जनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमि., जयपुर AACCG1218P	2013-14	सीआईटी -3 जयपुर	अनुपलब्ध	19.42
12	राजस्थान	जी वी के जयपुर एक्सप्रेस हाईवे प्रा. लिमि., जयपुर AABCG5541J	2013-14	सीआईटी -3 जयपुर	अनुपलब्ध	4504.97
13	राजस्थान	विजय इंडस्ट्रीज, अलवर AAafb7282R	2013-14	सीआईटी अलवर	29-11-13	9.85

2016 की प्रतिवेदन संख्या 28 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

14	राजस्थान	सौरभ एगोटेक प्रा. लिमि., अलवर AADCS4522P	2013-14	सीआईटी अलवर	28-11-13	9.31
15	राजस्थान	विजय सॉल्वेक्स लिमि., अलवर AAACD6864A	2013-14	सीआईटी अलवर	29-11-13	54.61
16	राजस्थान	राजस्थान गम प्रा. लिमिटेड, जोधपुर AAACR8151N	2013-14	सीआईटी -1 जोधपुर	अनुपलब्ध	61.45
17	राजस्थान	नेशनल ट्रल्स एक्सपोर्ट, जोधपुर AACFN6037A	2013-14	सीआईटी -1 जोधपुर	अनुपलब्ध	12.25
18	राजस्थान	श्री राम इंडस्ट्रीज, जोधपुर AACFS7768M	2013-14	सीआईटी -1 जोधपुर	30-11-13	11.03
19	राजस्थान	श्री राम हॉटल्स जोधपुर AAQFS2527L	2013-14	सीआईटी -1 जोधपुर	अनुपलब्ध	4.45
20	राजस्थान	श्री राम गम एंड कैसीकल्स प्रा. लिमि., जोधपुर AAKCS5802M	2013-14	सीआईटी -1 जोधपुर	अनुपलब्ध	19.69
21	राजस्थान	जैसलमेर मार्बल्स प्रा. लिमि., जोधपुर AAACJ8755C	2013-14	सीआईटी -2 जोधपुर	अनुपलब्ध	3.81
22	राजस्थान	श्री राम गोयल, जोधपुर ABXPG4604Q	2013-14	सीआईटी -2 जोधपुर	अनुपलब्ध	13.27
23	राजस्थान	दिल्ली राजस्थान ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमि. जोधपुर AAACD4979N	2013-14	सीआईटी -2 जोधपुर	27-11-13	11.79
24	राजस्थान	प्रकाश चंद भवनानी, जोधपुर ADEPB1073B	2013-14	सीआईटी -2 जोधपुर	अनुपलब्ध	5.06
25	राजस्थान	प्रेम केबल्स प्रा. लिमि., पाली AAACP6660N	2013-14	सीआईटी -2 जोधपुर	अनुपलब्ध	10.52
26	राजस्थान	हिंदुस्तान जिंक लिमि., उदयपुर AAACH7354K	2013-14	सीआईटी उदयपुर	अनुपलब्ध	20717.5
27	राजस्थान	कविता मार्बल्स प्रा. लिमि., उदयपुर AAACK5897Q	2013-14	सीआईटी उदयपुर	अनुपलब्ध	4.37
28	राजस्थान	माधव मार्बल्स एंड ग्रेनाइट लिमि., उदयपुर, AAACM9243M	2013-14	सीआईटी उदयपुर	अनुपलब्ध	44.71
29	राजस्थान	नाहर कलर्स एंड कोटिंग प्रा. लिमि., उदयपुर AAACN6942K	2013-14	सीआईटी उदयपुर	अनुपलब्ध	24.57
30	राजस्थान	राज कुमार सुराणा, उदयपुर AJSPS5690M	2013-14	सीआईटी उदयपुर	अनुपलब्ध	3.83

2016 की प्रतिवेदन संख्या 28 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

31	राजस्थान	डंसटन गुडस प्रा. लिमि., उदयपुर AAACD9348R	2013-14	सीआईटी उदयपुर	अनुपलब्ध	25.73
32	राजस्थान	ओरिएंट ग्लेज़ प्रा. लिमि., उदयपुर AAACO6932G	2013-14	सीआईटी उदयपुर	अनुपलब्ध	8.37
33	राजस्थान	के के एंटरगई जिज, उदयपुर AADFK9054B	2013-14	सीआईटी उदयपुर	अनुपलब्ध	23.21
34	राजस्थान	रमेश क्षेत्रपाल , अजमेर ABEPK2831J	2013-14	सीआईटी अजमेर	अनुपलब्ध	20.68
35	राजस्थान	नव भारत बिल्डकॉन प्रा. लिमि., अजमेर AAACN4493R	2013-14	सीआईटी अजमेर	अनुपलब्ध	14.02
36	राजस्थान	खामर खड़ी ग्रामोद्योग उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड खामर शाहपुरा AACCK6406D	2013-14	सीआईटी अजमेर	अनुपलब्ध	0.15
37	राजस्थान	बाबू लाल बांगर AFZPB8483N	2013-14	सीआईटी अजमेर	अनुपलब्ध	0.26
		<b>कुल</b>				<b>25908.60</b>

परिशिष्ट-25

(संदर्भ पैरा 4.7.1)

संवीक्षा हेतु 80।ए मामलों का चयन न करना

क्र.सं.	राज्य	पैन वाले निर्धारित नाम	निर्धारण वर्ष	सीआईटी प्रभार	कर प्रभाव (₹ लाख में)
1	तमिलनाडु	अमरावती टैक्सटाईल्स AAFFA 9673E	2011-12	सीआईटी । त्रिचची	19.17
2	तमिलनाडु	एटलस एक्सपोर्ट एंटरप्राइजिस AAFA 4788R	2011-12	सीआईटी । त्रिचची	21.19
3	तमिलनाडु	ब्रिटिश विवरिंग कंपनी AAafb 2746C	2011-12	सीआईटी । त्रिचची	6.08
4	तमिलनाडु	देवरजंन मुरुगेश AAHPM 8327R	2011-12	सीआईटी । त्रिचची	8.98
5	तमिलनाडु	इंटैक्स AAafl 1075M	2011-12	सीआईटी । त्रिचची	5.82
6	तमिलनाडु	मेलो इंटरनेशनल AABFM 1014B	2011-12	सीआईटी । त्रिचची	10.13
7	तमिलनाडु	मेट्रो फेब्रिक्स AAaFM 5247P	2011-12	सीआईटी । त्रिचची	2.32
8	तमिलनाडु	एनएनएम एंड कंपनी AAaFN 4651N	2011-12	सीआईटी । त्रिचची	4.01
9	तमिलनाडु	आरके टैक्सटाईल्स AAaFR 6620H	2011-12	सीआईटी । त्रिचची	73.27
10	तमिलनाडु	वीएनसी इलेक्ट्रोड्स AAaFV 4698M	2011-12	सीआईटी । त्रिचची	8.32
11	तमिलनाडु	वीएनसी स्टील डिस्ट्रीब्यूटर्स AADfV 9137E	2011-12	सीआईटी । त्रिचची	15.28
12	मध्य प्रदेश	मैसर्स मध्य प्रदेश रोड डेवलेपमेंट कार्पोरेशन लिमि., AAGCM5306C	2011-12	प्रा. सीआईटी ।, भोपाल	579.62
13	आंध्र प्रदेश	मदुरै पावर कार्पोरेशन/AACCM7661C	2011-12	सीआईटी-Tpty	0
14	आंध्र प्रदेश	काकीनाडा सीपोर्टस लिमि./AABCC2006Q	2011-12	सीआईटी-II हैदराबाद	0
15	महाराष्ट्र	मैक्स अलर्टस सिस्टम प्रा. लिमि. AAECM0770G	2010-11	पीसीआईटी 5 मुंबई	
16	महाराष्ट्र	महती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्रा. लिमि. AAFCM0676G	2011-12	पुणे पीसीआईटी 2 पुणे	

2016 की प्रतिवेदन संख्या 28 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

17	महाराष्ट्र	संजना कायोर्जनिक स्टोरेज लिमि. AADCS5093D	2011-12	पीसीआईटी 3 मुंबई	
18	महाराष्ट्र	अथर्वा इफ्रानेट प्रा. लिमि. AAGCA6087L	2011-12	पीसीआईटी 9 मुंबई	
19	महाराष्ट्र	हरक्यूलिस हास्ट लिमि. AAACH2706D	2011-12	पीसीआईटी 5 मुंबई	0
		<b>कुल</b>			<b>754.19</b>

© भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)